कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

वी.

मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 10466-10476 2011 का)

23 मार्च, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 246-सूची 1 की सातवीं अनुसूची प्रविष्टि 40-सूची 2 की प्रविष्टि 34-सूची 2 की प्रविष्टि 62 -

कर्नाटक लॉटरी पर कर अधिनियम, 2004-केरल कागज पर कर

लॉटरी अधिनियम, 2005-कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 27 दिसंबर, 2010 और 7 मार्च, 2011 के विवादित फैसलों के माध्यम से कहा कि कर्नाटक विधानमंडल में कोई विधायी व्यवस्था नहीं है

लॉटरी अधिनियम, 2004 पर कर्नाटक कर पारित करने की क्षमता -

विवादित द्वारा केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ

30 अप्रैल, 2020,9 अगस्त, 2021 और 10 अगस्त, 2021 के फैसलों में कहा गया कि केरल विधानमंडल के पास पेपर लॉटरी पर केरल कर, अधिनियम, 2005 को लागू करने की कोई विधायी क्षमता नहीं है और इसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया-इसमें उत्तरदाता नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और अन्य राज्य हैं जो लॉटरी के आयोजकों के साथ-साथ कर्नाटक और केरल राज्यों में प्रवर्तक भी हैं-उच्च न्यायालयों के फैसले के अनुसार, कर्नाटक और केरल राज्यों को लॉटरी योजनाओं का आयोजन करने वाले उत्तरदाता राज्यों द्वारा जमा की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया गया था-वर्तमान अपीलों को कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जो इन फैसलों से व्यथित हैं। द.

सूची दो की प्रविष्टि 34 में विषय सट्टेबाजी और जुआ एक राज्य का विषय है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि 'लॉटरी' जुआ गतिविधि की एक प्रजाति है और इसलिए लॉटरी सट्टेबाजी और जुए के दायरे में है जैसा कि प्रविष्टि 34 सूची दो में दिखाई देता है-'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति इस प्रकार एक जीनस है जिसमें कई प्रकार या गतिविधियों की प्रजातियां शामिल हैं जैसे कि घुड़दौड़, चक्कर लगाना और 'सट्टेबाजी और जुआ' गतिविधि के अन्य स्थानीय रूप/रूप।

भारत सरकार द्वारा आयोजित विषय लॉटरी या

सूची I की प्रविष्टि 40 में 'राज्य सरकार' एक संघ विषय है-यह केवल भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी है।

सूची I की प्रविष्टि 40 के संदर्भ में राज्य सरकार, जिसे सूची II की प्रविष्टि 34 से बाहर रखा गया है-'सट्टेबाजी और जुआ' एक राज्य का विषय है, सिवाय इसके कि जहां तक सूची I की प्रविष्टि 40 का संबंध है-सूची II की प्रविष्टि 62 विलासिता पर एक विशिष्ट कराधान प्रविष्टि है, जिसमें मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुआ पर कर शामिल हैं '-कर लगाने की शक्ति उन सभी गतिविधियों पर है जो सट्टेबाजी और जुआ की प्रकृति में हैं, जिसमें लॉटरी भी शामिल हैं-क्योंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लॉटरी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है या राज्य द्वारा अधिकृत है या राज्य की किसी एजेंसी या साधन द्वारा संचालित की जाती है।

जुआ ', राज्य विधानमंडलों के पास सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत लॉटरियों पर कर लगाने की शक्ति है-ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त प्रविष्टि के तहत विचार किया गया कराधान' सट्टेबाजी और जुआ 'गतिविधियों पर है जिसमें लॉटरियां भी शामिल हैं, चाहे उनका संचालन करने वाली संस्था कोई भी हो इसलिए, विवादित कानून वैध हैं क्योंकि कर्नाटक और केरल राज्य विधानमंडलों के पास कानून बनाने की विधायी क्षमता थी। ऐसे अधिनियम-सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों का दायरा और दायरा केवल ऐसी लॉटरियों के विनियमन के दायरे में है-उक्त प्रविष्टि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरियों पर कर लगाने की शक्ति को अपनी रूपरेखा के भीतर नहीं लेती है-अन्य राज्यों की सरकार द्वारा लॉटरी योजनाओं का आयोजन/संचालन कर्नाटक या केरल राज्य में किया जाता है और इसमें स्पष्ट रूप से शामिल हैं -

कर्नाटक राज्य और केरल राज्य में लॉटरी योजनाओं के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की सरकारों के एजेंटों या प्रवर्तकों के पंजीकरण के लिए विवादित अधिनियमों के तहत प्रावधान यह स्वयं इन राज्यों के बीच पर्याप्त क्षेत्रीय सांठगांठ का संकेत देता है।

प्रत्यर्थियों-जो राज्य लॉटरी का आयोजन कर रहे हैं और कर्नाटक और केरल राज्य-केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालयों की खंड पीठों का यह मानना सही नहीं था कि संबंधित राज्य विधानमंडलों के पास अपने राज्य में (क्रमशः कर्नाटक और केरल राज्य में) अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरियों पर कर लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. क्या, सूची II की प्रविष्टियों 34 और 62 के साथ सूची I की प्रविष्टि 40 की व्याख्या करते समय, लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति [2022] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार या सरकार द्वारा आयोजित

विवादित अधिनियमों को लागू करने की क्षमता। केवल भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों को सूची II की प्रविष्टि 34 में 'सट्टेबाजी और जुआ' विषय से अलग किया गया है और सूची I की प्रविष्टि 40 और सूची II की प्रविष्टि 62 में रखा गया है। अन्य रूप से, 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कर की बात करता है। इसके द्वारा, यह न्यायालय यह नहीं सोचता है कि राज्य विधानमंडलों को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों पर सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत कर लगाने की उनकी शक्ति से वंचित कर दिया गया है। अदालत निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहती हैः (क) सूची-II की प्रविष्टि 62 विलासिता पर करों सहित एक विशिष्ट कराधान प्रविष्टि है।

मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुआ। 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति को मनोरंजन और मनोरंजन के साथ सामान्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार कर 'सट्टेबाजी और जुआ' की गतिविधि पर है क्योंकि यह एक गतिविधि पर है। (ख) 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति सूची II की प्रविष्टि 34 में भी पाई जाती है। सट्टेबाजी और जुए की गतिविधि में अन्य बातों के साथ-साथ लॉटरी भी शामिल हैं। लॉटरी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा सकती है या किसी राज्य द्वारा अधिकृत या किसी राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा सकती है। इस प्रकार, उपरोक्त संस्थाओं में से किसी भी सरकारी या निजी द्वारा आयोजित लॉटरी एक ऐसी गतिविधि है जो 'सट्टेबाजी और जुआ' के नामकरण के अंतर्गत आती है जो प्रविष्टि 34 सूची II में विषय है। लेकिन सूची II की प्रविष्टि 34 में से जो बनाया गया है, वह केवल भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी है। इसलिए, अन्य सभी प्रकार की लॉटरियाँ इसके दायरे में बनी हुई हैं।

' सट्टेबाजी और जुआ 'सूची II की प्रविष्टि 34 में एक गतिविधि के रूप में। (ग) इसलिए सूची-II की प्रविष्टि 62 के तहत कर लगाने की विशिष्ट शक्ति

गतिविधि जो 'सट्टेबाजी और जुआ' है, राज्य विधानमंडल के पास आरक्षित है और इसे सूची I की प्रविष्टि 40 के दायरे और दायरे में नहीं पढ़ा जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से इसके दायरे में प्रतिबंधित है। यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहता हैः

(i) पहला, जब सूची II में कराधान के संबंध में एक विशिष्ट प्रविष्टि प्रदान की जाती है, जो राज्य विधानमंडल को कर लगाने के लिए सशक्त बनाती है।

विषय, अर्थात्, अन्य समान विषयों के बीच 'सट्टेबाजी और जुआ'

गतिविधियों को कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. की प्रविष्टि में निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

सूची I अर्थात् सूची I की प्रविष्टि 40. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कराधान प्रविष्टि किसी विशेष विषय से संबंधित प्रविष्टि से अलग और अलग होती है। विषय। इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा एम. पी. वी. सुंदररामियर जैसे कई निर्णयों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है और ऊपर चर्चा किए गए होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, केसोरम में इसका पालन किया गया है। (ii) दूसरा, तत्काल मामले में 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कर लगाने के लिए एक कराधान प्रविष्टि या विधायी शक्ति, संसद और राज्य विधानमंडल के बीच 110 विभाजित नहीं की जा सकती है जब उक्त शक्ति सूची II की प्रविष्टि 62 में स्पष्ट रूप से गणना की गई है। यह वह है

तीन सूचियों के तहत संवैधानिक योजना। यह संवैधानिक योजना के अनुसार है। यह सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टियों के अवलोकन से भी स्पष्ट है जो संघ के साथ-साथ राज्य विधानमंडल दोनों को विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।

उसमें उल्लिखित और कर लगाने की शक्तियां इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं। (iii) तीसरा, सूची II की प्रविष्टि 62 का उद्देश्य और उद्देश्य 'सट्टेबाजी और जुए' की गतिविधि पर कर लगाना है, चाहे वह किसी निजी संस्था या राज्य अधिकृत संस्था या किसी उपकरण या एजेंसी द्वारा संचालित हो या उस मामले के लिए भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे कोई भी लॉटरी योजना का आयोजन करे, यह अंततः जुए की एक प्रजाति है। यह किसी का मामला नहीं है कि लॉटरी योजना में भाग लेना जुआ नहीं है। उक्त गतिविधि अर्थात लॉटरी योजना भारत के पूरे क्षेत्र में संचालित की जा सकती है बशर्ते कि एक विशेष राज्य उस राज्य में उक्त गतिविधि को आयोजित करने और संचालित करने की अनुमति देता हो। इस प्रकार, लॉटरी का आयोजन और संचालन पूरे भारत में जुआ खेलने की गतिविधि हो सकती है और जब कोई विशेष राज्य भारत सरकार या उस राज्य की किसी भी सरकार द्वारा संचालित लॉटरी योजना की अनुमति देता है, तो उस पर कर लगाया जाता है, जो जुआ पर कर है। इस प्रकार सूची II की प्रविष्टि 62 राज्य विधानमंडलों को अधिकार देती है -

'जुआ' पर कर लगाना, चाहे भारत सरकार या सरकार सहित कौन या कौन सी संस्था इसका संचालन कर रही हो।

किसी भी राज्य से। (iv) चौथा, 'सट्टेबाजी और जुआ' सूची II की प्रविष्टि 34 में सूचीबद्ध एक विषय है और यह एक राज्य का विषय है। इसलिए, किसी राज्य के भीतर किसी भी सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों के संचालन की अनुमति, जिसमें उक्त प्रविष्टि के तहत लॉटरी योजना का संचालन भी शामिल है, राज्य विधानमंडलों को उक्त गतिविधि पर कर लगाने की क्षमता प्रदान करता है, भले ही उसका संचालन कोई भी करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस पर कर लगाया जा रहा है वह एक जुआ गतिविधि है जो है

सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत पूरी तरह से कवर किया गया है और प्रति [2022] 18 एस. सी. आर. लॉटरी पर नहीं।

भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित। इसलिए, राज्य विधानमंडल के पास लॉटरी योजना पर कर लगाने की क्षमता है जो न केवल द्वारा संचालित की जा रही है भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी विशेष राज्य की किसी अन्य एजेंसी या साधन द्वारा, लेकिन राज्य के भीतर एक निजी संस्था द्वारा भी जुआ के रूप में। (v) पाँचवाँ, उत्तरदाताओं का तर्क-बताता है कि विषय, 'द्वारा आयोजित लॉटरियाँ

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार को सूची I की प्रविष्टि 40 में रखे जाने से केवल संसद को ही उक्त प्रविष्टि के तहत निहितार्थ के रूप में उस पर कर लगाने का अधिकार होगा, जो स्वयं इस प्रविष्टि की सही व्याख्या नहीं है।

सूचियों में प्रविष्टियाँ। (vi) छठी, सूची I की प्रविष्टि 97 को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब कोई भी विषय सूची II या सूची III में सूचीबद्ध न हो।

जुआ की ऐसी गतिविधि के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इस प्रकार, सूची II की प्रविष्टियाँ 34 और 62 जो इन से संबंधित हैं - ' सट्टेबाजी और जुआ की व्याख्या समान रूप से की गई है और उक्त अभिव्यक्ति को एक समान अर्थ दिया गया है। इस प्रकार, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों को केवल सूची II की प्रविष्टि 34 से बाहर रखा गया है, जो केवल संसद द्वारा विनियमन के उद्देश्य से 'सट्टेबाजी और जुआ' से संबंधित है, न कि कर लगाने के लिए। (vii) सातवां, जब राज्य सरकार को 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कर लगाने की विधायी क्षमता है, क्योंकि सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत उक्त गतिविधि पर कर लगाने के लिए एक विशिष्ट कराधान प्रविष्टि प्रदान की गई है, तो उक्त प्रविष्टि की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और भारत सरकार या किसी राज्य की किसी सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी पर जुआ पर कराधान को उक्त प्रविष्टि के दायरे से बाहर करके और निहितार्थ से सूची I की प्रविष्टि 40 में पढ़कर प्रतिबंधित या संकीर्ण तरीके से नहीं की जानी चाहिए। (viii) आठवाँ, कर लगाने की ऐसी शक्ति को सूची I की प्रविष्टि 40 में निहितार्थ से या सूची I की प्रविष्टि 97 में अवशिष्ट शक्ति के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि इस तरह की व्याख्या का समर्थन किया जाता है, तो यह कर्नाटक और ए. एन. आर. की सूची में प्रविष्टियों की व्याख्या के तरीके के साथ हिंसा करेगा।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

और संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत साबित होता है और

ऊपर उद्धृत इस न्यायालय के निर्णय। (ix) नौवां, यदि राज्य सरकार सट्टेबाजी की किसी विशेष प्रजाति की अनुमति नहीं देती है और

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा लॉटरी के संगठन और संचालन सहित राज्य में जुआ गतिविधि किसी भी राज्य की सरकार स्पष्ट रूप से ऐसी गतिविधि पर कर नहीं लगा सकती है। लेकिन अगर यह सूची-2 की प्रविष्टि 34 के संदर्भ में राज्य के भीतर सट्टेबाजी और जुआ गतिविधि की किसी भी प्रजाति की अनुमति देता है, तो राज्य को सट्टेबाजी और लॉटरी सहित जुआ की ऐसी गतिविधि पर कर लगाने की विधायी क्षमता है, चाहे उसका संचालन कोई भी करे।

सूची II की प्रविष्टि 64 के अनुसार। (x) सूची I की दसवीं, प्रविष्टि 40 केवल भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों के विनियमन के लिए है। लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति को कवर करने के लिए उक्त प्रविष्टि का विस्तार नहीं किया जा सकता है

जब तक यह जुआ पर कर नहीं है जो केवल सूची II की केवल प्रविष्टि 62 के दायरे में है। दूसरे शब्दों में, द्वारा आयोजित लॉटरी के विनियमन में एकरूपता रखने के लिए भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार

भारत के क्षेत्र में, प्रविष्टि 40 सूची I में पाई जाती है और संसद के पास इसे विनियमित करने की शक्ति निहित है। (xi) ग्यारहवां, किसी राज्य में किसी निजी संस्था द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी सट्टेबाजी और जुआ गतिविधि को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जा सकता है। ऐसा सूची दो की प्रविष्टि 34 के कारण है जो सट्टेबाजी और जुए से संबंधित है जिसमें लॉटरी भी शामिल है और यह सूची एक की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत नहीं आती है (xii) बारहवीं, जब किसी राज्य की सरकार भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा लॉटरी के आयोजन या संचालन की अनुमति देती है, जिससे उन व्यक्तियों द्वारा लॉटरी की योजना में भागीदारी को सक्षम किया जाता है जिन्होंने राज्य में लॉटरी टिकट खरीदे हैं, तो क्षेत्रीय सांठगांठ को लॉटरी के रूप में स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह सट्टेबाजी और जुए की प्रजाति है।

राज्य के भीतर आयोजित किया जाता है जिसने लॉटरी के संचालन पर कर लगाने की मांग की है। इस तरह की सांठगांठ तब भी बनी हुई है जब [2022] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित अधिनियमों का मार्ग, सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत राज्य विधानमंडलों को प्रदत्त शक्ति से पता लगाया जा सकता है। उक्त प्रविष्टि में अन्य बातों के साथ-साथ 'सट्टेबाजी और जुआ' के पूरे वंश पर कर लगाने पर विचार किया गया है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हर प्रकार की 'लॉटरी', चाहे वह भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई हो या भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई हो। किसी राज्य की सरकार या किसी निजी संस्था द्वारा 'जुआ' की श्रेणी में शामिल किया जाता है, हमें उस राज्य को रखने का कोई कारण नहीं मिलता है

क्योंकि लॉटरी की ऐसी श्रेणी को सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत सट्टेबाजी और जुए से संबंधित नियामक क्षेत्र से बाहर रखा गया है और सूची I की प्रविष्टि 40 में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि ऐसे क्षेत्र को कराधान प्रविष्टि से बाहर रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सूची II की प्रविष्टि 62 में 'सट्टेबाजी और जुआ' शब्द का अर्थ उसी तरह से लगाया जा रहा है जैसे सूची II की प्रविष्टि 34 में किया गया है। अभिव्यक्ति को एक ही अर्थ दिया गया है और

दोनों प्रविष्टियों में व्याख्या, अर्थात, कि जुआ में लॉटरी शामिल हैं। हालाँकि, 'भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों' को सूची II की प्रविष्टि 34 से अलग करके संघ के पास रखा गया है। सूची II की प्रविष्टि 34 को इस सीमित सीमा तक अस्वीकार कर दिया गया है। सत्ता का ऐसा हस्तांतरण होता है

इसका मतलब यह नहीं है कि उपरोक्त प्रविष्टियों में से प्रत्येक में 'सट्टेबाजी और जुआ' शब्द का अलग-अलग अर्थ है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि नियामक उद्देश्यों के लिए, वर्दी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

भारत के पूरे क्षेत्र में कानून, संसद में कर्नाटक और ए. एन. आर. का राज्य है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

सूची II की प्रविष्टि 62 और इस प्रविष्टि के तहत कर लगाने की शक्ति हर प्रकार की लॉटरी के संबंध में बिना किसी भेद के फैली हुई है उसी का आयोजन करने वाली इकाई के लिए। [पैरा 120] [601-जी-एच; 602-ए]

4. इस प्रकार, लॉटरी के संदर्भ में, लॉटरी योजना का संगठन और संचालन एक अखिल भारतीय गतिविधि है, जब कोई राज्य सरकार भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार को उस राज्य में लॉटरी योजना आयोजित करने की अनुमति देती है, तो सूची II की प्रविष्टि 62 उस राज्य के विधानमंडल को उस पर कर लगाने में सक्षम बनाएगी। [पैरा 121] [602-बी] 5. इसलिए, हमारे विचार में, कर्नाटक और केरल राज्य के विधानमंडल विवादित अधिनियमों को लागू करने और उक्त संबंधित राज्यों में आयोजित और संचालित की जा रही 'सट्टेबाजी और जुआ' की गतिविधि पर कर लगाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे, जिसमें भारत सरकार या केरल सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी भी शामिल थी।

किसी भी राज्य की सरकार। [पैरा 122] [602-सी]

6. उच्च न्यायालयों की खंड पीठें सही नहीं थीं

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि राज्य विधानमंडलों को भारत सरकार द्वारा संचालित लॉटरियों पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है या

कर्नाटक राज्य में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को इस तरह की शक्ति के रूप में सूची I की प्रविष्टि 40 या प्रविष्टि 97 में पढ़ा जा सकता है और केवल संसद ही ऐसा कर लगा सकती है। चूंकि हमने माना है कि कर्नाटक और केरल राज्यों के पास था

विवादित अधिनियमों को लागू करने के लिए विधायी क्षमता, इसके तहत एकत्र किए गए कर की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। [पैरा 123] [602-डी-ई] 7. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों के सारांश पर आता हैः - ((i) वह विषय

' सूची II की प्रविष्टि 34 में 'सट्टेबाजी और जुआ' राज्य का विषय है। ((ii) इस न्यायालय के निर्णयों से अब यह स्पष्ट है कि 'लॉटरी' [2022] 18 एस. सी. आर.

जुआ गतिविधि की एक प्रजाति है और इसलिए लॉटरी के भीतर है

प्रविष्टि 34 सूची II में दिखाई देने वाले 'सट्टेबाजी और जुआ' का दायरा। (iii) 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति एक ऐसी गतिविधि से संबंधित है जो 'सट्टेबाजी और जुआ' की प्रकृति में है। इस प्रकार, सभी प्रकार और प्रकार के 'सट्टेबाजी और जुआ' सूची II की प्रविष्टि 34 के विषय में आते हैं। 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति इस प्रकार एक जीनस है जिसमें कई प्रकार या गतिविधियों की प्रजातियां शामिल हैं जैसे कि घुड़दौड़, चक्कर लगाना और 'सट्टेबाजी और जुआ' गतिविधि के अन्य स्थानीय बदलाव/रूप। विषय 'भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी'

सूची I की प्रविष्टि 40 एक संघ विषय है। यह केवल भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा सूची I की प्रविष्टि 40 के संदर्भ में आयोजित लॉटरी है जिसे सूची II की प्रविष्टि 34 से बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, यदि लॉटरी का संचालन निजी दलों द्वारा या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत उपकरणों या एजेंसियों द्वारा किया जाता है, तो यह सूची II की प्रविष्टि 34 के दायरे में आएगा। ((iv) इस प्रकार, राज्य विधानसभाओं को केवल सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत उनकी शक्तियों से वंचित किया जाता है।

भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों की सीमा, सूची I की प्रविष्टि 40 के संदर्भ में। दूसरे शब्दों में, सूची I की प्रविष्टि 40 के संदर्भ में जिन्हें बाहर रखा गया है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी गतिविधियाँ जो 'सट्टेबाजी और जुआ' की प्रकृति की हैं। यह सूची II की प्रविष्टि 34 के दायरे और दायरे में आएगा। इस प्रकार, 'सट्टेबाजी और जुआ' एक राज्य का विषय है, सिवाय इसके कि इसे सूची I की प्रविष्टि 40 के अनुसार अपनी शक्तियों से वंचित किया जा रहा है।

चिंतित हैं। (v) सूची II की प्रविष्टि 62 'मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुआ पर करों सहित विलासिता' पर एक विशिष्ट कराधान प्रविष्टि है। कर लगाने की शक्ति उन सभी गतिविधियों पर है जो लॉटरी सहित 'सट्टेबाजी और जुआ' की प्रकृति की हैं। चूंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लॉटरी, चाहे वह भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है या राज्य द्वारा अधिकृत है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी निजी खिलाड़ी की एजेंसी या साधन द्वारा संचालित की जाती है, 'सट्टेबाजी और जुआ' है, इसलिए राज्य विधानसभाओं को सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर उक्त प्रविष्टि के तहत 'सट्टेबाजी और जुआ' गतिविधियों पर विचार किया गया है जिसमें लॉटरी भी शामिल हैं, चाहे वह किसी भी संस्था द्वारा आयोजित की गई हो। इसलिए, विवादित कानून वैध हैं क्योंकि कर्नाटक और केरल राज्य विधानसभाओं के पास कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य थे।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

ऐसे अधिनियमों को अधिनियमित करने के लिए विधायी क्षमता। (vi) इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों का दायरा और दायरा या सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत राज्य सरकार केवल ऐसी लॉटरियों के विनियमन के दायरे में है। उक्त प्रविष्टि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरियों पर कर लगाने की शक्ति को अपने दायरे में नहीं लेती है। (vii) हमारा यह भी मानना है कि अन्य राज्यों की सरकार द्वारा लॉटरी योजनाएं कर्नाटक या केरल राज्य में आयोजित/संचालित की जाती हैं और इसके लिए विवादित अधिनियमों के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं।

सरकारों के अभिकर्ताओं या प्रवर्तकों का पंजीकरण

उत्तरदाताओं-लॉटरी का आयोजन करने वाले राज्यों और कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध। (viii) उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पाया कि केरल और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों की खंड पीठों का यह मानना सही नहीं था कि संबंधित राज्य विधानसभाओं को लॉटरियों पर कर लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी।

अपने राज्य में अन्य राज्यों द्वारा संचालित (क्रमशः कर्नाटक और केरल राज्य में)। [पैरा 124] [602-ई-एच; 603-ए-एच; 604-ए ई]

स्किल लोट्टो सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2020)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 990; गोविंद सरन गंगा सरन बनाम.

बिक्री कर आयुक्त ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 1041: [1985]

एस. सी. आर. 985; एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम की स्थिति

आंध्र प्रदेश आकाशवाणी 1958 एससी 468: [1958] एससीआर 1422;

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एससीसी 201 [2004] 1 एससीआर 564; सिंथेटिक्स

और केमिकल्स लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 109 [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 623; जलकल विभाग

नगर निगम बनाम प्रदेश औद्योगिक और निवेश

निगम (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 960; मफतलाल

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1997) 5 एस. सी. सी. 536

[1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 585; सोमैया ऑर्गेनिक्स (भारत)

लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2001) 5 एससीसी 519: [2001] 3 एससीआर 33; आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

आकाशवाणी 1967 एससी 1643: [1967] एससीआर 762; इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 12: [1989] 1

पूरक। एस. सी. आर. 692; जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम।

एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हरियाणा (2017) 12 एससीसी 1: [2016] 10 एस. सी. आर. 1 प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2005) 5 एस. सी. सी. 420 [2005] 2 एस. सी. आर. 23; भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लन (1971) 2 एस. सी. सी. 779: [1972] 2 एस. सी. आर. 33; सनराइज एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार (2006) 5 एस. सी. सी. 603: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 421; फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

भारत (1989) 3 एससीसी 634: [1989] 2 एससीआर 918; नई दिल्ली नगर परिषद बनाम पंजाब राज्य (1997) 7 एससीसी

339 [1996] 10 पूरक। एससीआर 472; महाराज सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1977 (1) एससीसी 155: [1977] 1 एस. सी. आर. 1072; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वाम कार्बनिक रसायन

सीमित और ओआरएस। (2004) 1 एससीसी 225: [2003] 4 पूरक।

एससीआर 957; उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. तुलोच ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1284 [1964] एस. सी. आर. 461

प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स, खुलना एयर 1947 पी. सी. 60; बॉम्बे राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा एयर 1951 एससी 318: [1951] एस. सी. आर. 682; अतिबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 232: [1961] एस. सी. आर. 809; उजागर प्रिंट्स बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 516: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770; संयुक्त प्रांत बनाम अतीका बेगम ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 16; कलकत्ता गैस कंपनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1044: [1962] पूरक। एस. सी. आर. 1; आर. एम. डी. सी. बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 628; [1957] एस. सी. आर. 930; पुनः। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1760: [1964] एस. सी. आर. 787; खैरबारी

टी कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 925:

[1964] एससीआर 975; होचस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम. बिहार राज्य ए. आई. आर. 1983 एससी 1019: [1983] 3 एससीआर 130; हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम. उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1961

एससी 459: [1961] एस. सी. आर. 537; बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमरबागवाला एयर 1957 एससी 699: [1957] एस. सी. आर. 874; एच. अनराज बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 2 एस. सी. सी. 292: [1984] 2 एस. सी. आर. 440; एच. अनराज बनाम तमिलनाडु सरकार (1986) 1 एस. सी. सी. 414: [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 342; हरियाणा राज्य बनाम मैसर्स सुमन एंटरप्राइजेज (1994) 4 एस. सी. सी. 217; बी. आर. उद्यम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(1999) 9 एस. सी. सी. 700: [1999] 2 एस. सी. आर. 1111; आर. एम. डी. सी. बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 594:

[1962] एस. सी. आर. 230; कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

सनराइज एसोसिएट्स बनाम सरकार। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2006) 5

एससीसी 603: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 421;-पर निर्भर था।

रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन लिमिटेड। वी. विलियम्स, (1976) 1

डब्ल्यू. एल. आर. 1109-संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 104; एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, पी।

रामनाथ अय्यर (छठा संस्करण), 104; शब्द और वाक्यांश

[स्थायी संस्करण] खंड। 25 - पृष्ठ 439,104 पर ए;

एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, पी. रामनाथ अय्यर (1997)

संस्करण), 104; संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश [ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 11 एडिन। , 2004] , 104 ; वेबस्टर्स

न्यू अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी (1981), 105-विश्वसनीय

पर।

मामला कानून संदर्भ

[1985] एससीआर 985

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1958] एससीआर 1422

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2004] 1 एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1989] 1 पूरक। एससीआर 623

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2001] 3 एससीआर 33

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

[1967] एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1989] 1 पूरक। एससीआर 692

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2016] 10 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2005] 2 एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1972] 2 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[2006] 1 पूरक। एससीआर 421

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[1989] 2 एससीआर 918

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

[1996] 10 पूरक। एससीआर 472

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[1977] 1 एससीआर 1072

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[2003] 4 पूरक। एससीआर 957

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[1964] एससीआर 461

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

उस पर भरोसा करें

[1961] एससीआर 809

उस पर भरोसा करें

पैरा 58

[1988] 3 पूरक। एससीआर 770

उस पर भरोसा करें

पैरा 58

[1962] पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

[1957] एससीआर 930

उस पर भरोसा करें

पैरा 63

[1964] एससीआर 787

उस पर भरोसा करें

पैरा 66

[1964] एससीआर 975

उस पर भरोसा करें

पैरा 67

[1983] 3 एससीआर 130

उस पर भरोसा करें

पैरा 70

[1961] एससीआर 537

उस पर भरोसा करें

पैरा 81

[1957] एससीआर 874

उस पर भरोसा करें

पैरा 108

[1984] 2 एससीआर 440

उस पर भरोसा करें

पैरा 108

[1985] 3 पूरक। एससीआर 342

उस पर भरोसा करें

पैरा 108

[1999] 2 एससीआर 1111

उस पर भरोसा करें

पैरा 108

[1962] एससीआर 230

उस पर भरोसा करें

पैरा 108

[2006] 1 पूरक। एससीआर 421

उस पर भरोसा करें

पैरा 108

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 10466

10476 2011 से।

उच्च न्यायालय के 27.12.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

बैंगलोर में कर्नाटक की रिट अपील संख्या। 2251 , 2131 , 2132 , 2220 , 2246 , 2221 , 2225 , 2248 2007 का और 2008 का 749,750,895 (जी. एम.-एल. ओ. टी. टी.)।

के साथ सिविल अपील सं। 101-102 2012 का सिविल अपील सं. 2021 का 911,

सिविल अपील सं। 869-870 और 2022 का 871।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., निखिल गोयल, ए. ए. जी., पल्लव शिशोदिया, सीनियर।

एड. , शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह, सुश्री मीना के. पी., अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमित कुमार, विवेक कोहली, महाधिवक्ता, अरविंद दातार, एस.

के. बगारिया, सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अविजीत मणि त्रिपाठी, आदित्य शंकर पांडे, सुश्री विशाखा कुमार, राहुल उन्नीकृष्णन, शौर्य सहाय, शफी माथेर, सिद्धार्थ चौधरी, समीर अभ्यंकर, सुश्री येशी रिनचेन, कुमार अजीत सिंह, अभिनव मिश्रा, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, भार्गव वी. देसाई, कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी।

अजीत कुमार, शिवम जसरा, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, श्रीमती गुरकलाम होरा अरोड़ा, अमित भटनागर, सुबोध पांडे, अभिषेक शर्मा, सुश्री तातिनी बसु, गौतम नारायण, कार्तिक सेठ, सुश्री श्रिया गिलहोत्रा, मेसर्स चैंबर्स ऑफ कार्तिक सेठ के लिए सुश्री गरिमा सक्सेना, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना जे।

सूचकांक *

विवाद पर पक्षियों का नज़रिया

1 .

.....4

2 .

प्रस्तुतियाँ।

..... 5

2.1 . अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँः

2.1. 1 . राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

कर्नाटक।

..... 5

2.1. 2 . केरल राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ। 9

2.2 . उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँः

2.2. 1 . नागालैंड राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ। 11

2.2. 2 . सिक्किम राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ। 22 2.2. 3 . Meghalaya.26 राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

3 .

तर्कों का जवाब दें।

..... 29

4 .

विचार के लिए बिंदु।

..... 34

5. संवैधानिक योजना।

..... 35

6. विचाराधीन अधिनियमः

6.1 . लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998।

..... 62

6.2 . लॉटरी अधिनियम, 2004 पर कर्नाटक कर।

6.3 . पेपर लॉटरी अधिनियम, 2005 पर केरल कर।

..... 67

7. कराधान के मानदंड।

..... 69

8. 'सट्टेबाजी और जुआ' और 'लॉटरी' का अर्थ

..... 73

9. चर्चा.

..... 100

10. निष्कर्षों का सारांश।

..119

* एड। ध्यान दें: सूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन अपीलों को कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों द्वारा प्राथमिकता दी गई है जो कर्नाटक सरकार द्वारा पारित निर्णयों से व्यथित हैं।

संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों की खंड पीठें। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 27 दिसंबर, 2010 और 7 मार्च, 2011 के विवादित फैसलों के माध्यम से कहा कि कर्नाटक विधानमंडल के पास लॉटरी अधिनियम, 2004 (जिसे इसके बाद "कर्नाटक अधिनियम, 2004" के रूप में संदर्भित किया गया है) पर कर्नाटक कर को पारित करने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं है और इसके परिणामस्वरूप, उन उत्तरदाता राज्यों द्वारा जमा की गई राशि को, जिन्होंने लॉटरी योजनाओं का आयोजन किया था, विवादित की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर उन्हें वापस करने का निर्देश दिया।

निर्णय।

पेपर लॉटरी पर केरल कर अधिनियम, 2005 लागू करने की क्षमता (इसके बाद "केरल अधिनियम, 2005") के रूप में संदर्भित किया गया और इसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया। उत्तरदाता राज्यों को उचित लेखा और प्रमाण प्रस्तुत करने पर उक्त अधिनियम के तहत केरल राज्य द्वारा पहले से एकत्र किए गए कर की वापसी की मांग करने की स्वतंत्रता सुरक्षित थी और केरल राज्य को बिना किसी देरी के ऐसे प्रमाण के मूल्यांकन के आधार पर देय राशि की वापसी करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश जारी किया गया था।

3. व्यथित होने के कारण, कर्नाटक, केरल और अन्य राज्य इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रहे हैं। यहाँ उत्तरदाता नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और अन्य राज्य हैं जो कर्नाटक और केरल राज्यों में लॉटरी के आयोजकों के साथ-साथ प्रवर्तक भी हैं।

विवाद के बारे में पक्षियों का नज़रियाः

'राज्य सरकार', जो सूची I की प्रविष्टि 40 में एक विषय है, उक्त लॉटरियों पर कर लगाने की शक्ति को भी शामिल करता है? नतीजतन, क्या सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत राज्य विधानमंडल को उक्त विषय पर कर लगाने की शक्ति से वंचित किया गया है? दूसरे शब्दों में, क्या विषय सूची I की प्रविष्टि 40 में शामिल सूची II की प्रविष्टियों 34 और 62 के दायरे और दायरे को प्रतिबंधित करता है। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो क्या कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर.।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कर लगाने के लिए विधानमंडलों के पास कोई विधायी क्षमता नहीं है।

नतीजतन, इन मामलों में सवाल यह है कि क्या कर्नाटक और केरल राज्यों के विधानमंडल के पास कानून बनाने की विधायी क्षमता थी

कर्नाटक अधिनियम, 2004 और केरल अधिनियम, 2005 क्रमशः। इसके अलावा, क्या ये अधिनियम असंवैधानिक हैं क्योंकि ये अतिरिक्त क्षेत्रीय हैं?

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँः

कर्नाटक राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँः

5. अपीलार्थी-कर्नाटक राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने तर्क दिया कि कर्नाटक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विवादित कानून लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कर लगाने का प्रयास नहीं करता है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित दो मामलों का उल्लेख कियाः (i) सनराइज एसोसिएट्स बनाम सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी.-[(2006) 5 एस. सी. सी. 603] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लॉटरी टिकट केवल कार्रवाई योग्य दावे हैं न कि वस्तु या सेवाएँ और सूची II की प्रविष्टि 54 और; (ii) स्किल लोट्टो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को लागू करते हुए कर नहीं लगाया जा सकता है। लिमिटेड बनाम। भारत संघ-[2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 990] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नई केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सी. जी. एस. टी.) व्यवस्था के तहत, 1 जुलाई, 2017 के बाद, कार्रवाई योग्य दावों को वस्तु और सेवा कर के कर नेटवर्क के तहत लाया जाता है। (जीएसटी)।

6. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन कर, न तो लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कर है और न ही लॉटरियों पर कार्रवाई योग्य है

दावे और सूची II की प्रविष्टि 54 के किसी भी संदर्भ का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि लॉटरी पर कर बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) या जी. एस. टी. नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि विचाराधीन कर जुआ पर एक कर है जिसका पता सूची II की प्रविष्टि 62 में लगाया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सट्टेबाजी और जुआ पर कर से संबंधित है। यह तर्क दिया गया कि कर्नाटक लॉटरी अधिनियम, 2004 को उपरोक्त प्रविष्टि के तहत शक्ति के अनुसरण में पारित किया गया था और कर्नाटक राज्य विधानमंडल के पास विधायी क्षमता थी - इस तरह का कानून बनाएँ।

7. आगे विस्तार से बताते हुए यह बताया गया कि सूची I की प्रविष्टि 40 है

उसी के आलोक में संसद द्वारा केवल एक 'नियामक प्रविष्टि' और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (जिसे इसके बाद 'लॉटरी अधिनियम, 1998' के रूप में संदर्भित किया गया है) अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम केवल 'विनियमन' से संबंधित है और राज्य लॉटरियों के कराधान के क्षेत्र में संसद की अधिकार क्षेत्र की अक्षमता के कारण 'कराधान' से संबंधित नहीं है। सूची II की प्रविष्टि 34 [2022] 18 एस. सी. आर. है।

एक 'नियामक प्रविष्टि' भी। उक्त प्रविष्टि सट्टेबाजी और जुए से संबंधित है, जिसमें लॉटरी भी शामिल हैं जो सूची I की प्रविष्टि 40 के दायरे में नहीं आती हैं। इसके विपरीत, सूची II की प्रविष्टि 62 जुआ और सट्टेबाजी पर एक विशिष्ट कर प्रविष्टि है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि कराधान का स्रोत सूची II की प्रविष्टि 62 है न कि सूची II की प्रविष्टि 54 और कर लॉटरी टिकटों की बिक्री या खरीद पर नहीं है।

8. यह आगे तर्क दिया गया कि कर्नाटक अधिनियम, 2004 की धारा 2 (4) और धारा 6 के संयुक्त पठन पर यह इंगित करेगा कि 'शुल्क' या 'कर' लॉटरी पर एक कर है, यानी उन व्यक्तियों के भाग लेने की संभावना पर लॉटरी और लॉटरी में पुरस्कार जीतने का मौका, जो जुआ के नामकरण के भीतर आता है। बम्पर ड्रॉ के मामले में कराधान का उपाय रु. 1,50,000/- है और किसी अन्य ड्रॉ के मामले में रु. 1,00,000/- है।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील का आगे अनुच्छेद 6 में उल्लेख किया गया है

गोविंद सरन गंगा सरन बनाम बिक्री कर आयुक्त-[ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 1041] का कहना है कि जब किसी व्यक्ति पर कर लगाने के लिए कर के स्रोत और कर योग्य घटना की घटना, उपाय के साथ उपलब्ध है, तो इस तरह के शुल्क पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

10. श्री वेंकटरमन ने अगला आग्रह किया कि जहां एक नियामक शक्ति है

और कर लगाने की शक्ति विभिन्न स्रोतों के लिए पता लगाने योग्य है और संवैधानिक योजना के तहत अलग रखा जाता है, ऐसे मामले में, नियामक प्रविष्टि जैसा कि एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम कंपनी में आयोजित किया गया था, एक कर प्रविष्टि को शामिल नहीं कर सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य-[ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 468] और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड-[(2004) 10 एस. सी. सी.

201] . उन्होंने आगे सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य-[(1990) 1 एस. सी. सी. 109] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विनियमन, विकास या नियंत्रण की शक्ति में कर या शुल्क लगाने की शक्ति शामिल नहीं होगी, सिवाय इसके कि उक्त शुल्क केवल एक विनियामक उद्देश्य के लिए हो। कि राजस्व बढ़ाने के लिए कर या शुल्क लगाने की शक्ति के साथ निहित रहना जारी रखने की अनुमति है

विनियामक शक्ति संघ के पास होने के बावजूद राज्य विधानमंडल। सिंथेटिक्स और केमिकल्स (ऊपर दिए गए) में उस अनुपात को हाल ही में जलकल विभाग नगर निगम बनाम प्रदेश औद्योगिक और

निवेश निगम-[2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 960] और पहली बार आर. एम. डी. सी. बनाम मैसूर राज्य-[ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 594] में निर्धारित किया गया था। 11. श्री वेंकटरमण ने आगे तर्क दिया कि तत्काल मामले में लगाया गया कर इसके संचालन में अतिरिक्त-क्षेत्रीय नहीं है क्योंकि कर कर्नाटक राज्य में जुआ खेलने के कार्य पर है और जब कर्नाटक और ए. एन. आर. के एक से अधिक राज्य हैं।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

राज्य शामिल है, नेक्सस सिद्धांत परीक्षण लागू किया जाना है। रिलायंस को बॉम्बे बनाम राज्य पर रखा गया था। आर. एम. डी. चमरबागवाला-[आकाशवाणी]

1957 एससी 699], जिसमें तीन सिद्धांतों को पूरा करने की आवश्यकता,

अर्थात्, वास्तविक और भ्रामक संबंध नहीं; अधिरोपित किए जाने की मांग की गई देयता उस संबंध और केवल संबंध को प्रभावित करने वाले संबंध के लिए प्रासंगिक हो। नीति निर्धारित की गई थी न कि विधान की वैधता। ऐसे मामले में, जब जुए के कार्य में कर्नाटक राज्य के प्रतिभागी होते हैं, तो कर योग्य घटना से एक वास्तविक संबंध होता है और विवादित कानून के तहत शुल्क उस संबंध के लिए प्रासंगिक होता है, हालांकि लॉटरी कर्नाटक राज्य के किसी अन्य राज्य द्वारा आयोजित की जाती है।

12. यह आगे तर्क दिया गया कि लॉटरी अतिरिक्त हैं

वाणिज्य यानी व्यापार और वाणिज्य के दायरे से बाहर और इसलिए, इसे न तो कला के तहत संरक्षण मिलेगा। 19 (1) (छ) व्यापार, व्यवसाय, व्यवसाय या वाणिज्य से संबंधित और न ही अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षण

अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय से निपटना, भले ही राज्य संचालक हो, जैसा कि आर. एम. डी. के मामलों में माना गया था।

चमरबागवाला (ऊपर) और बी. आर. एंटरप्राइजेज बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य-[(1999) 9 एस. सी. सी. 700]

केरल राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँः

13. अपीलार्थी-केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पल्लव शिशोदिया ने कर्नाटक राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों को अपनाया। उन्होंने निम्नलिखित अतिरिक्त किया प्रस्तुतियाँः

उन्होंने प्रस्तुत किया कि केरल अधिनियम, 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, प्रतिवादी पहले से ही कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

कोई भी ड्रॉ, उसकी धारा 10 के तहत। यहाँ प्रत्यर्थियों ने वास्तव में एक रिट याचिका दायर की जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ अनिवार्य रिट की मांग की गई-केरल राज्य ने उन्हें अग्रिम कर स्वीकार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 को चुनौती देने वाली एक सहयोगी याचिका दायर की गई थी जो थी

10 जनवरी, 2007 को केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया और उसके बाद 30 मार्च, 2007 को खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई। मामला इस न्यायालय में आया और 16 जुलाई, 2014 के आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की अग्रिम कर स्वीकार करने के संबंध में पुष्टि की गई; हालाँकि, उसने उपरोक्त धारा की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। 14. श्री शीशोदिया, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं को यह साबित करने का अवसर दिया गया

था कि 2006-2010 अवधि के दौरान भुगतान किए गए कर का बोझ उपभोक्ताओं/[2022] 18 एस. सी. आर. पर नहीं डाला गया था।

लॉटरी टिकटों के खरीदार। कि यह कानून के विपरीत है और वर्तमान मामले में पूरी तरह से अनुचित था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर पूरा भरोसा किया। भारत संघ - [(1997) 5 एस. सी. सी. 536] जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक खंडन योग्य धारणा है कि एक निर्धारिती द्वारा वहन किया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ताओं को दिया जाता है। यहां तक कि जब किसी कर की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है, तो धनवापसी की राहत केवल तभी दी जा सकती है जब निर्धारिती यह आरोप लगाने और यह स्थापित करने का दावा करता है कि वास्तव में, अंतराल में एकत्र किए गए कर का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया था।

15. अंत में, श्री शीशोदिया, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि तत्काल मामले में कर अवधि वर्षों तक सीमित है 2006-2010

जिसके बाद केरल राज्य में सिक्किम राज्य की लॉटरियों को बंद कर दिया गया क्योंकि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की सूचना मिली थी। उक्त प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा लॉटरी अधिनियम, 1998 की धारा 6 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए लगाया गया था, जिसकी पुष्टि 12 जून, 2015 को सी. बी. आई. द्वारा जांच और आगे की जांच के बाद की गई थी। उन्होंने आग्रह किया कि यदि यह निवेदन कि राज्य लॉटरी पर कर नहीं लगा सकता है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय को, तब अब तक की गई वसूली की गैर वापसी को मान्य करने के लिए इसे संभावित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने हमारा ध्यान सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत की ओर आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश राज्य-[(2001) 5 एस. सी. सी. 519] जिसमें आई. सी. गोलकनाथ बनाम। पंजाब राज्य-[ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1643] और इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम. तमिलनाडु राज्य

[(1990) 1 एस. सी. सी. 12] पर भरोसा किया गया है।

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँः

नागालैंड की ओर से प्रस्तुतियाँः

16. 2011 की सिविल अपील No.10467 में नागालैंड राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने निम्नलिखित मुख्य तर्क उठाएः

विधायी क्षमता से संबंधित विवाद,

((i)

या कर्नाटक राज्य की कमी।

((ख)

कि विवादित अधिनियम, प्रभावी रूप से कर लगाने का प्रयास करता है

लॉटरी की बिक्री।

((iii) कि विवादित अधिनियम अतिरिक्त कार्य करना चाहता है।

क्षेत्रीय रूप से।

(iv) उत्तर कोरिया के सामने आने वाली आवश्यकताओं से संबंधित विवाद

राजस्व उत्पन्न करने में पूर्वी राज्य।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

17. श्री. सी. आर्यमा सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि

कर्नाटक राज्य के पास कर लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी।

उत्तरदाताओं-राज्यों की सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी। यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी, सूची I की प्रविष्टि 40 के दायरे में आती हैं और इसलिए ऐसी लॉटरी से संबंधित कोई भी कानून केवल संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है।

18. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि लॉटरियों का आयोजन

भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार, सूची II की प्रविष्टियों 34 या 62 के तहत आने वाले विधायी क्षेत्रों के भीतर नहीं थी, जो 'सट्टेबाजी और जुए' को विनियमित करने के लिए कानून बनाने और 'मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर' लगाने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है। कि हालांकि 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति को जीनस के रूप में माना जा सकता है, जिसके भीतर 'लॉटरी' एक प्रजाति है, भारत सरकार या किसी भी सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी का विशिष्ट क्षेत्र

राज्य को 'सट्टेबाजी और जुआ' के वंश से अलग किया गया है और इसे सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसे केवल संसद द्वारा विनियमित या कर के अधीन किया जा सकता है। अन्य में

शब्दों में, यह तर्क दिया गया था कि सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत परिकल्पित सट्टेबाजी और जुए पर कर उन लॉटरियों तक सीमित होंगे जो न तो भारत सरकार द्वारा और न ही किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि कर्नाटक राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विचाराधीन अधिनियम केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कर लगाने का प्रयास करता है, इसलिए यह कर्नाटक राज्य की विधायी क्षमता से परे है। कि कर्नाटक राज्य ने विवादित अधिनियम को लागू करके प्रयास किया है

एक ऐसे पहलू पर विधान बनाना जो संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र के भीतर है और इसलिए उक्त अधिनियम संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ऐसा घोषित करने के लिए उत्तरदायी है।

19. उपरोक्त दलीलों को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखाः

((i)

एच. अनराज बनाम महाराष्ट्र राज्य-[1984 (2) एससीसी 292]

जिसमें इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या महाराष्ट्र राज्य संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के तहत राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश पर भरोसा करके अन्य राज्यों के लॉटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो [2022] 18 एस. सी. आर.

लॉटरी के संचालन के संबंध में संघ का। इस न्यायालय ने कहा कि संसद के पास भारत सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है

या किसी राज्य की सरकार। यह भी देखा गया कि राज्य की संगठित लॉटरियों को विशेष रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि 34 के तहत 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति से राज्यों के विधायी क्षेत्र के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

हरियाणा राज्य बनाम मैसर्स सुमन एंटरप्राइजेज-[(1994) 4 एस. सी. सी. 217] एक ऐसा मामला है जिसमें इस न्यायालय ने यह निर्णय लेते हुए कि क्या हरियाणा राज्य अन्य राज्यों की लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना जारी कर सकता है, यह अभिनिर्धारित किया कि अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरियों का विनियमन राज्य का विषय नहीं है, बल्कि संसद की अनन्य नियामक शक्ति के भीतर है।

सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत।

20. यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि पूर्व-उद्धृत निर्णय सूची II की प्रविष्टि 62 का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं देते हैं और केवल यह मानते हैं कि राज्य

संगठित लॉटरी को विशेष रूप से प्रवेश 34 के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

सूची II के अनुसार, "सट्टेबाजी और जुआ" इन दोनों प्रविष्टियों में दिखाई देने के रूप में एक समान तरीके से समझा जाना चाहिए; अर्थात् वे केवल उन लॉटरियों को शामिल करते हैं जो सरकार के अलावा अन्य द्वारा आयोजित की जाती हैं। भारत या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा। इस संबंध में, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम. हरियाणा राज्य-[2017 (12) एस. सी. सी. 1] को यह तर्क देने के लिए सेवा में लगाया गया था कि एक ही अभिव्यक्ति, यदि एक ही सूची में अलग-अलग प्रविष्टियों में उपयोग की जाती है, तो उसका एक ही अर्थ होगा। इसलिए, हालांकि राज्य संगठित लॉटरियों को विशेष रूप से सूची II की प्रविष्टि 34 में दिखाई देने वाली "सट्टेबाजी और जुआ" अभिव्यक्ति से अलग किया गया है, यह माना जा सकता है कि सूची II की प्रविष्टि 62 में दिखाई देने वाले "सट्टेबाजी और जुआ" में भी राज्य संगठित लॉटरियां शामिल नहीं हैं।

21. इस संबंध में यह भी आग्रह किया गया कि यदि सूची II की प्रविष्टि 34 एक सामान्य प्रविष्टि है जो राज्य की नियामक शक्ति से संबंधित है।

'सट्टेबाजी और जुए' के क्षेत्र में विधानमंडल, सूची II की प्रविष्टि 62 राज्य विधानमंडल के साथ 'सट्टेबाजी और जुए' पर कराधान की अधिक विशिष्ट शक्ति निहित करती है। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक दी गई अभिव्यक्ति, जैसा कि एक सामान्य प्रविष्टि में दिखाई देती है, का अर्थ एक निश्चित पद को बाहर करना होगा। वस्तु, तब स्वाभाविक रूप से यह होगा कि ऐसी वस्तु को भी एक विशिष्ट प्रविष्टि से बाहर रखा जाएगा जो उक्त अभिव्यक्ति को नियोजित करती है। तत्काल मामले में, भारत सरकार या कर्नाटक और ए. एन. आर. के सरकारी राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

किसी भी राज्य को विशेष रूप से 'सट्टेबाजी और जुआ' के दायरे से बाहर रखा गया है जैसा कि सूची II की प्रविष्टि 34 में दिखाई देता है, इसलिए, यह होगा कि इसे सूची II की प्रविष्टि 62 से भी बाहर रखा जाएगा जो एक संकीर्ण शक्ति है, जो केवल कराधान से संबंधित है। संदर्भ दिया गया था प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य-[2005 (5) एस. सी. सी. 420] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक संकीर्ण या प्रतिबंधात्मक व्याख्या आम तौर पर एक विधायी शीर्षक के लिए नहीं दी जाएगी जो प्रकृति में सामान्य है। इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि हालांकि एक सामान्य प्रविष्टि को आमतौर पर एक प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जाता है, जब असाधारण मामलों में एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या दी जाती है, तो ऐसी व्याख्या को न केवल सामान्य प्रविष्टि के संबंध में प्रभावी बनाया जाना चाहिए, बल्कि विशिष्ट प्रविष्टियों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए जो उसी शब्द का उपयोग करती हैं जैसा कि व्याख्या की गई थी।

22. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि करों को लागू करने की एकमात्र और अनन्य शक्ति जो सूची I और सूची II में निर्दिष्ट प्रविष्टियों के तहत शामिल विधायी क्षेत्रों से परे है, केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 (3) और अनुच्छेद 265 के साथ पठित सूची I की प्रविष्टि 97 के आधार पर संसद के पास निहित होगी। उपरोक्त विवाद के समर्थन में, नागालैंड राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लन-[1971 (2) एस. सी. सी. 779] के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने विधायी क्षमता के प्रश्न पर विचार करते हुए

कि विवादित अधिनियम, वास्तव में लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कर लगाने का प्रयास करता हैः 23. नागालैंड राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि वास्तव में विवादित अधिनियम, भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कर लगाने का प्रयास करता है और इस तरह के क़ानून को लागू करने की विधायी क्षमता का पता सूची II की प्रविष्टि 62 से नहीं लगाया जा सकता है। उक्त प्रविष्टि 'मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुआ पर करों सहित विलासिता पर कर' लगाने की शक्ति से संबंधित है। इस तरह के कर लगाने की घटना या घटना या तो लॉटरी का संचालन या लॉटरी टिकटों की बिक्री और खरीद होगी। कि विवादित अधिनियम को लागू करके, राज्य विधानमंडल ने लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कर लगाने की मांग की, जो सनराइज एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार [2022] 18 एस. सी. आर. मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में अनुमत नहीं था।

- [(2006) 5 एस. सी. सी. 603] उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लॉटरी टिकट बिक्री कर अधिनियम के अर्थ के भीतर सामान नहीं थे और इसलिए वे बिक्री कर के अधीन नहीं हो सकते हैं।

कि विवादित अधिनियम ने गुप्त तरीके से लॉटरी टिकटों की बिक्री पर बिक्री कर लगाने की मांग की, जिसकी अनुमति नहीं है।

"किसी भी लॉटरी प्रवर्तक द्वारा आयोजित ड्रॉ की वास्तविक संख्या को विनियमित करने" के इरादे से अधिनियमित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जबकि बयान उद्देश्यों और कारणों को इस तरह से रखा गया है जैसे कि कानून सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों की मात्रा या लॉटरी प्रमोटर द्वारा आयोजित ड्रॉ की संख्या को विनियमित करने का प्रयास करेगा, वास्तव में, कर की मांग की गई है।

कर्नाटक राज्य के भीतर हुआ। कि किसी राज्य द्वारा कर लगाए जाने के लिए, कर योग्य घटना राज्य के भीतर होनी चाहिए। कि, एकमात्र घटना जो राज्य के भीतर हुई है कर्नाटक में लॉटरी टिकटों की बिक्री होती थी और यह कर योग्य नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इसमें अपीलकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करना चाहते थे, जो सीधे नहीं किया जा सकता था।

कि विवादित अधिनियम अतिरिक्त-क्षेत्रीय रूप से संचालित करना चाहता हैः

26. श्री आर्यम सुंदरम ने इसके बाद तर्क दिया कि किसी भी गतिविधि पर कर लगाने के लिए राज्य के बीच एक क्षेत्रीय सांठगांठ होनी चाहिए।

इस गतिविधि पर कर लगाने और कर लगाने की मांग की गई। तत्काल मामले में, भले ही कर्नाटक राज्य की ओर से की गई प्रस्तुति कि गतिविधि पर कर लगाया जाना चाहिए, लॉटरियों में भाग लेने की प्रवृत्ति है, ऐसी गतिविधि का कोई भी हिस्सा कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य के भीतर उत्पन्न या नहीं हुआ है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

कर्नाटक। लॉटरी के संचालन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियाँ, जैसे लॉटरी की योजना का निर्माण और अधिसूचना, लॉटरी टिकटों की छपाई, लॉटरी टिकटों का परिवहन, ड्रॉ का संचालन, विजेताओं की घोषणा, कर्नाटक की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर की गई थीं और इसलिए, लॉटरी का संचालन कर्नाटक राज्य द्वारा कर के अधीन नहीं हो सकता है। इस संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 (3) का संदर्भ यह तर्क देने के लिए दिया गया था कि राज्य सरकार के पास राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है। राज्य सरकार के पास अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से परे अपने कानूनों का विस्तार करने की शक्ति नहीं है। यदि किसी राज्य के कानून को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से परे की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में काम करने की अनुमति दी जाती है, तो वह

अन्य राज्यों की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण का प्रभाव पड़ता है।

27. नागालैंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

इसके बाद प्रस्तुत किया गया कि आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया था, तत्काल मामले में उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा। कि उक्त मामले में, कई गतिविधियाँ, जैसे लॉटरी और पुरस्कार के लिए प्रपत्रों की बिक्री और वितरण

प्रतियोगिताएँ, प्रवेश शुल्क का संग्रह, लॉटरी और पुरस्कार प्रतियोगिताओं से संबंधित विज्ञापनों का प्रकाशन, सभी बॉम्बे राज्य के भीतर आयोजित किए गए थे और इसी संदर्भ में इस न्यायालय ने माना कि बॉम्बे राज्य के पास कानून बनाने की विधायी क्षमता है।

बॉम्बे लॉटरी और पुरस्कार प्रतियोगिता नियंत्रण और कर अधिनियम, 1948, जिसमें बॉम्बे राज्य में लॉटरी और पुरस्कार प्रतियोगिताओं पर कर को नियंत्रित करने और लगाने की मांग की गई थी। उक्त मामले में, क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा दो शर्तें निर्धारित की गई थीं: (ए) वास्तविक और भ्रामक संबंध नहीं; (बी) लगाया जाने वाला दायित्व अनिवार्य रूप से उक्त संबंध से संबंधित होना चाहिए। इस संदर्भ में, यह आग्रह किया गया था कि इन मामलों में आरोपित राज्य अधिनियम वनों की स्थिति को संतुष्ट करेंगे

केवल लॉटरी टिकटों की बिक्री और वितरण, जो गतिविधि किसी भी मामले में कर योग्य नहीं है। इसलिए, उक्त मामले पर अपीलार्थियों द्वारा रखी गई निर्भरता गलत थी।

राजस्व उत्पन्न करने में पूर्वोत्तर राज्यों के सामने आने वाली आवश्यकताओं से संबंधित विवादः

28. यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित विधान की धारा 10

कर लगाने के लिए लॉटरी का आयोजन करने वाले राज्य को अग्रिम रूप से कर जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि

नागालैंड राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए हानिकारक। विद्वान वरिष्ठ वकील ने उस कठिनाई को समझाया जो उक्त योजना [2022] 18 एस. सी. आर. से उत्पन्न हो सकती है।

जारी रखने की अनुमति हैः कर्नाटक राज्य कर राशि अग्रिम रूप से एकत्र करता है। भुगतान किए जाने वाले कर की राशि की गणना बिना किसी ध्यान के की जाती है।

कभी-कभी, कर्नाटक राज्य पूरी योजना पर कर का लाभ उठाने का हकदार होगा। 29. यह भी आग्रह किया गया कि यदि विवादित अधिनियम को वैध माना जाता है तो यह प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के लिए खुला रहेगा।

देश इसी तरह का कानून बनाएगा और इसके परिणामस्वरूप एक स्थिति पैदा होगी

एक ही घटना के कई कराधान। इसके अलावा, यदि आयोजक राज्य को योजना से संबंधित कर को पहले से जमा करना पड़ता है, तो प्रत्येक में

राज्य जहाँ इसी तरह का अधिनियम बनाया जा सकता है, वहाँ इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहाँ लॉटरी योजनाएं अब आयोजक राज्य के लिए राजस्व का स्रोत नहीं होंगी। बी. आर. एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए राजस्व के स्रोत के रूप में लॉटरी के महत्व को मान्यता दी गई थी। यह आग्रह किया गया कि कर्नाटक राज्य को लॉटरी आयोजित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारों में कटौती करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

30. उपरोक्त प्रस्तुतियों पर, नागालैंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलों को खारिज करने की मांग की।

सिक्किम राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँः

2011 की सिविल अपील संख्या 10,467 में नागालैंड राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील। उन्होंने आगे प्रस्तुतियों के बारे में विस्तार से बताया 'सट्टेबाजी और जुआ' के वंश से 'लॉटरी' की प्रजातियों का बहिष्कार जैसा कि एच. अनराज द्वारा सूची II की प्रविष्टियों 34 और 62 में दिखाई देता है।

(ऊपर) और मैसर्स सुमन एंटरप्राइजेज (ऊपर)। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि एच. अनराज (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय ने सूची II की प्रविष्टि 34 की जांच करते हुए राज्य विधानमंडल के विधायी क्षेत्र से 'लॉटरियों' को बाहर कर दिया था और सूची II की प्रविष्टि 62 के उक्त निर्णय में कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, लेकिन यह माना जा सकता है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'लॉटरियों' को राज्य विधानमंडल के विधायी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

प्रविष्टि 34 के साथ-साथ सूची II की प्रविष्टि 62 में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति 'सट्टेबाजी और जुआ'। इस तर्क के समर्थन में, आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर) में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था जिसमें कर्नाटक और ए. एन. आर. का एक राज्य था।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

' 'सट्टेबाजी और जुआ' से बनी लॉटरियों को प्रविष्टि 62 पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि सूची II की प्रविष्टि 34 पर लागू होता है। 32.इसके बाद यह तर्क दिया गया कि विवादित अधिनियम, अर्थात् केरल लॉटरी अधिनियम, कर लगाने की घटना और कर के माप के बीच कोई अंतर नहीं करता है, यानी कर की विषय वस्तु और उस मानक के बीच अंतर जिसके द्वारा कर की राशि को मापा जाना है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संदर्भित किया गया था।

विधायिका से। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि लॉटरी का 'ड्रॉ', जैसा कि विवादित अधिनियम की धारा 6 में दिखाई देता है, केवल एक उपाय है और कर योग्य घटना नहीं है। कि विवादित अधिनियम अस्पष्ट और अनिश्चित है और लॉटरी पर कर की आड़ में, लॉटरी की बिक्री पर कर लगाने का प्रयास करता है।

33. केरल राज्य के विवादित अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों का संदर्भ यह तर्क देने के लिए दिया गया था कि लगाया जाने वाला कर था

प्रभावी रूप से लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कर। उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रभार का प्रावधान है। इसमें केवल यह कहा गया है कि अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला कर 'पेपर लॉटरी पर कर' है। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि लॉटरी के संचालन के किस पहलू पर कर लगाया जाना चाहिए। जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (i) ने 'लॉटरी' को भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी के रूप में परिभाषित किया है, शुल्क या कर लगाने की घटना के रूप में ऐसी परिभाषा से कुछ भी नहीं लगाया जा सकता है। यह भी आग्रह किया गया कि अधिनियम की धारा 7 (1) और 8 (1) अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा करती है कि किसी भी प्रवर्तक की बिक्री में शामिल

लॉटरी टिकटों को अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए और रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए। धारा 8 (2) एक प्रमोटर पर कर की देनदारी लगाती है जिसने पंजीकरण और दाखिल किया है।

अधिनियम की धारा 7 (1) और 8 (1) के तहत विवरणी। इस संबंध में यह [2022] 18 एस. सी. आर. था।

प्रस्तुत किया कि यह प्रमोटर है, जो टिकटों की बिक्री में शामिल है, जिसे कर का बोझ वहन करने की आवश्यकता है और इसलिए, राज्य सरकार ने केरल में पेपर लॉटरी की बिक्री पर बिक्री कर लगाया है, जो सनराइज एसोसिएट्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में अस्वीकार्य है। कि शुल्क प्रावधान में किसी भी स्पष्टता के अभाव में कि कर योग्य घटना क्या होगी और विवादित अधिनियम की धारा 7 और 8 के संयुक्त पठन पर, केवल यह कटौती की जा सकती थी कि घटना पर कर लगाया गया था लॉटरी की बिक्री।

34. केरल राज्य की ओर से दिए गए विवाद के जवाब में, इस प्रभाव से कि राज्य पर लगाए गए कर का बोझ

सिक्किम को उपभोक्ता को सौंपा जा रहा था और इसलिए, सिक्किम राज्य उस स्थिति में भी लगाए गए कर की वापसी का दावा करने का हकदार नहीं था जब विवादित अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि धनवापसी प्राप्त करना अन्यायपूर्ण संवर्धन के बराबर होगा, यह आग्रह किया गया था कि अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) के माध्यम से किसी राज्य पर लागू नहीं था। इसलिए, केरल राज्य द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना एकत्र किए गए कर की राशि वापस की जानी चाहिए।

मेघालय राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँः

35. श्री अरविंद पी. दातार, मेघालय राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और श्री अमित कुमार, के लिए विद्वान महाधिवक्ता

मेघालय राज्य ने नागालैंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. आर्यमा सुंदरम की दलीलों को अपनाया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कर लगाने की विशेष संसदीय शक्ति के संबंध में एक अतिरिक्त तर्क दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि 'राज्य लॉटरी' के विधायी क्षेत्र से संबंधित विधायी क्षमता का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 का संदर्भ दिया जाना चाहिए। उक्त अधिनियम ने 'राज्य लॉटरियों' के विनियमन के लिए सूची I की प्रविष्टि 47 में प्रावधान किया है। उक्त अधिनियम ने सूची II की प्रविष्टि 36 में 'सट्टेबाजी और जुए' के विनियमन और सूची II की प्रविष्टि 50 के तहत 'मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर' लगाने की शक्ति प्रदान की। उस संदर्भ में, यह आग्रह किया गया कि राज्य लॉटरी हमेशा संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र के भीतर रही हैं और सूची II में दिखाई देने वाली 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति से बनाई गई हैं। 36. यह आगे तर्क दिया गया कि लॉटरियों पर कर लगाने की शक्ति की प्रविष्टि 40 के तहत सामान्य विधायी शक्ति में निहित है।

सूची I. कर्नाटक और ए. एन. आर. की सूची I और राज्य की कुछ प्रविष्टियों के लिए संदर्भित विद्वान वरिष्ठ वकील।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

II यह तर्क देना कि जहां भी सामान्य विधायी क्षेत्र या नियामक क्षेत्र से संबंधित विधायी क्षमता कराधान से अलग है

इस क्षेत्र में, इस तरह के अलगाव को संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। चूंकि इस तरह का अंतर लॉटरी के संदर्भ में नहीं किया गया है

सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत, इस प्रविष्टि का दायरा अप्रतिबंधित है और केंद्र और राज्य द्वारा आयोजित लॉटरियों के लिए हर प्रकार का कानून इसके दायरे में है।

महत्वाकांक्षा।

37. श्री दातार ने इसके बाद तर्क दिया कि विवादित कानूनों की वैधता को बनाए रखना और उन्हें संचालित करने की अनुमति देना संघवाद और अंतर-सरकारी प्रतिरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इस संबंध में, नई दिल्ली नगर परिषद बनाम राज्य पर निर्भरता रखी गई थी।

पंजाब-[(1997) 7 एस. सी. सी. 339] जिसमें इस न्यायालय ने अंतर-सरकारी प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर चर्चा करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त सिद्धांत भारत में भी काम करेगा, हालांकि एक सीमित सीमा तक। भारतीय संदर्भ में, संघ को राज्य की किसी भी कार्रवाई से प्रदत्त प्रतिरक्षा पूर्ण है; जबकि संघ के कार्यों से राज्यों को प्रतिरक्षा संविधान के अनुच्छेद 289 के अनुसार है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित कानून संघ पर लगाए गए करों का भुगतान न करने के लिए उस पर ब्याज और जुर्माना लगाने का प्रयास करते हैं और धन रखने का भी प्रावधान करते हैं

देय कर की वसूली के लिए संघ के कारण। कि कानून के ऐसे प्रावधान अंतर-सरकारी प्रतिरक्षा के सिद्धांत के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और वर्तमान में भारत में काम कर रहा है।

38. मेघालय राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

आग्रह किया कि पीठ और पदार्थ के सिद्धांत और पहलुओं के सिद्धांत की तत्काल पदार्थ के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है। कि पीठ और सार के सिद्धांत का उपयोग एक अदालत द्वारा एक क़ानून को अधिकार से बाहर घोषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, जब क़ानून का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे पहलू पर कानून बनाना है जो इसे अधिनियमित करने वाली विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर है, जबकि एक आकस्मिक या सहायक उद्देश्य

कानून द्वारा प्राप्त करने पर दूसरी सूची में शाखा बनाने का प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, तत्काल मामले में, विवादित क़ानूनों का केवल एक ही उद्देश्य है। कर लगाने के लिए केंद्र और राज्य ने लॉटरियों का आयोजन किया। इसलिए, वे पूरी तरह से संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसी तरह, यह तर्क दिया गया कि पहलुओं का सिद्धांत

विवादित विधानों की शक्तियों को बनाए रखने के लिए सेवा में लगाया नहीं जा सकता है क्योंकि उक्त सिद्धांत का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क़ानून में दो पहलू पाए जाते हैं और ऐसे प्रत्येक पहलू का पता [2022] 18 एस. सी. आर. से लगाया जा सकता है।

एक अलग सूची में विधायी क्षेत्र। हालांकि, तत्काल मामले में, विवादित विधानों का केवल एक पहलू है, जिसका पता एकल प्रविष्टि द्वारा कवर किए गए विधायी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। सूची I की प्रविष्टि 40।

तर्कों का जवाबः

39. कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वेंकटरमण, की ओर से की गई प्रस्तुतियों के जवाब में

नागालैंड राज्य ने कहा कि यदि प्रस्तुतिकरण यह है कि सूची I की प्रविष्टि 40 के आधार पर, संघ सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत कर लगाने की शक्ति प्राप्त करता है, तो यह एक आत्म-पराजित प्रस्तुतिकरण होगा। यह भी तर्क दिया गया कि सूची I की प्रविष्टि 97 का सहारा केवल सूची I और सूची II के तहत विशिष्ट प्रविष्टियों को समाप्त करने के बाद ही लिया जा सकता है। यह संतुष्ट नहीं किया जा सकता है कि सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत शक्ति सुरक्षित है क्योंकि सूची II की प्रविष्टि 62 में आज तक कभी भी कोई बदलाव, विकृति या कोई निंदा नहीं हुई है। 40. इस संबंध में यह समझाया गया कि सूची I की प्रविष्टि 42 अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख करती है। कि मूल रूप से स्थानीय बिक्री कर के साथ अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य पर कर केवल सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य द्वारा लगाया गया था। 1956 में छठे संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद ही, राज्य की शक्तियों को अस्वीकार कर दिया गया था और सूची I में प्रविष्टि 92 ए को शामिल करके संघ को विशेष शक्ति प्रदान की गई थी। जब सूची II की प्रविष्टि 62 को अस्वीकार नहीं किया गया है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि सूची I की प्रविष्टि 40 अपने भीतर समाहित हो सकती है, जो कि ढिल्लों परीक्षण की अनदेखी करते हुए सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत उपलब्ध होगी।

41. अनुच्छेद 246 (1) के संबंध में मेघालय राज्य की प्रस्तुतियों के जवाब में कि उक्त प्रावधान के तहत, संसद ने

किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति

सूची I में सूचीबद्ध और इसलिए, सूची I की प्रविष्टि 40 केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कराधान की शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, यह आग्रह किया गया कि उक्त प्रावधान को इंसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सूची I और II क्रमशः संघ और राज्यों में अनन्य शक्तियां निहित करती हैं और इसलिए एक को दूसरे के लिए सांत्वना में नहीं पढ़ा जा सकता है।

42. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आर. एम. डी. सी. बनाम मैसूर राज्य (ऊपर) में संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक

संघ को विनियामक या किसी अन्य शक्ति का अर्थ कराधान शक्ति का समर्पण नहीं हो सकता है। कर लगाने की शक्तियों की पहचान हमेशा स्वतंत्र रूप से की जाती है।

और जब तक ऐसी शक्ति को स्थानांतरित, अस्वीकृत या विकृत नहीं किया जाता है, तब तक इसे निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि एम. पी. वी. सुंदररामियर (ऊपर) में माना गया है।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

43. अनुच्छेद 289 से संबंधित प्रस्तुतिकरण के संबंध में, श्री वेंकटरमण ने बताया कि किसी राज्य की आय पर कर लगाने के लिए संघ के खिलाफ एक 'संवैधानिक प्रतिबंध' है, और उस पर अनुच्छेद 289 के आधार पर कर नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि द्वारा प्रति संचालित कोई भी गतिविधि

इस मामले में राज्य लॉटरी आयोजित करने वाले राज्य पर अनुच्छेद 289 के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है।

44. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तब नागालैंड राज्य द्वारा उठाए गए निवेदन को संबोधित किया कि चूंकि केंद्र जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत लॉटरियों पर कर लगा रहा है, इसलिए जी. एस. टी. युग से पहले भी कराधान की शक्ति केंद्र के पास निहित होगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त निवेदन सही नहीं था क्योंकि यह कहना गलत था कि संघ जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत कर लगा रहा है। यह आग्रह किया गया कि जी. एस. टी. शक्ति और कानून के क्षेत्र दोनों के संदर्भ में अनुच्छेद 246 ए के लिए एक अद्वितीय कर है, जिसके तहत कर योग्य घटना एक है, अर्थात् आपूर्ति और कर लगाने की शक्ति केंद्र और राज्यों दोनों के पास निहित है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 246 शक्ति का स्रोत है और सूची I और II में प्रविष्टियाँ निम्नलिखित क्षेत्र हैं -

कानून जिनकी व्याख्या की जानी चाहिए। 45. इस तर्क के जवाब में कि लॉटरी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आय का मुख्य स्रोत है और गंभीर पूर्वाग्रह होगा

यदि अपीलार्थी-राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जाती है, तो राज्य के राजस्व के कारण, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि कराधान कानूनों में कोई समानता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों ने अन्य राज्यों के क्षेत्र का उपयोग करके अपना लॉटरी राजस्व अर्जित किया है। ऐसे मामले में, यह दलील देने के लिए खुला नहीं है कि ऐसे राज्यों को अपनी कर लगाने की शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए

केवल इसलिए कि यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हानिकारक होगा।

(उपर्युक्त) जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'विनियमन और नियंत्रण की शक्ति' कराधान की शक्ति से अलग और अलग है और इसी तरह विधान के उद्देश्य के लिए क्षेत्र भी हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्यों अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरियों के संबंध को छोड़कर अपने-अपने राज्यों में 'सट्टेबाजी और जुआ' को विनियमित करने के लिए कानून बना सकते हैं, जो सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत विधायी क्षमता रखने वाले संसद द्वारा अधिनियमित लॉटरी अधिनियम, 1998 द्वारा शासित रहेंगे। हालाँकि, 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कर लगाना सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत कानून का एक अलग क्षेत्र है।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. यह आगे तर्क दिया गया कि जुआ का विनियमन और जुआ गतिविधि पर कर लगाने के दो अलग-अलग और अलग-अलग क्षेत्र हैं

कानून, सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत राज्य संगठित लॉटरियों पर कर लगाने के लिए राज्यों की विधायी शक्ति की चौड़ाई को सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत केंद्र की नियामक शक्तियों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, भले ही केवल नियामक शक्तियां हों।

राज्य संगठित लॉटरियों को विनियमित करने के लिए राज्यों की संख्या को सूची II की प्रविष्टि 34 से निकाला गया है। 48. अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, केरल राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने वैधानिक सिद्धांतों में अध्याय 5, सहायक नियमों का उल्लेख किया।

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा 'एक ही शब्द एक ही अर्थ' शीर्षक के तहत लिखी गई व्याख्या। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक ही अभिव्यक्ति के एक ही क़ानून या यहां तक कि एक ही प्रावधान में अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं, यदि संदर्भ की आवश्यकता हो। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस ओर से महाराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-[1977 (1) एस. सी. सी. 155] के मामले का हवाला दिया।

49. यह भी आग्रह किया गया कि सूची दो में प्रविष्टि 34 और प्रविष्टि 62 के तहत 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति के संबंधित संदर्भ बहुत अलग हैं। सूची II की प्रविष्टि 34 में 'सट्टेबाजी और जुआ' पर राज्य की नियामक शक्तियों के विधायी क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जबकि सूची II की प्रविष्टि 62 में राज्यों द्वारा 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कराधान के विधायी क्षेत्र का वर्णन किया गया है। राज्य के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

केरल सरकार ने केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर जोर दिया और कहा कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (ऊपर) के मामले में भी उपरोक्त मामले के सिद्धांतों को मंजूरी दी गई है।

50. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नियामक शक्तियां केंद्र के पास हैं और कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और अन्य पर भरोसा किया। – [2004

(1) एस. सी. सी. 225] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विनियामक उद्देश्यों के लिए लगाए गए कर या शुल्क को कर प्रविष्टि के तहत कर के रूप में गलत नहीं माना जाना चाहिए। पूर्ण कराधान के लिए नियामक शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि,

लॉटरी अधिनियम, 1998 के तहत कुछ नियामक शुल्क लगाना कोई कर नहीं है और यह किसी भी तरह से सूची II की प्रविष्टि 62 के दायरे को कम नहीं करता है। निष्कर्ष निकालने के लिए, केरल राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एक लेन-देन में केंद्रीय और राज्य दोनों करों को आकर्षित करने के लिए कई पहलू हो सकते हैं जैसा कि फेडरेशन ऑफ होटल एंड सर्विसेज में आयोजित किया गया था। भारतीय रेस्तरां संघ (ऊपर)।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

51. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के ध्यान में यह सिद्धांत लाया कि 'विशिष्ट' में 'सामान्य' शामिल नहीं है और कर प्रविष्टि सामान्य नियामक प्रविष्टि के दायरे को सीमित कर देगी, जैसा कि श्री अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित भारत के संविधान पर टिप्पणी (दूसरा संस्करण, खंड 2, Pg.2145) में समझाया गया था।

52. केरल राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि सूची II की प्रविष्टि 62 को अब दृढ़ता से देखते हुए बंद कर दिया गया है। स्थापित जी. एस. टी. व्यवस्था। उन्होंने कहा कि अपीलों के वर्तमान समूह में सूची II की प्रविष्टि 62 की व्याख्या अतीत में भुगतान किए गए करों से संबंधित है।

विचार करने के लिए बिंदु

53. विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील को सुनना

संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने और अभिलेख के अवलोकन पर, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होंगेः

क्या केंद्र द्वारा आयोजित विषय लॉटरी

((i)

सरकार और राज्य सरकारों को "सट्टेबाजी और जुए" से अलग किया जा रहा है, जिसे सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत निपटाया गया है और जिसे सूची I की प्रविष्टि 40 में रखा गया है, इस पर कर लगाने की शक्ति को भी सूची की प्रविष्टि 62 में शामिल नहीं किया जाएगा।

सूची II?

((ख)

क्या 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कराधान की शक्ति है

सूची II की प्रविष्टि 62 के दायरे में?

क्या कर्नाटक द्वारा विवादित अधिनियम पारित किए गए और

(iii)

केरल राज्य विधानमंडल विधायी निकायों के भीतर हैं। सूची II की प्रविष्टि 62 की क्षमता, और इसलिए मान्य हैं

कानून के टुकड़े?

((iv) कौन सा आदेश?

संवैधानिक योजना

54. आसान और तत्काल संदर्भ के लिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों को नीचे दिया गया है:

" 245. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार और

राज्यों के विधानमंडल -

(1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल पूरे या किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकता है।

राज्य का हिस्सा।

(2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन होगा।

246. संसद और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय राज्यों के विधानमंडल-(1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को सातवीं में सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

अनुसूची (इस संविधान में 'संघ सूची' के रूप में संदर्भित)।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी -

सातवीं अनुसूची (इस संविधान में 'समवर्ती सूची' के रूप में संदर्भित) में सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहां माल, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है। स्पष्टीकरण। - इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 279 क के खंड (5) में निर्दिष्ट वस्तु और सेवा कर के संबंध में, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होंगे।]

X X X कर्नाटक और ए. एन. आर. का राज्य। ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

248. विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ (1) अनुच्छेद 246 ए के अधीन, संसद को किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति है जिसकी गणना संविधान में नहीं की गई है।

समवर्ती सूची या राज्य सूची (2) इस तरह की शक्ति में कर लगाने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी जिसका उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है।

एक्स एक्स एक्स

265. कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाए जाएंगे कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।

एक्स एक्स

एक्स

सूची I की प्रविष्टियाँ 40 और 97

40. भारत सरकार या सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी

एक राज्य की सरकार।

97. कोई अन्य विषय जो सूची II या सूची III में सूचीबद्ध नहीं है, जिसमें शामिल हैं -

कोई भी कर जो उन सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है। सूची II की प्रविष्टियाँ 34 और 62

34. सट्टेबाजी और जुआ। 62 * . विलासिता पर कर, जिसमें मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुआ पर कर शामिल हैं।

[* जैसा कि यह 16.09.2016 से प्रभाव के साथ इसके प्रतिस्थापन से पहले खड़ा था

जो इन मामलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है]।

प्रावधानों की पृष्ठभूमि में संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित कुछ मुख्य पहलुओं का उल्लेख किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। उक्त अनुच्छेद को तीन सूचियों-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के साथ पढ़ना होगा। संघ के साथ-साथ राज्यों की कर लगाने की शक्तियों का भी अलग-अलग सीमांकन किया गया है

संघ सूची के साथ-साथ राज्य सूची यानी क्रमशः सूची I और सूची II में प्रविष्टियाँ। सूचियों में प्रविष्टियाँ संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत प्रदत्त विधायी शक्तियों के क्षेत्र हैं। दूसरे शब्दों में, प्रविष्टियाँ संघ और राज्य की विधायी क्षमता के क्षेत्रों को परिभाषित करती हैं। विधायिका।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

55. अनुच्छेद 246 द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है

संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निम्नानुसारः

अनुच्छेद 246 के खंड (1) में कहा गया है कि किसी भी चीज के बावजूद

(अ)

खंड (2) और (3) में संसद को विशेष शक्ति है -

सूची I (संघ सूची) में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाएँ। इस मामले में, हम सूची I की प्रविष्टि 40 से संबंधित हैं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों से संबंधित है।

संविधान के अनुच्छेद 246 के खंड (2) में कहा गया है कि

(ख)

खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और

किसी भी राज्य के विधानमंडल को सूची-III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भी है। (समवर्ती सूची)।

इसके खंड (3) में कहा गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल

((ग)

सूची-II (राज्य सूची) में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में राज्य के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। तथापि, अनुच्छेद 246 का खंड (3) खंड (1) और (2) के अधीन है।

जो एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होता है।

56. कानून बनाने की शक्ति जिससे अनुच्छेद 246 के तहत निपटा जाता है

संघ और राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता के संबंधित क्षेत्रों को परिभाषित करने वाली तीन सूचियों में प्रविष्टियों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इन प्रविष्टियों की व्याख्या करते समय, उन्हें संकीर्ण या अदूरदर्शी तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनके अर्थ को व्यापक दायरा देकर देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से जब एक मूर्ति के प्रावधान के अधिकारों पर हमला किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रविष्टि को कानून के सार को देखकर एक उदार निर्माण दिया जाना चाहिए, न कि इसके केवल रूप को। हालांकि, एक स्पष्ट संघर्ष के मामले में प्रविष्टियों की व्याख्या करते समय, न्यायालय द्वारा सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए या

उन्हें सुलझाएँ। जहां दो प्रविष्टियों के बीच एक स्पष्ट अतिव्यापी है, वहां अधिनियम के वास्तविक चरित्र और उस प्रविष्टि का पता लगाने के लिए पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को लागू किया जाता है जिसके भीतर यह आएगा। पीठ और पदार्थ के सिद्धांत का, संक्षेप में, अर्थ है, यदि एक अधिनियम

काफी हद तक स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के भीतर आता है

जिस विधानमंडल ने इसे अधिनियमित किया, उस पर संविधान को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह संयोग से किसी अन्य विधानमंडल को सौंपे गए मामलों का अतिक्रमण करता है। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जहां अतिव्यापी है, सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि किस प्रविष्टि से, कानून का एक टुकड़ा संबंधित हो सकता है। यदि कर्नाटक और ए. एन. आर. के किसी अन्य राज्य के लिए आरक्षित क्षेत्र में कोई खाई है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

विधायिका, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। अधिनियमन या उसके किसी प्रावधान के वास्तविक स्वरूप की जांच करने के लिए, समग्र रूप से अधिनियमन और उसके दायरे और उद्देश्यों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि किसी अन्य विधायी क्षेत्र में आक्रमण का प्रश्न सार से निर्धारित किया जाना चाहिए न कि डिग्री से।

57. सूची-I और सूची-II में प्रविष्टियों के बीच किसी भी टकराव के मामले में, सूची-I के तहत कानून बनाने के लिए संसद का प्रावधान तब समाप्त हो जाएगा जब

क्षेत्र को संघ सूची या समवर्ती सूची द्वारा प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम द्वारा कवर किया जाता है। बैंक ऑफ कॉमर्स, खुलना-[AIR 1947 P. C. 60]। सार और सार नियम के अनुसार, यदि कोई कानून उस विधानमंडल की क्षमता के भीतर है जिसने इसे बनाया है, तो यह अमान्य नहीं होगा क्योंकि यह संयोग से झूठ बोलने वाले विषय को छूता है। बम्बई राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा-[ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 318] द्वारा एक अन्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर।

59. अनुच्छेद 246 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति संबंधित सूचियों में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में है। उक्त अभिव्यक्ति विधायी सूचियों में शामिल विभिन्न प्रविष्टियों में शामिल विषय मामलों के संबंध में कानून बनाने की संबंधित विधानमंडल की शक्ति की सीमा को इंगित करता है। इसलिए, जहां प्रविष्टि कर के किसी उद्देश्य का वर्णन करती है, उस उद्देश्य से संबंधित सभी कर योग्य घटनाएँ कानून के उस क्षेत्र के भीतर हैं जब तक कि घटना विशेष रूप से एक अलग विधायी शीर्ष के तहत कहीं और प्रदान नहीं की जाती है। इस प्रकार, न्यायालय को विधान की वैधता का निर्णय करते समय विधान के वास्तविक स्वरूप और प्रकृति का पता लगाना होगा। विधायी सूचियों की व्याख्या करते समय सार और सार के सिद्धांत को लागू करना यह देखने की आवश्यकता है कि क्या एक अधिनियम [2022] 18 एस. सी. आर.

काफी हद तक स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के भीतर आता है

विधानमंडल पर संविधान जिसने इसे अधिनियमित किया। यदि ऐसा होता है, तो इसे केवल इसलिए अमान्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह एफ. एन. बलसारा (ऊपर) के माध्यम से किसी अन्य विधानमंडल को सौंपे गए मामलों का आकस्मिक रूप से अतिक्रमण करता है।

60. उजागर प्रिंट्स (ऊपर) में, यह देखा गया था कि विधायी सूचियों में प्रविष्टियों को एक से प्रेरित एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए

व्यापक और उदार भावना और संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रविष्टियाँ विधायी शक्ति के स्रोत नहीं हैं, बल्कि केवल विषय या विधान के क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 246 में 'के संबंध में' अभिव्यक्ति विधायी शक्ति के प्रयास की समझ में और जहां भी प्रश्न का प्रश्न हो, उसमें सार और सार का सिद्धांत लाती है।

विधायी क्षमता बढ़ाई जाती है, परीक्षा यह है कि क्या विधान, देखा गया

समग्र रूप से, काफी हद तक विधान के विशेष विषय के संबंध में है। सार और सार के सिद्धांत को लागू करने के लिए, (i) समग्र रूप से अधिनियम को, (ii) इसके मुख्य उद्देश्य को, और (iii) प्रावधान के दायरे और प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

61. एक बार जब विधान प्रश्नगत विधायी प्रविष्टि के 'संबंध में' पाया जाता है जब तक कि अन्य संवैधानिक न हों

62. संबंधित सूचियों में प्रविष्टियों का अर्थ लगाते समय एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनमें सामंजस्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। प्रविष्टियों की सामग्री ताकि एक प्रविष्टि की व्याख्या से कलकत्ता गैस कंपनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य-[ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1044] के माध्यम से दूसरी प्रविष्टि की पूरी सामग्री का अनुवाद न हो। यह विशेष रूप से तब होता है जब एक अलग सूची या एक ही सूची में कुछ प्रविष्टियां ओवरलैप हो सकती हैं या एक दूसरे के साथ सीधे संघर्ष में प्रतीत हो सकती हैं।

ऐसी स्थिति में, प्रविष्टियों का मिलान करने और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण करने का कर्तव्य न्यायालय पर डाला जाता है। इस प्रकार, दोनों प्रविष्टियों को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रयास किया जाना चाहिए और इस तरह एक सुलह या सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर पहुंचना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक ऐसी रचना का पालन नहीं किया जाना चाहिए जो प्रविष्टियों में से एक नूगेटरी या डेड लेटर को कम कर दे।

63. उपरोक्त चर्चा का क्रम यह है कि यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून पारित करता है जो उसकी विधायी क्षमता से परे है, तो यह अमान्य है।

एब-इनिशियो। कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य के अधिकार क्षेत्र के अभाव में इस विधान को अमान्य कर दिया गया है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

या आर. एम. डी. सी. बनाम भारत संघ द्वारा विधायी क्षमता-[ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 628]।

64. चूँकि ये अपीलें अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश की व्याख्या से संबंधित हैं।

62 सूची-II की, जो एक कराधान प्रविष्टि है, संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि न केवल शुल्क बल्कि कर संग्रह भी कानून द्वारा अधिकृत होना चाहिए। अधिरोपित किया जाने वाला कर, कर अधिरोपित करने वाले विधानमंडल की क्षमता के भीतर होना चाहिए और कर की वैधता का निर्णय उस समय विधानमंडल की क्षमता के संदर्भ में किया जाना चाहिए जब कर को प्राधिकृत करने वाला कानून अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कर लगाने वाला कानून वैध रूप से लागू किया गया होगा। इस प्रकार, कर लगाने की शक्ति का अनुमान निहितार्थ से नहीं लगाया जा सकता है। शक्ति का स्रोत जो विशेष रूप से कराधान की बात नहीं करता है, उसकी व्याख्या इसकी चौड़ाई का विस्तार करके नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें निहितार्थ या आवश्यक निष्कर्ष द्वारा कर लगाने की शक्ति शामिल है। केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माध्यम से कर लगाने के लिए राज्य को विशेष रूप से सशक्त बनाने के लिए एक प्रभार अनुभाग होना चाहिए। (ऊपर)।

65. मामलों के इस समूह में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यह है

विधान-मंडल द्वारा बनाए गए कराधान कानूनों की वैधता से संबंधित अन्य पहलुओं पर विचार करना अनावश्यक है। , कि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकार आदि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान अपीलों के लिए जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह सवाल है कि क्या विवादित अधिनियम संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं जो विशेष मामलों से संबंधित विधायी शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं।

66. इसके अलावा, अनुच्छेद 289 के तहत, संघ कर नहीं लगा सकता है

संपत्ति

और किसी राज्य की आय रु। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम-[ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1760]। यह संघवाद और अंतर के सिद्धांतों पर आधारित है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार द्वारा घोषित सरकारी प्रतिरक्षा। हालाँकि, अनुच्छेद 289 के खंड (2) के तहत, संघ किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय के संबंध में, यदि कोई हो, किसी भी कर को लागू या अधिकृत कर सकता है, जो संसद कानून द्वारा प्रदान करे।

किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से, या उससे जुड़े किसी संचालन पर, या प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई या कब्जा की गई किसी संपत्ति पर।

ऐसे व्यापार या व्यवसाय की, या उसके संबंध में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली कोई आय। अनुच्छेद 289 के खंड (2) में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय के किसी भी वर्ग को सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित कर सकती है, जिस स्थिति में अनुच्छेद 289 का खंड (2) लागू नहीं होगा।

67. इसके अलावा, जब विधानमंडल को कर लगाने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो शक्ति का व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसमें शामिल होना चाहिए

कर अधिरोपित करने और वस्तुओं या वस्तुओं का चयन करने की शक्ति

ऐसी शक्ति का प्रयोग। इसमें दर तय करने और कर की वसूली के लिए तंत्र निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल होनी चाहिए। करों को लागू करने में, विधानमंडल करों को एकत्र करने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकता है और किसी भी व्यक्ति द्वारा देय कर की राशि निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि कर की कोई चोरी न हो। ये सभी प्रावधान खैरबारी टी कंपनी लिमिटेड बनाम खैरबारी टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कर लगाने की मुख्य शक्ति के सहायक हैं। असम राज्य-[ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 925]

गैरकानूनी संवर्धन का सिद्धांत। न्यायालय संबंधित करदाता को राहत देने से इनकार कर सकता है जिसने अंततः उपरोक्त का भुगतान किया था, लेकिन मध्यस्थ को उनसे राशि एकत्र करने और सरकार को भुगतान करने के लिए नहीं। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। समय बीतने के साथ, यह माना गया है कि कोई भी धनवापसी नहीं दी जा सकती है ताकि किसी भी व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ हो जब उसने कर का बोझ न झेला हो। मफतलाल इंडस्ट्रीज (ऊपर) के अनुसार क्षतिपूर्ति का अधिकार न तो स्वचालित है और न ही बिना शर्त। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धनवापसी के दावे की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि कि उसने दूसरों पर बोझ नहीं डाला है।

69. उपरोक्त प्रस्तावना के साथ, हम कराधान के संबंध में एक प्रविष्टि की व्याख्या पर बार में उद्धृत प्रासंगिक मामले कानून पर विचार करेंगे।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

70. संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, सूची I और II को अनिवार्य रूप से दो समूहों में विभाजित किया गया हैः एक, शक्ति से संबंधित कर की शक्ति से संबंधित निर्दिष्ट विषयों और अन्य पर कानून बनाना। होचस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम. बिहार राज्य-ए. आई. आर. 1983 एस. सी.

1019] , यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायी क्षमता के उद्देश्यों के लिए कराधान को एक अलग मामला माना जाता है।

सूची II में कर प्रविष्टियों की संख्या तब भी जब किसी गतिविधि का विनियमन सूची I में प्रविष्टि के तहत प्रदान किया जाता है। वे हैं (i) एम. पी. वी. सुंदररामियर (उपर्युक्त) और (ii) केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) इन निर्णयों पर विचार करते समय बार में उद्धृत अन्य मामलों के लिए भी संदर्भ दिया जाएगा, विशेष रूप से

सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ऊपर) और हरमन सिंह ढिल्लन (ऊपर)।

एम. पी. वी. सुंदररामियरः

72. एम. पी. वी. सुंदररामियर (ऊपर) में, याचिकाकर्ता बिक्री के लिए मद्रास शहर (अब चेन्नई) में व्यापार करने वाले विक्रेता थे। और धागे की खरीद, और उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पूर्ववर्ती आंध्र राज्य को प्रतिबंधित करने वाले निषेध या किसी अन्य उपयुक्त रिट को जारी करने के लिए याचिकाएं दायर की थीं।

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के पक्ष में उनके द्वारा की गई कुछ बिक्री पर कर लगाने के लिए कार्यवाही करने से प्रदेश ने इस आधार पर कि उक्त बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान की गई थी और संविधान के अनुच्छेद 286 (2) में निहित निषेध के कारण उन पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता था। उक्त मामले में विचार किए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर संसद की अनन्य क्षमता के भीतर था, और क्या उक्त मामले में अधिनियम (मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939; 'मद्रास अधिनियम', संक्षेप में) और 1947 के मद्रास सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन इसके परिणामस्वरूप था। बुरा, क्योंकि इसने राज्य को बिक्री कर लगाने के लिए अधिकृत किया।

73. तर्क यह था कि सूची I की प्रविष्टि 42 अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी और उस प्रविष्टि के तहत, संसद को अंतर-राज्यीय व्यापार के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति थी और

वाणिज्य, जिसमें अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने की शक्ति भी शामिल थी और इसलिए राज्य विधानमंडल को संविधान के तहत ऐसी बिक्री पर कर लगाने वाला कानून बनाने की कोई क्षमता नहीं थी और कानून [2022] 18 एस. सी. आर.

संविधान के अधिनियमन के बाद राज्यों द्वारा पारित, इस तरह के कर को लागू करना अधिकार से बाहर और शून्य था और इसलिए, उक्त मामले में आरोपित अधिनियम भी अधिकार से बाहर था। यह तर्क दिया गया था कि सूची I में प्रविष्टि 42 की सामग्री अमेरिकी संविधान के वाणिज्य खंड के समान थी और इसलिए इसका यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि

एक ही प्रभाव। यह भी तर्क दिया गया कि अंतरराज्यीय बिक्री पर कर लगाने की शक्ति राज्य में निहित नहीं है। कि संविधान के प्रवर्तन के बाद, किसी राज्य का कोई भी कानून अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर नहीं लगा सकता था और इसलिए उक्त मामले में मद्रास अधिनियम की धारा 22, जो संविधान के लागू होने के बाद लागू हुई और इस तरह के कर को लागू करने की मांग की गई थी, कानून में गलत थी।

संविधान की सूची I की प्रविष्टि 42 के अनुरूप लेकिन सूची II में प्रविष्टि 48 थी जो संविधान की सूची II की प्रविष्टि 54 के अनुरूप थी। संविधान। कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची II की प्रविष्टि 48 के तहत राज्य को अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने के लिए एक कानून पारित करने की शक्ति थी क्योंकि प्रविष्टि की अवधि शामिल करने के लिए पर्याप्त थी।

अंतर-राज्य बिक्री के साथ-साथ अंतर-राज्य बिक्री भी। हालाँकि, संविधान के पहली बार लागू होने के बाद सूची I की एक नई प्रविष्टि 42 को जोड़ा गया और इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कर अंतर-राज्य बिक्री जो पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत सूची II की प्रविष्टि 48 के तहत उनकी विधायी क्षमता के भीतर थी।

75. इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि सूची I की प्रविष्टि 42 को अधिनियमित करते समय संविधान निर्माता इस शक्ति को शामिल कर सकते थे -

अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर को अमेरिकी संविधान के तहत वाणिज्य खंड के आलोक में सूची I की प्रविष्टि 42 के निर्माण द्वारा अनुमान लगाने के लिए छोड़ने के बजाय। पैराग्राफ 51 में ऐसा कहते हुए, यह

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 51. सूची 1 में प्रविष्टियाँ 1 से 81 तक उन कई मामलों का उल्लेख करती हैं जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। प्रविष्टियाँ 82 से 92 उन करों की गणना करती हैं जो एक कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं

संसद। प्रविष्टियों के इन दो समूहों की जांच से पता चलता है कि जबकि कानून का मुख्य विषय पहले समूह में आता है,

उसके संबंध में कर का उल्लेख दूसरे में अलग से किया गया है। इस प्रकार, सूची I में प्रविष्टि 22 "रेलवे" है, और प्रविष्टि 89 "रेलवे, समुद्र या हवाई मार्ग से ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर अंतिम कर; कर्नाटक और ए. एन. आर. का राज्य कर" है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

रेलवे किराए और माल ढुलाई पर "। यदि प्रविष्टि 22 को लगाए जाने वाले करों के रूप में समझा जाना है, तो प्रविष्टि 89 अनावश्यक होगी। प्रविष्टि 41 में "विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमा शुल्क सीमाओं के पार आयात और निर्यात" का उल्लेख है। यदि इन अभिव्यक्तियों की व्याख्या उस व्यापार और वाणिज्य के संबंध में लगाए जाने वाले शुल्कों को शामिल करने के रूप में की जानी है, तो प्रविष्टि 83 जो "निर्यात शुल्क सहित सीमा शुल्क" है, पूरी तरह से निरर्थक होगी। प्रविष्टि 43 और 44 निगमों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित हैं। प्रविष्टि 85 में निगम कर के लिए अलग से प्रावधान है। सूची II की ओर रुख करते हुए, प्रविष्टियाँ 1 से 44 एक समूह बनाती हैं जिसमें उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं। उस सूची में 45 से 63 प्रविष्टियाँ एक अन्य समूह बनाती हैं, और वे करों से निपटती हैं। उदाहरण के लिए प्रविष्टि 18 "भूमि" है और प्रविष्टि 45 "भूमि राजस्व" है। प्रविष्टि 23 "खानों का विनियमन" है और प्रविष्टि 50 "खनिज पर कर" है। अधिकार "। उपरोक्त विश्लेषण-और यह सूचियों में प्रविष्टियों का संपूर्ण विवरण नहीं है-इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि कराधान का उद्देश्य मुख्य विषय में शामिल होना नहीं है जिसमें इसे एक विस्तारित निर्माण पर शामिल माना जा सकता है, बल्कि इसे विधायी क्षमता के उद्देश्यों के लिए एक अलग मामले के रूप में माना जाता है। और यह भेद संविधान के अनुच्छेद 248, खंड (1) और (2) और सूची 1 में प्रविष्टि 97 की भाषा में भी प्रकट होता है। उपरोक्त योजना के आलोक में प्रविष्टि 42 का निर्माण करना कठिन है।

इस निष्कर्ष का विरोध करने के लिए कि संसद की कानून बनाने की शक्ति प्रविष्टि 42 के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर ऐसे व्यापार के दौरान बिक्री पर कर लगाने की शक्ति शामिल नहीं है और

व्यापार "।

उपरोक्त विश्लेषण पर, यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया गया था कि कराधान को मुख्य विषय में शामिल करने का इरादा नहीं था, जिसमें इसे विस्तारित निर्माण पर शामिल माना जा सकता है, लेकिन विधायी क्षमता के उद्देश्य से एक अलग मामले के रूप में माना जाना है। लेकिन ऐसा कहते हुए, उक्त मामले में, संविधान के अनुच्छेद 286 पर निर्भरता रखी गई थी और इस मुद्दे पर कि क्या अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर को सूची I में प्रविष्टि 42 के भीतर शामिल किया गया था, इसे नकारात्मक, विशेष रूप से, माना गया था।

संविधान के अनुच्छेद 286 के संबंध में। नतीजतन, यह राय दी गई कि राज्य के पास सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने की शक्ति है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 286 (2) के तहत शामिल प्रतिबंधों के अधीन होगा। उपरोक्त निष्कर्ष का सारांश पैराग्राफ 55 में निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 55. संक्षेप में: (1) प्रविष्टि 54 भारत सरकार अधिनियम में प्रविष्टि 48 का उत्तराधिकारी है, और इसे अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर को शामिल करने के रूप में समझना वैध होगा, जब तक कि संविधान में इसके लिए कुछ भी अप्रिय न हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। (2) सूचियों में प्रविष्टियों की योजना के तहत, कराधान को एक अलग मामला माना जाता है और इसे अलग से निर्धारित किया जाता है। (3) अनुच्छेद 286 (2) इस आधार पर आगे बढ़ता है कि यह राज्य हैं जिनके पास अंतर-राज्य बिक्री पर कर लगाने वाले कानून बनाने की शक्ति है। इन विचारों से यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि सूची-II में प्रविष्टि 54 के तहत राज्य अंतर-राज्य पर कर लगाने वाले कानून बनाने में सक्षम हैं।

राज्य बिक्री "।

76. यह भी देखा गया कि उक्त निष्कर्ष उक्त मामले में निहित वैधानिक प्रावधानों का एक निर्माण था।

संविधान के छठे संशोधन के संदर्भ में, जो इस विचार पर आगे बढ़ा था कि राज्यों को सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत अंतर-राज्य बिक्री पर कर लगाने की शक्ति थी। इसलिए, अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने की शक्ति केंद्र को सौंपने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।

केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

77. इस मामले में, विवाद सूची I की प्रविष्टियाँ 52,54 और 97 और सूची II की प्रविष्टियाँ 23,49,50 और 66 के आसपास केंद्रित था और

भारत संघ में निहित विधान की अवशिष्ट शक्ति का विस्तारित उद्देश्य। फैसला कोयला, चाय, ईंट-मिट्टी और छोटे खनिजों पर शुल्क लगाने से संबंधित था। सूची I और सूची II की उपरोक्त प्रविष्टियों पर विचार करते समय, तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियों की व्याख्या पर होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) पर निर्भरता रखी गई थी। सामान्य प्रविष्टि बनाम कराधान प्रविष्टि के तहत विधायी शक्ति के विस्तार पर पैराग्राफ 31 में चर्चा की गई थी जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 31. संविधान का अनुच्छेद 245 विधायी शक्ति का स्रोत है। यह इस संविधान के प्रावधानों के अधीन है, संसद भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है। संसद और किसी भी राज्य के विधानमंडल के बीच विधायी क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 246 द्वारा विभाजित किया गया है। संसद के पास अनन्य शक्ति है

में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना।

सातवीं अनुसूची में सूची I, जिसे "संघ सूची" कहा जाता है। संसद की उक्त शक्ति के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास है - कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य द्वारा गिने गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

सूची III में, जिसे "समवर्ती सूची" कहा जाता है। उपर्युक्त दो के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सूची दो में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जिसे "राज्य सूची" कहा जाता है। अनुच्छेद 248 के तहत अनन्य शक्ति

संसद द्वारा कानून बनाने का विस्तार समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले तक नहीं है। किसी को भी बनाने की शक्ति

समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित कर लागू करने वाला कानून संसद में निहित है। इसी को अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है।

संसद में निहित। होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम में उपलब्ध निर्णय की समीक्षा पर इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से संक्षेपित और दोहराया गया है। बिहार राज्य [(1983) 4 एससीसी 45: 1983 एस. सी. सी. (कर) 248] वे इस प्रकार हैं:

(1) तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियां कानून की "शक्तियां" नहीं हैं, बल्कि कानून के "क्षेत्र" हैं। संविधान अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति को पूरी तरह से अलग करता है। कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है

कर लगाने की शक्ति और संविधान संघ और राज्यों को कर के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। (2) कानून के क्षेत्रों का सीमांकन किए जाने के बावजूद, संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता का सवाल और

संघ का कानून। (3) विधायी क्षमता के उद्देश्यों के लिए कराधान को एक अलग मामला माना जाता है। के बीच एक अंतर किया गया है

कानून और कराधान के सामान्य विषय। विधान के सामान्य विषयों को एक अलग समूह में प्रविष्टियों और कराधान की शक्ति के एक समूह में निपटाया जाता है। कर लगाने की शक्ति का अनुमान सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं लगाया जा सकता है।

(4) सूचियों में प्रविष्टियाँ केवल विषय या कानून के क्षेत्र होने के कारण, उन्हें एक व्यापक और व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए।

उदार भावना और एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं।

और प्रविष्टियों का मसौदा तैयार करने में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को व्यापक-संभव व्याख्या दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि, वी. रामास्वामी, जे. को उद्धृत करने के लिए, सूचियों में विषयों का आवंटन वैज्ञानिक या तार्किक परिभाषा के रूप में नहीं है, बल्कि व्यापक श्रेणियों की केवल एक सरल गणना के रूप में है। प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लिखित प्रमुख मामले के बारे में कानून बनाने की शक्ति भी होगी।

इसके विस्तार में आनुषंगिक और सहायक मामलों से संबंधित विधान शामिल हैं। (5) जहां किसी भी राज्य के विधानमंडल की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है, तो यह सवाल पूछना पड़ता है कि क्या यह कानून इनमें से किसी से संबंधित है।

सूची I या III में प्रविष्टियाँ। यदि ऐसा होता है, तो आगे कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है और संसद की विधायी क्षमता को बरकरार रखा जाना चाहिए। जहाँ तीन सूचियाँ हैं जिनमें बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ हैं, वहाँ उनके बीच कुछ अतिव्यापी होना तय है। ऐसी स्थिति में पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि किसी दिए गए कानून का हिस्सा किस प्रविष्टि से संबंधित है। एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधानमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं होता है। अदालत को मामले के सार को देखना होगा। पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को कभी-कभी कानून के सही चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। विधायिका द्वारा कानून को दिया गया नाम महत्वहीन है। समग्र रूप से अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(6) अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब दोनों के लिए समान क्षेत्र के भीतर संघ और राज्य सूचियों के बीच टकराव होता है। वहाँ सार और सार के सिद्धांत को लागू किया जाना है और यदि विवादित विधान काफी हद तक उस विधायिका को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई शक्ति के भीतर आता है जिसने इसे अधिनियमित किया था, तो किसी अन्य विधायिका को सौंपे गए क्षेत्र में आकस्मिक अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तीन सूचियों को पढ़ते समय, सूची I को सूची III और II पर प्राथमिकता दी जाती है और सूची III को सूची II पर प्राथमिकता दी जाती है। हालाँकि, फिर भी, संघ सूची की प्रबलता को रोका नहीं जा सका राज्य विधानमंडल सूची-II के भीतर किसी भी मामले से निपटने से, हालांकि यह संयोग से सूची-I में किसी भी मद को प्रभावित कर सकता है।

(जोर दिया गया)

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उपरोक्त सिद्धांत को दोहराने के बाद, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि कर और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कानून बनाने के लिए विशेष आवश्यकता है

विचार और एक अमूर्त समरूपता द्वारा प्रस्तावों को मापने के बजाय बड़े लचीलेपन के साथ देखा जाना चाहिए। यह आगे था

यह मत व्यक्त किया गया कि जहां संघ के पास विनियमन और नियंत्रण करने की शक्ति है, वहां संघ की ऐसी शक्ति के परिणामस्वरूप राज्यों को विनियमन और नियंत्रण के क्षेत्र में सेंध लगाए बिना अपनी विधायी क्षमता के भीतर कर या शुल्क लगाने की उनकी शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विनियमन और नियंत्रण की शक्ति और कर लगाने की शक्ति के बीच अंतर है, दोनों अलग-अलग हैं। 78. संविधान की सातवीं अनुसूची में अंतर्निहित योजना की जांच करते समय, एम. पी. वी. सुंदररामियर पर निर्भरता रखी गई थी।

(ऊपर) और इसे निम्नानुसार देखा गया:

" 74 (3) . कराधान को मुख्य विषय में शामिल करने का इरादा नहीं है जिसमें इसे एक विस्तारित निर्माण पर माना जा सकता है

योग्यता। और यह भेद संविधान के अनुच्छेद 248 खंड (1) और (2) और सूची 1 में प्रविष्टि 97 की भाषा में भी प्रकट होता है। सूचियों में प्रविष्टियों की योजना के तहत, कराधान को एक अलग मामला माना जाता है और इसे अलग से निर्धारित किया जाता है। " 79. इसके अलावा, सूची I और सूची II में प्रविष्टियों का अर्थ लगाया जाना चाहिए यदि

संभव है, ताकि संघर्ष से बचा जा सके। यदि सूची I और सूची II की प्रविष्टियों के बीच कोई संघर्ष प्रतीत होता है, तो यह तय करना होगा कि क्या कोई वास्तविक संघर्ष है। यदि कोई नहीं है, तो गैर-अवरोध खंड 'के अधीन' को लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि कोई संघर्ष है, तो प्रश्न का सही दृष्टिकोण यह देखना है कि क्या, दोनों प्रविष्टियों के बीच सुलह करना संभव है ताकि संघर्ष और अतिव्यापी से बचा जा सके। यह दोहराया गया कि किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में इसका निर्धारण पीठ और सार के सिद्धांत को लागू करके किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दो अलग-अलग विधानसभाओं को सौंपे गए दो प्रविष्टियों या विधायी क्षेत्रों के बीच, कानून का विशेष विषय एक या दूसरे के दायरे में आता है। जहाँ संघ और राज्य विधानमंडल के बीच अधिकारिता का स्पष्ट और अपरिवर्तनीय संघर्ष है, वहाँ संघ का कानून ही प्रबल होना चाहिए।

80. सात न्यायाधीशों में से छह न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए, सब्यसाची मुखर्जी, जे. (जैसा कि उनका प्रभुता तब था) के शब्दों पर भरोसा रखा गया था।

सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में पीठ का गठन करना। यह अभिनिर्धारित किया गया कि [2022] 18 एस. सी. आर. में शक्तियों के विभाजन की संवैधानिक योजना के तहत।

सातवीं अनुसूची में कराधान और अन्य कानूनों से संबंधित अलग-अलग प्रविष्टियां हैं। सामान्य प्रविष्टि के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है। यह देखा गया कि उपरोक्त सिद्धांत क्षेत्र में बने रहे और मामलों के बाद मामलों में उनका पालन किया गया।

81. इस विषय पर आगे विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि विनियमन और नियंत्रण की शक्ति अलग और अलग है

कराधान की शक्ति। यह इस न्यायालय के कई फैसलों के संदर्भ में स्पष्ट किया गया था, विशेष रूप से, हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम. उड़ीसा राज्य-[ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 459] जिसमें इस न्यायालय ने सूची I की प्रविष्टि 54 और सूची II की प्रविष्टि 23 पर विचार किया। उड़ीसा राज्य बनाम का भी संदर्भ दिया गया था। एम. ए. तुलोच-[ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1284] 82. हर्भजन सिंह ढिल्लों (ऊपर) के संदर्भ में आगे यह देखा गया कि सूची I की प्रविष्टि 97 ने अवशिष्ट शक्तियों को प्रदान किया है।

संसद में। संविधान का अनुच्छेद 248 जो विधान की अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है, संसद को विशेष शक्ति प्रदान करता है समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाना। लेकिन साथ ही, यह प्रावधान करता है कि ऐसी अवशिष्ट शक्ति में कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी।

ऐसा कर अधिरोपित करना जिसका उन दोनों सूचियों में उल्लेख न हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि सूची II में कर लगाने की किसी भी शक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, तो अवशिष्ट शक्ति की धारणा के आधार पर संसद द्वारा इसका उपयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 83. वास्तव में, हर्भजन सिंह ढिल्लों (ऊपर) में फैसला 4 के बहुमत से दिया गया थाः 3 इस प्रभाव से कि किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के साथ हमारी संवैधानिक योजना के तहत कर लगाने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार, एक निहित शक्ति जैसा कुछ नहीं है

कर लगाने के लिए। शक्ति का स्रोत जो विशेष रूप से कराधान की बात नहीं करता है, उसकी व्याख्या इसकी चौड़ाई का विस्तार करके इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उसमें कर लगाने की शक्ति को निहितार्थ या आवश्यक निष्कर्ष द्वारा शामिल किया जा सके। रिलायंस

निम्नलिखित प्रभाव के लिए कराधान पर कूली पर भी रखा गया थाः

" निहितार्थ द्वारा कराधान जैसी कोई चीज नहीं है। कर लगाने वाले प्राधिकारी पर हमेशा भार होता है कि वह सभा के उस अधिनियम की ओर इशारा करे जो दावा किए गए कर को लागू करने को अधिकृत करता है।

इस प्रकार, कर लगाने की शक्ति कोई आकस्मिक शक्ति नहीं है। यद्यपि विधायी शक्ति में आनुषंगिक और सहायक शक्ति शामिल है

विशेष प्रविष्टि जो किसी विशेष विषय से संबंधित है, कर लगाने की शक्ति ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे संविधान के तहत निहित हो।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य (प्रविष्टि 42 सूची I) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के साथ उन वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की शक्ति नहीं है जो अंतर-राज्यीय व्यापार के अधीन हैं और

वाणिज्य, सूची I में प्रविष्टि 92 ए के सम्मिलन से पहले और ऐसी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 286 के अधीन सूची II में प्रविष्टि 54 के तहत राज्यों की थी।

84. विनियमन और नियंत्रण की शक्ति और कर लगाने की शक्ति के बीच के अंतर पर आगे विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि विधान के दो प्राथमिक उद्देश्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। कराधान का प्राथमिक उद्देश्य संग्रह करना है। राजस्व। कर लगाने की शक्ति का प्रयोग किसी उद्योग, वाणिज्य या किसी अन्य गतिविधि को विनियमित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस तरह के कर को लागू करने का उद्देश्य संप्रभु शक्ति का प्रयोग करना है

विनियमन को प्रभावी बनाना, हालांकि संयोग से, लेवी राजस्व में योगदान कर सकती है। कराधान पर अपने काम पर कूली से एक पत्र लेते हुए, यह देखा गया कि पुलिस शक्ति के तहत धन की मांग और कर की शक्ति के तहत की गई मांग के बीच का अंतर, सार के रूप में उतना एक नहीं है।

85. उपरोक्त सिद्धांत का उल्लेख सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में यह मानते हुए किया गया था कि विनियमन आवश्यक है।

राज्य की पुलिस शक्ति जो वास्तव में एक अमेरिकी सिद्धांत है, लेकिन भारत में इसका अर्थ 'संप्रभु' शक्ति है। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि विनियमन, विकास या नियंत्रण की शक्ति में कर या शुल्क लगाने की शक्ति शामिल नहीं होगी, सिवाय इसके कि यह केवल नियामक हो। राजस्व बढ़ाने के लिए कर लगाने या लगाने की शक्ति का प्रयोग विधानमंडल द्वारा किया जाता रहेगा, जिसके साथ वह निहित है, उदाहरण के लिए, राज्य विधानमंडल, इसके बावजूद कि विनियमन या नियंत्रण किसी अन्य विधानमंडल यानी संघ द्वारा ग्रहण किया गया है। इस मामले में, सवाल पहले

सात न्यायाधीशों की पीठ एक विषय के रूप में औद्योगिक शराब पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति थी। सूची II में प्रविष्टि 8 और सूची III में प्रविष्टि 33 पर विचार किया गया।

86. उपरोक्त चर्चा का सारांश केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बताए गए निम्नलिखित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करके दिया जा सकता है।

(ऊपर):

(1) सातवीं अनुसूची की सूचियों की योजना में, विधान के सामान्य विषयों के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है और

कराधान के प्रमुख। इनकी अलग से गणना की गई है।

(2) "विनियमन और नियंत्रण" की शक्ति कराधान की शक्ति से अलग और अलग है और इसी तरह कानून के उद्देश्यों के लिए दोनों क्षेत्र हैं। कराधान एक विस्तारित निर्माण करके सामान्य विधायी प्रमुख के मुख्य विषय में शामिल होने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सूची I और सूची II के बीच कराधान के लिए उपयुक्त विधायी क्षेत्र तय करने के लिए यह नियम नहीं है। जिस तरह से

कराधान के क्षेत्रों को सूची I और II में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है, कोई अतिव्यापी नहीं हो सकता है। वास्तव में अतिव्यापी हो सकता है लेकिन कानून में कोई अतिव्यापी नहीं होगा। दोनों सूचियों के संदर्भ में दो करों का विषय-वस्तु अलग-अलग है। सिर्फ इसलिए कि मूल्यांकन और परिमाणीकरण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली या तंत्र समान है, दोनों करों को अतिव्यापी नहीं कहा जा सकता है। यह कर के विषय और कर के माप के बीच का अंतर है।

(3) लगाए गए कर की प्रकृति कर के माप से अलग होती है। जबकि कर का विषय स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित है, कर की राशि को परिमाणीकरण के उद्देश्य से कई तरीकों से मापा जा सकता है। कर के विषय को परिभाषित करना एक सरल कार्य है; कराधान के उपाय को तैयार करना एक अधिक जटिल अभ्यास है और इसलिए विधायिका को बाद के क्षेत्र में बहुत अधिक लचीलापन दिया जाना चाहिए। कर की मात्रा निर्धारित करने के लिए विधायिका द्वारा चुनी गई प्रणाली और विधि कर की प्रकृति के लिए निर्णायक नहीं है, हालांकि यह कर के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करने के लिए कई में से एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।

कर।

(4) सूची I और सूची II में प्रविष्टियों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि किसी भी संघर्ष से बचा जा सके। यदि कोई संघर्ष नहीं है, तो गैर-बाध्य खंड "के अधीन" से सहायता प्राप्त करने का अवसर उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई संघर्ष है, तो सही तरीका यह है कि नीचे दिए गए चरण-दर-चरण तीन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाए:

एक क्या अभी भी दोनों के बीच सुलह संभव है?

प्रविष्टियाँ ताकि टकराव और ओवरलैपिंग से बचा जा सके? दो-किस प्रविष्टि में विवादित कानून कानून के सार और सार का पता लगाने के लिए आता है?

और तीन कर्नाटक और ए. एन. आर. के पीठ और राज्य के सिद्धांत को लागू करके कानून के उस क्षेत्र को निर्धारित करना जिसमें विवादित कानून आता है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

पदार्थ, एक अन्य क्षेत्र पर एक आकस्मिक खाई बना सकता है

(6) कराधान के शीर्ष स्पष्ट रूप से सूची I में प्रविष्टि 83 से 92-बी और सूची II में प्रविष्टि 45 से 63 में सूचीबद्ध हैं। सूची III, समवर्ती सूची, में कराधान के किसी भी शीर्ष का प्रावधान नहीं है। सूची I में प्रविष्टि 96, सूची II में प्रविष्टि 66 और सूची III में प्रविष्टि 47 शुल्क से संबंधित है। अनुच्छेद 248 (2) और सूची I में प्रविष्टि 97 द्वारा निर्दिष्ट कराधान के क्षेत्र में विधान की अवशिष्ट शक्ति केवल ऐसे विषयों पर लागू की जा सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 45 से 63 में शामिल नहीं हैं। सूची II.

अब हम 1998 के केंद्रीय अधिनियम पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और

कर्नाटक और केरल राज्यों के विवादित अधिनियम जो क्रमशः सूची I की प्रविष्टि 40 और सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत बनाए गए हैं।

विचाराधीन अधिनियमः

लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998:

87. सूची I की प्रविष्टि 40 को ध्यान में रखते हुए, संसद ने लॉटरी अधिनियम, 1998 लागू किया है। उक्त अधिनियम का उद्देश्य लॉटरियों को विनियमित करना है और

उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करें। उक्त अधिनियम की धारा 3 राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तों को छोड़कर किसी भी लॉटरी के आयोजन, संचालन या प्रचार करने से रोकती है।

अधिनियम की धारा 4। धारा 4 उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनके तहत राज्य सरकार लॉटरी का आयोजन, संचालन या प्रचार कर सकती है। अधिनियम की धारा 4 के तहत दस शर्तें निर्धारित की गई हैं। धारा 4 को संदर्भ की संतुष्टि के लिए नीचे दिया गया हैः

" 4. शर्तें जिनके अधीन लॉटरी आदि का आयोजन किया जा सकता है। राज्य सरकार लॉटरी का आयोजन, संचालन या प्रचार कर सकती है।

निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्ः

(क) किसी भी पूर्व घोषित संख्या पर पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

राज्य सरकार लॉटरी टिकटों को प्रिंट करेगी

(ख)

राज्य की छाप और प्रतीक चिन्ह इस तरह से कि

लॉटरी टिकट की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाती है;

((ग)

राज्य सरकार या तो स्वयं टिकट बेचेगी या

वितरकों या बिक्री एजेंटों के माध्यम से;

((घ)

लॉटरी टिकटों की बिक्री की आय जमा की जाएगी

राज्य के सार्वजनिक खाते में;

राज्य सरकार स्वयं सभी के ड्रॉ का संचालन करेगी।

(ई)

लॉटरी;

पुरस्कार राशि का दावा ऐसे समय के भीतर नहीं किया जा सकता है जब

(च)

राज्य सरकार द्वारा विहित या अन्यथा वितरित नहीं, उस सरकार की संपत्ति बन जाएगी।

ड्रॉ का स्थान राज्य के भीतर स्थित होगा।

(जी)

चिंतित;

किसी भी लॉटरी का एक सप्ताह में एक से अधिक ड्रॉ नहीं होगा।

(ज)

सभी प्रकार की लॉटरियों के ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे।

((i)

दिन की ऐसी अवधि जो राज्य द्वारा निर्धारित की जाए

सरकार;

(1)

लॉटरी के बंपर ड्रॉ की संख्या अधिक नहीं होगी। एक कैलेंडर वर्ष में छह से अधिक;

ऐसी अन्य शर्तें जो केंद्र द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं

(के)

सरकार "।

88. केंद्र सरकार कोई अन्य निर्देश भी दे सकती है।

स्थिति। धारा 5 किसी राज्य में टिकट की बिक्री के निषेध से संबंधित है। जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार, राज्य के भीतर, प्रत्येक अन्य राज्य द्वारा आयोजित, संचालित या प्रचारित लॉटरी के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र सरकार में प्रकाशित एक आदेश द्वारा भी कर सकती है

आधिकारिक राजपत्र, उक्त अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन में आयोजित, संचालित या प्रचारित लॉटरी को प्रतिबंधित करता है या जहां धारा 5 के प्रावधानों के उल्लंघन में टिकट बेचे जाते हैं। दंड खंड धारा 7 में है। उक्त अधिनियम की धारा 10 केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के राज्य में निष्पादन के बारे में निर्देश देने में सक्षम बनाती है। केंद्र सरकार के पास धारा 11 के संदर्भ में उक्त अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति है।

कर्नाटक और ए. एन. आर. का राज्य अनुभाग। ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

12 उक्त अधिनियम राज्य सरकार को उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है।

89. उक्त लॉटरी विनियमन अधिनियम का एक योजनाबद्ध अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संसद ने इसे ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया हैः

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 40। 1998 का अधिनियम विशेष रूप से 1998 के अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा लॉटरी के संचालन से संबंधित है। उक्त अधिनियम भारत सरकार या राज्य सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा लॉटरी के संचालन से संबंधित नहीं है। इसलिए, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी लॉटरी के संगठन, संचालन और प्रचार का विनियमन संसद द्वारा किया जाता है।

1998 के अधिनियम के प्रावधान। उक्त अधिनियम में कराधान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

लॉटरी अधिनियम, 2004 पर कर्नाटक कर

प्रत्येक बंपर ड्रॉ के लिए एक हजार; और (बी) किसी भी अन्य ड्रॉ के संबंध में एक लाख रुपये। 91. उक्त कर का भुगतान प्रत्येक प्रवर्तक द्वारा किया जाना है। कर्नाटक अधिनियम, 2004 धारा 2 की उप-धारा 4 में 'लॉटरी' शब्द को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ एक योजना है, चाहे वह किसी भी रूप में हो या किसी भी नाम से जानी जाए।

भाग लेने वाले व्यक्तियों को लॉट या मौका द्वारा पुरस्कारों का वितरण

भारत सरकार या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या किसी अन्य देश द्वारा आयोजित टिकट खरीदकर पुरस्कार का अवसर, जिसका भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौता या संधि है। भारत। 'लॉटरी' अभिव्यक्ति की परिभाषा से संकेत मिलता है कि लॉटरी योजना पर कर लगाने का उद्देश्य और उद्देश्य केवल तभी है जब लॉटरी योजना भारत सरकार या सरकार द्वारा आयोजित की जाती है।

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य देश की सरकार

भारत सरकार के साथ द्वीपक्षीय समझौता या संधि। इस प्रकार, यह अधिनियम किसी भी निजी संस्था द्वारा संचालित लॉटरी पर कोई कर नहीं लगाता है। उप-धारा 2 की धारा 5 एक 'प्रवर्तक' को भारत सरकार या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या लॉटरी का आयोजन, संचालन या प्रचार करने वाला कोई भी देश के रूप में परिभाषित करती है और इसमें राज्य में लॉटरी टिकट बेचने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति शामिल है।

सरकार या देश, जहां ऐसी सरकार या देश सीधे [2022] 18 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देश या राज्य में लॉटरी टिकट बेचना। कर्नाटक अधिनियम, 2004 पंजीकृत प्रवर्तक द्वारा अग्रिम रूप से कर का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। अधिनियम की धारा 8 प्रवर्तकों और विक्रेताओं के पंजीकरण से संबंधित है।

92. कर्नाटक अधिनियम, 2004 एक व्यापक कानून है।

लॉटरी (जुआ) पर कर का उद्ग्रहण और संग्रह। वास्तव में, अधिनियम की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि अधिनियम लॉटरी (जुआ) पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार, कर्नाटक अधिनियम, 2004 में, विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि लॉटरी शब्द का अर्थ जुआ है।

93. यह अधिनियम कर लगाने के लिए सभी आनुषंगिक और सहायक मामलों के लिए प्रावधान करना चाहता है, जिसमें विवरणी दाखिल करने, मूल्यांकन के प्रावधान शामिल हैं।

अग्रिम रूप से कर के भुगतान के लिए अनुसूची। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम में निर्धारिती से कर और/या दंड की वसूली करने के लिए एक तंत्र का भी प्रावधान है। अधिनियम के अध्याय VI में एक निर्धारिती के अपील करने के अधिकार और आयुक्त और संयुक्त आयुक्त की पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने की शक्तियों का प्रावधान है।

अधिनियम के तहत किए गए या लंबित किसी भी मूल्यांकन के संबंध में। 94. अधिनियम की धारा 20 राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों को दस्तावेजों का निरीक्षण करने और तलाशी लेने और अधिनियम के तहत मूल्यांकन से संबंधित खातों या दस्तावेजों को जब्त करने के लिए अधिकृत करती है।

95. कर्नाटक अधिनियम, 2004 के अध्याय VII में अधिनियम की विभिन्न शर्तों के उल्लंघन के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित किया गया है जैसे कि एक प्रवर्तक की ओर से पंजीकरण करने, रिकॉर्ड रखने, विवरण दाखिल करने में विफलता के लिए जुर्माना।

वापसी आदि।

96. लॉटरी नियम, 2003 पर कर्नाटक कर (इसके बाद 'कर्नाटक लॉटरी नियम, 2003' के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित के अनुसार बनाया गया थाः लॉटरी, अध्यादेश, 2003 पर कर्नाटक कर की धारा 37, जो कर्नाटक अधिनियम, 2004 से पहले थी।

केरल पेपर लॉटरी पर कर अधिनियम, 2005

97. केरल अधिनियम, 2005 एक अधिनियम है जो कागजी लॉटरियों के संचालन पर कर लगाने और संग्रह का प्रावधान करता है।

केरल राज्य, अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट दरों पर। अधिनियम में निम्नलिखित दो दरों का प्रावधान है, जो ड्रॉ की प्रकृति के आधार पर लागू होती हैंः (क) प्रत्येक बंपर ड्रॉ के लिए दस लाख रुपये; (ख) किसी अन्य ड्रॉ के संबंध में दो लाख पचास हजार रुपये।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

98. उक्त कर का भुगतान प्रत्येक 'प्रवर्तक' द्वारा किया जाना है। 'प्रवर्तक' और 'लॉटरी' शब्दों को कर्नाटक अधिनियम 2004 के तहत प्रदान किए गए समान शब्दों में परिभाषित किया गया है। पेपर लॉटरी पर केरल कर

अधिनियम, 2005 ऑनलाइन लॉटरियों के संचालन पर कर लगाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि केरल राज्य के भीतर आयोजित केवल कागजी लॉटरियों पर कर लगाता है। उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह केरल राज्य में पेपर लॉटरी के संचालन पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।

99. उक्त अधिनियम की धारा 7 में प्रवर्तकों को पंजीकृत होने की आवश्यकता है

केरल राज्य के भीतर लॉटरी का आयोजन, संचालन या प्रचार करना, या इस संबंध में उक्त सरकार या देश द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या संस्था। इसलिए, अधिनियम केवल केरल राज्य के भीतर, भारत सरकार, किसी भी राज्य की सरकार या किसी विदेशी देश की ओर से संचालित लॉटरियों के कराधान का प्रावधान करता है, न कि निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कराधान का। केरल अधिनियम, 2005 की धारा 11 में प्रत्येक ड्रॉ पर अग्रिम रूप से कर का भुगतान करने का प्रावधान है। 100. केरल अधिनियम, 2005 एक व्यापक कानून है और इसमें कागजी लॉटरियों पर कर लगाने और संग्रह से संबंधित सभी मामलों जैसे कि देय कर के निर्धारण की प्रक्रिया, कर निर्धारिती का अपील करने का अधिकार, कर अधिकारियों की तलाशी लेने और जब्ती करने की शक्तियां, उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित कर के भुगतान में चूक के लिए दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लेने का भी प्रावधान है। यह कानून राज्य सरकार को अधिनियम के किसी भी प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार देता है।

कराधान के मानदंडः

101. एक विधायी अधिनियम जो कर लगाने का प्रावधान करता है, उसे कराधान के निम्नलिखित मापदंडों को निर्दिष्ट करना चाहिएः

(i) कर योग्य घटना जो लेवी का आधार बनती है,

(ख) कर के 'विषय' के रूप में संदर्भित;

कर का माप;

कराधान की दरें;

iii)

(iv) कर की घटना, [2022] 18 एस. सी. आर.

102. उक्त मापदंड प्रत्येक अलग हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए

दूसरों के साथ। कर के घटक, जैसा कि ऊपर बताया गया है, गोविंद सरन गंगा सरन (सुप्रा) में वर्णित हैं। उक्त में

यह भी निर्धारित किया गया था कि एक विधायी योजना जो

से एक कर, के साथ वन घटकों में से प्रत्येक को परिभाषित करना चाहिए

एन. टी. आई. और सटीकता। मुख्य न्यायाधीश पाठक की टिप्पणियाँ

निम्नानुसार चित्रित किया गयाः

" 6. कर की अवधारणा में प्रवेश करने वाले घटक हैंः

अच्छी तरह से ज्ञात। पहला अपनी प्रकृति से ज्ञात अधिरोपण का चरित्र है जो उस कर योग्य घटना को निर्धारित करता है जो शुल्क को आकर्षित करता है, दूसरा उस व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है जिस पर शुल्क लगाया जाता है और जो कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तीसरा वह दर है जिस पर कर लगाया जाता है, और चौथा वह माप या मूल्य है जिस पर कर देयता की गणना के लिए दर लागू की जाएगी। यदि वे घटक स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से पता लगाने योग्य नहीं हैं, तो यह है

यह कहना मुश्किल है कि लेवी कानून के दृष्टिकोण से मौजूद है। इनमें से किसी को भी परिभाषित करने वाली विधायी योजना में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता

लेवी के घटक इसकी वैधता के लिए घातक होंगे।

103. उपरोक्त मापदंडों को आक्षेप में पहचाना जा सकता है

विचाराधीन, निम्नानुसारः

(i) द्वारा लगाए जाने वाले कर के संदर्भ में

विवादित अधिनियम, शुल्क का आधार लॉटरी का संचालन है

कर्नाटक या केरल राज्य के भीतर। दूसरे शब्दों में, कराधान का विषय भारत सरकार या अन्य राज्यों की सरकार द्वारा केरल या कर्नाटक राज्य के भीतर लॉटरी योजनाओं का संचालन है। जबकि प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह सही कहा गया है कि लॉटरी का संचालन

लॉटरी की योजना के निर्माण और अधिसूचना, मुद्रण, परिवहन और लॉटरी टिकटों की बिक्री आदि जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं, लॉटरी के संचालन का गठन करने वाले ये सभी कार्यक्रम अंततः व्यक्तियों की भागीदारी के लिए हैं।
कर्नाटक या केरल राज्य के भीतर। इसलिए, कर का विषय कर्नाटक या केरल राज्य के भीतर लॉटरी योजनाओं का संचालन है, जो लॉटरी योजनाओं में भाग लेने के लिए व्यक्तियों की प्रवृत्ति से सक्षम है।

((ख)

तत्काल मामले में कराधान का माप है -

' आरेखित करें। ' विवादित विधानों में दो प्रकार के कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. पर विचार किया गया है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

ड्रॉ, अर्थात् बम्पर ड्रॉ और ड्रॉ के अलावा अन्य

बम्पर ड्रॉ।

(iii)

कर की दर, एक आश्रित चर है और होना है

माप के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तत्काल मामले में, कर्नाटक अधिनियम, 2005 के तहत कर की दर बंपर ड्रॉ के संबंध में एक लाख पचास हजार रुपये और किसी अन्य ड्रॉ के संबंध में एक लाख रुपये है। इसी तरह केरल अधिनियम, 2005 में बम्पर ड्रॉ के संबंध में कर की दर दस लाख रुपये और दो लाख पचास रुपये है।

किसी भी अन्य ड्रॉ के संबंध में एक हजार।

((iv) कर का प्रभाव प्रवर्तकों पर पड़ता है।

लॉटरी, अर्थात भारत सरकार या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या कर्नाटक या केरल राज्य के भीतर लॉटरी का आयोजन करने, संचालन करने या बढ़ावा देने वाले किसी भी देश या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या संस्था पर। इस संबंध में उक्त सरकार या देश। विवादित अधिनियमों में प्रवर्तकों के पंजीकरण और सभी प्रावधानों की आवश्यकता होती है

ड्रॉ के विवरणी और कर के भुगतान की आवश्यकता, प्रवर्तकों के संबंध में काम करने के लिए हैं। इसलिए, कर का प्रभाव लॉटरी के प्रवर्तकों पर पड़ता है।

104. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 34 में 'सट्टेबाजी और जुआ' शब्द का उल्लेख मिलता है और सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 62 को ध्यान में रखते हुए सट्टेबाजी और जुआ पर कर लगाया जा सकता है। इस प्रकार, सट्टेबाजी और जुए की गतिविधि और सट्टेबाजी और जुए पर कर सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आने वाले विषय हैं अर्थात वे राज्य के विषय हैं। यदि लॉटरी का संचालन 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, तो उक्त गतिविधि का विनियमन और नियंत्रण के साथ-साथ लॉटरी पर कराधान पूरी तरह से राज्य की विधायी शक्तियों के दायरे में है। हालाँकि, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित केवल लॉटरियाँ, भले ही वे 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति के दायरे में आती हैं, सट्टेबाजी और जुए से संबंधित सूची II की प्रविष्टि 34 से बनाई गई हैं क्योंकि सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 40 भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों से संबंधित है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा लॉटरी का संचालन, भले ही, सूची II की प्रविष्टि 34 और प्रविष्टि 62 के अर्थ के भीतर सट्टेबाजी और जुआ है, फिर भी, उन प्रविष्टियों को अस्वीकार कर दिया जाता है [2022] 18 एस. सी. आर.

चूंकि राज्य विधानमंडल के पास किसी भी विधेयक को पारित करने की कोई विधायी शक्तियां नहीं हैं भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित विषय लॉटरी पर कानून। यदि ऐसी सरल व्याख्या दी जानी है,

मामला शांत हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है।

'सट्टेबाजी और जुआ' और 'लॉटरी' का अर्थः

105. विवादित अधिनियमों का अवलोकन करने और उनकी पहचान करने के बाद

उक्त अधिनियमों के संदर्भ में कराधान के मापदंडों पर, अब हम सट्टेबाजी और जुए के अर्थों और विशेष रूप से लॉटरी पर चर्चा करेंगे, जैसा कि सूची II की प्रविष्टियाँ 34 और 62 और सूची I की प्रविष्टियाँ 40 में पाया गया है।

उ. शब्दकोश का अर्थः

(i) ब्लैक लॉ डिक्शनरी 'जुआ' के अर्थ को परिभाषित करती हैः

" कुछ मूल्यवान, विशेष रूप से धन को जोखिम में डालने का कार्य

पुरस्कार जीतने के अवसर के लिए "।

((ii) इसी तरह, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन में पी. रामनाथ अय्यर ने लिखा है।

(6 संस्करण) पृष्ठ 612 पर 'सट्टेबाजी और जुआ' के रूप में वर्णित किया गया है निम्नलिखित हैः

" किसी मूल्यवान वस्तु, विशेष रूप से धन पर हिस्सेदारी रखना।

जोखिम की चेतना और किसी खेल या प्रतियोगिता के परिणाम पर लाभ की आशा के साथ, जिसका परिणाम संयोग या दुर्घटना से या कुछ भी होने की संभावना से निर्धारित किया जा सकता है।

या नहीं हो रहा है "।

(iii) शब्दों और वाक्यांशों में (स्थायी संस्करण) खंड। 25 - पृष्ठ 439 पर 'लॉटरी' का अर्थ 'जुआ की एक प्रजाति' के रूप में परिभाषित किया गया है।

पृष्ठ 444 पर इस प्रकार कहा गया हैः

“ 'लॉटरी' शब्द का उपयोग लोकप्रिय रूप से और आम तौर पर एक जुआ योजना के लिए किया जाता है जिसमें अवसरों को बेचा जाता है या मूल्य के लिए निपटाया जाता है और इस प्रकार भुगतान की गई राशि को बहुत बड़ी राशि जीतने की उम्मीद में खतरे में डाला जाता है, जो संयोग से पुरस्कारों के वितरण के लिए एक योजना है।

(iv) एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन में, पी. रामनाथ अय्यर (1997 संस्करण) 'लॉटरी' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" संयोग से संपत्ति के निपटान या वितरण के लिए योजना। कानून में 'लॉटरी' शब्द का कोई तकनीकी अर्थ नहीं है।

इसके लोकप्रिय अर्थ से "। कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर.

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

(v) इसी तरह, ब्लैक लॉ डिक्शनरी (6 वीं संस्करण) में पी। 947 'लॉटरी' का अर्थ निम्नानुसार दिया गया हैः

" एक कीमत के लिए पुरस्कार का मौका "।

(vi) संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश [ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय]

प्रेस, 11 एडन। , 2004] पी पर। 844 , "लॉटरी" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" लॉटरी क्रमांकित टिकट बेचकर और यादृच्छिक रूप से खींचे गए नंबरों के धारकों को पुरस्कार देकर धन जुटाने का एक साधन है-कुछ ऐसा जिसकी सफलता संयोग से नियंत्रित होती है।

(vii) द वेबस्टर्स न्यू अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी (1981)

इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" क्रमांकित टिकटों को बेचने और लॉट द्वारा खींची गई कुछ संख्या के धारकों को पुरस्कार देने की एक विधि।

106. उपरोक्त शब्दकोश से जो अर्थ निकलता है वह यह है कि 'लॉटरी' कई जुआ योजनाओं में से एक है। वह 'जुआ' वह वंश है जिसकी एक प्रजाति 'लॉटरी' है। यह स्पष्ट है कि 'लॉटरी' और 'जुआ' गतिविधियों को इस तरह से कहा जाना चाहिए, स्वाभाविक रूप से 'मौका' का एक तत्व होना चाहिए जिस तरह से इसका परिणाम निर्धारित किया जाता है। कि 'लॉटरी' की प्रजातियों को जीनस में रखा जा सकता है ' सट्टेबाजी और जुआ 'और विशेष रूप से' जुए की भावना 'के कारण' जुआ 'के दायरे में जो' लॉटरी 'का एक आवश्यक तत्व है।

'मौका लेना' अभिव्यक्ति अपने आप में जुआ का पर्याय है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लॉटरी एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक प्रतिभागी को मौका लेने या जुआ खेलने की आवश्यकता होती है। पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता का कोई भी रूप जो सट्टेबाजी, खेल या लॉटरी की परिभाषा के भीतर नहीं आता है, उसे 'पुरस्कार प्रतियोगिता' के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कानूनी नियंत्रण के अधीन भी है।

B. कुछ हालिया लेखनः

(i) 'जुआ उद्योग के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव' पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स चयन समिति की रिपोर्ट के अनुसार

सत्र 2019-21), जुआ एक सामान्य अभिव्यक्ति है जिसमें विभिन्न प्रकार के जुआ शामिल हो सकते हैं। , सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी।

सट्टेबाजी को दांव लगाने या स्वीकार करने के रूप में परिभाषित किया गया हैः

((i) किसी दौड़, प्रतियोगिता या अन्य घटना का परिणाम या

((ख) कुछ भी होने या न होने की संभावना; या

((iii) कुछ भी सच है या नहीं।

खेल को 'पुरस्कार के लिए अवसर का खेल खेलने' के रूप में परिभाषित किया गया है। मौका के खेल में शामिल हैं:

(i) एक ऐसा खेल जिसमें मौका और मौका दोनों शामिल हों।

कौशल का तत्व;

((ii) एक ऐसा खेल जिसमें अवसर का एक तत्व शामिल हो जो हो सकता है

उत्कृष्ट कौशल द्वारा समाप्त किया गया; और

(iii) एक खेल जिसे एक तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

मौका है, लेकिन

((iv) इसमें कोई खेल शामिल नहीं है।

हालाँकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 'गेमिंग' अभिव्यक्ति हो सकती है

वीडियो गेमिंग और सामाजिक गेमिंग को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग वैधानिक अर्थों में किया जाता है। , जुआ अधिनियम, 2005 की धारा 6।

लॉटरी को एक प्रकार के जुए के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें तीन आवश्यक हैं।

तत्व:

(i) भाग लेने के लिए भुगतान की आवश्यकता है;
((ख) एक या अधिक पुरस्कार दिए जाते हैं; और

((iii) ये पुरस्कार संयोग से दिए जाते हैं।

इंग्लैंड में जुआ अधिनियम, 2005 को सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी को शामिल करने के लिए 1 सितंबर, 2007 से एक व्यापक कानून के रूप में लागू किया गया है। जबकि जुआ अधिनियम, 2005 जुआ के प्रत्येक रूप को परिभाषित करता है, अंतर्निहित अवधारणा 'खेल' और 'दांव' को परिभाषित नहीं किया गया है।

(ii) केंट आर. ग्रोट और विक्टर ए. मैथसन (अर्थशास्त्र और व्यवसाय विभाग, लेक फॉरेस्ट कॉलेज और विभाग

अर्थशास्त्र, कॉलेज ऑफ द होली क्रॉस, वॉर्सेस्टर) अपने लेख 'द इकोनॉमिक्स ऑफ लॉटरीज़ः अगस्त, 2011 में प्रकाशित साहित्य के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि लॉटरी दुनिया भर में जुए के सबसे पुराने और सबसे आम रूपों में से एक है। उस लॉटरी में एक आयोजन निकाय, आमतौर पर सरकार द्वारा बिक्री शामिल होती है। लेकिन कभी-कभी निजी व्यवसाय या दान भी, एक टिकट का, जो मालिक को एक संभावित मौद्रिक पुरस्कार देता है। लॉटरी कैसिनो से अलग होती है।

उस लॉटरी टिकट की बिक्री आम तौर पर कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य के किसी स्थान पर नहीं होती है।

विशेष रूप से जुए के लिए अलग रखा जाता है, और आधुनिक लॉटरी आमतौर पर निजी फर्मों के बजाय सरकारों द्वारा संचालित। यह आगे देखा जाता है

कि लॉटरी विभिन्न कारणों से विद्वानों के लिए विशेष रुचि रखते हैं। सबसे पहले, वे कई राज्यों और देशों में सरकारी राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्रियों के लिए दिलचस्प हैं। दूसरा, लॉटरी सूक्ष्म-आर्थिक में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं को प्रदान करती हैं। एक प्रकार की प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के साथ सिद्धांत और उपभोक्ता व्यवहार जो अर्थशास्त्रियों को इन विषयों का पता लगाने की अनुमति देता है।

107. इन विद्वान लेखकों के अनुसार, लॉटरियों में राजस्व क्षमता होती है और राजस्व तंत्र, स्पष्ट रूप से कहा गया है,

लॉटरी आयोजकों और ऐसे तरीके हैं जिनसे उत्पाद की विविधता, लॉटरी संरचना और भुगतान दरों में भिन्नता को राजस्व बढ़ाने के लिए समायोजित किया जा सकता है। यदि किसी राज्य को पता चलता है कि उसके निवासी अन्य राज्यों से लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं जिन्होंने लॉटरी को अपनाया है, तो इससे उस राज्य की अपनी लॉटरी शुरू करने की संभावना बढ़ सकती है।

108. लॉटरी योजना और इसकी आवश्यक विशेषताओं पर बार में उद्धृत प्रासंगिक निर्णयों पर निम्नानुसार विचार किया जाएगाः

(क) आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर) में, इस न्यायालय ने जाँच की

बॉम्बे लॉटरी और पुरस्कार प्रतियोगिता नियंत्रण अधिनियम, 1948 की वैधता, जिसमें पुरस्कार प्रतियोगिताओं के प्रवर्तकों पर कर लगाने की मांग की गई थी। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने चर्चा की कि क्या उसमें आक्षेपित कानून में परिभाषित पुरस्कार प्रतियोगिताएं जुआ गतिविधियों की प्रकृति में थीं। इस न्यायालय ने पुरस्कार प्रतियोगिताओं की प्रकृति की जांच की और इस बारे में टिप्पणी की कि उनमें से किसे 'जुआ खेलने की प्रकृति की गतिविधियों' की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यह आयोजित किया गया था कि पुरस्कार प्रतियोगिताएँ जिनमें प्रतिभागियों को पहले से तैयार किए गए समाधान का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है या जो लॉट द्वारा समाधान निर्धारित करती हैं, वे जुआ प्रकृति की थीं।

अधिक सामान्य रूप से, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जुआ गतिविधियों में, उनकी प्रकृति में कोई भी प्रतियोगिता शामिल होती है जिसमें सफलता काफी हद तक प्रतिभागी के कौशल पर नहीं, बल्कि अवसर के एक तत्व पर निर्भर करती है। जहां तक उन प्रतियोगिताओं के संबंध में, जिनमें भविष्य की किसी घटना या अतीत में हुई किसी घटना के परिणामों के पूर्वानुमान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके लिए परिणाम अज्ञात है, इस न्यायालय ने कहा कि प्रतियोगिताओं की उक्त श्रेणी थी -

"जुआ" प्रकृति का भी। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि [2022] 18 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी-प्रवर्तक द्वारा की जा रही गतिविधि एक लॉटरी थी और ऐसी गतिविधि को इस प्रकार माना जा सकता है -

जुआ क्योंकि यह एक प्रतियोगिता नहीं थी जिसमें कौशल, ज्ञान और निर्णय वास्तविक और प्रभावी थे

खेलते हैं।

आर. एम. डी. सी. बनाम मैसूर राज्य (उपरोक्त) में, चुनौती मैसूर लॉटरी और पुरस्कार प्रतियोगिता नियंत्रण और कर अधिनियम, 1951 ('मैसूर अधिनियम') की संवैधानिकता के लिए थी, जिसे मैसूर विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, जो 21 जून, 1951 से लागू हुआ था और इसके तहत बनाए गए नियम, जो 1 फरवरी, 1952 को लागू हुए थे। इससे पहले, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा था कि बॉम्बे लॉटरी और पुरस्कार प्रतिस्पर्धा नियंत्रण और कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'बॉम्बे अधिनियम') में किया गया संशोधन था

यह असंवैधानिक है और बॉम्बे अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाए गए कर संविधान के अनुच्छेद 301 से प्रभावित थे। उस फैसले का परिणाम यह था कि हालांकि पुरस्कार प्रतियोगिताओं को राज्य द्वारा अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन उन सीमाओं से परे उनके प्रभावों से केवल संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के तहत किसी भी कार्रवाई से निपटा जा सकता था। यही कारण था कि आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत, पेप्सू और सौराष्ट्र राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के तहत प्रस्ताव पारित किए।

संसद को नियंत्रण के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करना और

पुरस्कार प्रतियोगिताओं का विनियमन और उनके अनुसरण में, संसद ने पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 42) (केंद्रीय अधिनियम) पारित किया जो 1 अप्रैल, 1956 को लागू हुआ। 24 फरवरी, 1956 को मैसूर विधानमंडल ने उक्त केंद्रीय अधिनियम को स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थीं, लेकिन उन्हें R.M.D.C बनाम. भारत संघ (ऊपर)।

इसके बाद, मैसूर अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, जैसा कि मूल रूप से 1951 में पारित किया गया था। मैसूर

संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका द्वारा मैसूर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था और उस फैसले और आदेश के खिलाफ, अपील को कर्नाटक और ए. एन. आर. के टी. ई. में लाया गया था।

ईटीसी. वी. स्टेट ऑफ इलाया एंड ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 132 (1) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार इस न्यायालय के समक्ष। मैसूर संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर थी कि मैसूर विधानमंडल, केंद्रीय अधिनियम को अपनाकर, अब पुरस्कार प्रतियोगिताओं के संबंध में कोई कानून पारित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि कराधान की शक्ति सहित पूरा मामला

संसद के पक्ष में समर्पण कर दिया गया।

विभिन्न द्वारा पारित प्रस्तावों पर विचार करते हुए

राज्यों, इस न्यायालय के विचार के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या पारित किए गए प्रस्ताव और विशेष रूप से "पुरस्कार पहेली का नियंत्रण और विनियमन" शब्द थे

प्रतियोगिताओं और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों का "पुरस्कार प्रतियोगिताओं के पूरे विषय को संसद को सौंपने का प्रभाव पड़ा, यानी हर विषय और शक्ति। कर की शक्ति सहित इससे जुड़ा हुआ है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार सूची 2 की प्रविष्टि 34 के संबंध में राज्यों द्वारा पारित प्रस्ताव, सूची 2 की प्रविष्टि 62 के तहत कर लगाने की राज्य की शक्ति को नहीं छीनते हैं और उक्त शक्ति को आत्मसमर्पण नहीं कहा जा सकता है। कि प्रस्ताव पारित करके, राज्यों ने कराधान की अपनी शक्ति का समर्पण नहीं किया और न ही मैसूर अधिनियम के संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) का उल्लंघन किया गया। कि मैसूर अधिनियम के तहत लगाया गया कर उन शक्तियों का प्रयोग था जो विधायिका के पास सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत कर लगाने की थीं।

आरएमडीसी बनाम में। मैसूर राज्य (ऊपर), आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, यह स्पष्ट रूप से था निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" यह तथ्य कि लाइसेंस जारी करके और कर लागू करके जुए को नियंत्रित करने के लिए नियामक प्रावधान लागू किए गए हैं, किसी भी तरह से जुए की प्रकृति को नहीं बदलता है जो स्वाभाविक रूप से द्वेषपूर्ण और निंदनीय है। विनाशकारी "।

सूची II की प्रविष्टियों 34 और 62 पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि सूची II की प्रविष्टि 34 में 'सट्टेबाजी जुआ' का विषय और प्रविष्टि [2022] 18 एस. सी. आर. में दिए गए 'सट्टेबाजी जुआ' पर कर।

62 सूची II को अलग-अलग शक्तियों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए जब पुरस्कार का नियंत्रण और विनियमन किया जाता है

प्रतियोगिताओं को राज्यों द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा संसद को सौंप दिया गया था, सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत कर लगाने की शक्ति, जो एक अलग शीर्ष है, को आत्मसमर्पण नहीं कहा जा सकता है। आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर) में दास, सी. जे. की टिप्पणियों को दोहराया गया था

इसके अंतर्गतः

" ऊपर बताए गए कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विवादित कानून प्रविष्टि 34 के तहत सट्टेबाजी और जुए के संबंध में एक कानून है और

आक्षेपित कर अनुभाग प्रविष्टि 62 के तहत सट्टेबाजी और जुए पर कर के संबंध में एक कानून है और यह कि इसे अधिनियमित करना राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर था। पर्याप्त है। राज्य विधायिका को याचिकाकर्ताओं से कर एकत्र करने का अधिकार देने के लिए क्षेत्रीय सांठगांठ

ए के माध्यम से पुरस्कार प्रतियोगिताएँ

राज्य के बाहर मुद्रित और प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई से "।

एच. अनराज (उपरोक्त) मामले में याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध पर सवाल उठाया।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी के टिकटों की महाराष्ट्र राज्य के भीतर बिक्री पर

राज्यों। उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि सूची I की प्रविष्टि 40 भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों से संबंधित है जबकि सूची II की प्रविष्टि 34 'सट्टेबाजी और जुआ' से संबंधित है। यह कि 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति में लॉटरी का संचालन शामिल है और हमेशा से समझा जाता रहा है। लेकिन, 'भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी' विषय को 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति में शामिल विधायी क्षेत्र से हटा दिया गया है और यह संसद द्वारा निपटाए जाने के लिए आरक्षित है। चूँकि विषय अनन्य विधायी के भीतर था

अनुच्छेद 246 (1) को देखते हुए संसद की क्षमता और (3) , किसी राज्य का कोई भी विधानमंडल भारत सरकार या कर्नाटक और ए. एन. आर. सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों के संबंध में कानून नहीं बना सकता है।

ईटीसी. वी. स्टेट ऑफ इलाया एंड ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

एक राज्य से। हमारे विचार में, उपरोक्त मामले में, सूची II की प्रविष्टि 34 और सूची I की प्रविष्टि 40 के संदर्भ में सूची II की प्रविष्टि 62 विचार के लिए नहीं आई।

एच. अनराज बनाम तमिलनाडु सरकार-[(1986) 1 एस. सी. सी. 414] (संक्षेप में, "अनराज II") में, तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 में 28 जनवरी, 1984 से लागू संशोधन, जिसके तहत लॉटरी टिकट बिक्री कर के अधीन थे, इस न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया था कि तमिलनाडु राज्य विधानमंडल में इस तरह के संशोधन को लागू करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर लॉटरी टिकटों की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जा सकता है, जो सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत निहित शक्ति के आधार पर है जो उस समय निम्नलिखित से संबंधित थीः

‘ इसके अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर

समाचार पत्र।

उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने निर्धारित करने की दृष्टि से लॉटरी टिकटों की प्रकृति का विश्लेषण किया क्या उन्हें माल की बिक्री अधिनियम के तहत परिभाषित 'माल' के रूप में माना जा सकता है, जिसकी 'माल' की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जा सकता है। इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लॉटरी टिकट 'सामान' थे क्योंकि वे साथ ले जाते थे

उन्हें ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार है। कि जब लॉटरी के टिकट बेचे जाते थे, तो अमूर्त या अमूर्त चरित्र की चल संपत्ति में लाभकारी ब्याज दिया जा रहा था।

स्थानांतरण किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब लॉटरी का टिकट खरीदा जाता है, तो उसके साथ ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार होता है, और इसलिए, उस पर बिक्री कर लगाया जा सकता है।

उसी तरह से लागू किया जाता है जब किसी अन्य 'विक्रेता का माल' जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जाता है,

स्थानांतरण किया गया।

मेसर्स सुमन एंटरप्राइजेज एंड अदर्स (उपरोक्त) में तमिलनाडु राज्य द्वारा 6 अक्टूबर, 1989 को कार्यकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें अन्य राज्यों के लॉटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उक्त सरकारी आदेश को वर्गीकृत किया गया

(ए) भारत सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी; (बी) तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी; (सी) दूसरे राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी [2022] 18 एस. सी. आर.

सरकारें; (घ) तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिकृत निजी लॉटरी; और (ङ) अन्य सरकारों द्वारा अधिकृत लेकिन इस सरकार द्वारा अधिकृत नहीं निजी लॉटरी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार की लॉटरी टिकटों और भारत सरकार या अन्य राज्य द्वारा आयोजित लॉटरियों की बिक्री

उक्त राज्य के भीतर अकेले सरकारों को अनुमति दी जाएगी। इस न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी में जनता के सदस्यों के रूप में कुछ बुनियादी और आवश्यक सहयोगियों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस तरह की लॉटरी में अपना पैसा निवेश करते समय वे एक ट्रस्ट पर और सरकारी कामकाज से जुड़ी वास्तविकता, ईमानदारी, सुरक्षा, सुरक्षा, प्रशासन की शुद्धता आदि के बारे में कुछ धारणाओं पर आगे बढ़ते हैं। कथित संगठित लॉटरी के अर्थ और उसकी आवश्यकताओं के बारे में

संबंधित रूप से, यह निम्नानुसार देखा गयाः

" उन आवश्यकताओं में से पहला यह है कि राज्य की छाप और लोगो वाले टिकटों को राज्य द्वारा या सीधे राज्य के कहने पर मुद्रित किया जाना चाहिए।

सरकार ताकि उनकी प्रामाणिकता और वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि टिकटों के दोहराव और नकली टिकटों की बिक्री की कोई भी संभावना है

इसके खिलाफ प्रदान किया जाता है और असंभव बना दिया जाता है। दूसरा, राज्य को स्वयं टिकट बेचना चाहिए, हालांकि, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या उचित समझता है, तो एक एकल के माध्यम से।

द्वारा विनियमित नियमों और शर्तों के तहत वितरक या बिक्री एजेंट या कई एजेंट या वितरक

पक्षों के बीच समझौता। टिकटों की बिक्री आय या तो खुदरा या थोक में बेची जाती है।

सरकार की निधियों में जमा किया जाएगा। तीसरा, पुरस्कार विजेता टिकटों के चयन के लिए ड्रॉ का संचालन राज्य द्वारा ही किया जाना चाहिए, चाहे पुरस्कार राशि का आकार कुछ भी हो। चौथा, यदि कोई पुरस्कार राशि लावारिस है या अन्यथा नहीं है

पुरस्कार के रूप में वितरित, इसे राज्य सरकार को वापस करना चाहिए और उसकी संपत्ति बनना चाहिए। ये, प्रथम दृष्टया, हमें न्यूनतम प्रतीत होते हैं

लॉटरी की विशेषताएँ जो होने का दावा कर सकती हैं

' 'राज्य द्वारा' आयोजित। टी. ई. ऑफ कर्नाटक और ए. एन. आर.

ईटीसी. वी. हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उपरोक्त को एक न्यूनतम मानदंड कहा जाता था जो एक लॉटरी को एक राज्य द्वारा 'आयोजित' कहे जाने के योग्य बनाता था। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा उक्त संगठित लॉटरी और अधिकृत लॉटरी के बीच अंतर किया गया था।

राज्य द्वारा। इसके अलावा यह देखा गया कि तमिलनाडु के सरकारी आदेश को राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरियों पर लागू करने के लिए माना गया था।

सूची I की प्रविष्टि 40, जबकि सूची II की प्रविष्टि 34 'सट्टेबाजी और जुआ' से संबंधित थी।

बी. आर. एंटरप्राइजेज (ऊपर) में लॉटरी की प्रकृति और चरित्र पर फिर से विचार-विमर्श किया गया था जिसमें यह माना गया था कि लॉटरी जुआ का एक रूप है। हालाँकि, यह तर्क दिया गया था कि राज्य लॉटरी, यदि यह जुआ है, तो अपना चरित्र खो देगी। उक्त मुद्दे पर विचार करते समय, इस न्यायालय द्वारा आर. एम. डी. पर निर्भरता रखी गई थी।

चमरबागवाला (ऊपर), यह मानने के लिए कि जुआ गतिविधियाँ उनकी प्रकृति और सार में हैं, अतिरिक्त

वाणिज्य. कि, भले ही राज्य की विनियमन शक्ति के तहत लॉटरियों की अनुमति दी गई हो, लेकिन इसे 'व्यापार और वाणिज्य' का दर्जा नहीं दिया जा सकता था जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है। लॉटरी टिकटों के अनुबंध की सामग्री पर विचार किया गया और इसका संदर्भ अनराज द्वितीय को दिया गया।

(उपर्युक्त), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लॉटरी टिकटों की बिक्री 'माल' का हस्तांतरण था और इसलिए बिक्री कर के लिए उत्तरदायी था, इस प्रकार अवलोकन करके:

" 49. ..... " लॉटरी टिकट की बिक्री उसके खरीदार को दो अधिकार प्रदान करती है (ए) ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार और (बी) पुरस्कार आकस्मिक का दावा करने का अधिकार।

ड्रॉ में सफल होने पर। दोनों चल संपत्ति में लाभकारी हित होंगे। लॉटरी टिकट, भौतिक वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि कागज की पर्ची या ज्ञापन प्रमाण के रूप में एक नहीं बल्कि ये दोनों

चल संपत्ति में लाभकारी हित जो हैं - हस्तांतरित किए जाने, सौंपे जाने या बेचे जाने में सक्षम और उनके हस्तांतरण, असाइनमेंट या बिक्री पर ये दोनों लाभकारी ब्याज खरीदार को एक कीमत पर दिए जाते हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

लॉटरी टिकट के तहत ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार ड्रॉ होने तक एक मूल्यवान अधिकार बना रहता है और यही कारण है कि लाइसेंस प्राप्त एजेंट या

इस तरह के टिकटों के थोक विक्रेता या डीलरों को तब तक इसकी बिक्री करने में सक्षम बनाया जाता है जब तक कि ड्रॉ वास्तव में नहीं हो जाता है। और तब तक लॉटरी टिकट उनके स्टॉक-इन-ट्रेड का गठन करते हैं और इसलिए एक माल और सामान, जो बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है।

हालाँकि, यह भी नोट किया गया कि अनराज द्वितीय (उपरोक्त) में न तो कोई मुद्दा था और न ही कोई प्रतियोगिता थी कि क्या इस तरह के लॉटरी टिकटों की बिक्री 'व्यापार और व्यापार "होगी।

लॉटरी टिकटों की बिक्री में शामिल लेन-देन की प्रकृति की जांच की गई और विभिन्न शब्दकोशों का उल्लेख किया गया और अन्य प्राधिकरणों, यह देखा गया कि लॉटरी टिकटों की बिक्री में तीन तत्व हैं, अर्थात्, (i) पुरस्कार, (ii) मौका, और (iii) विचार। अतः जब कोई व्यक्ति

लॉटरी का टिकट खरीदता है, वह इसे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खरीदता है, जो संयोग से होता है और टिकट की कीमत पर विचार किया जाता है। इस तरह के टिकट के धारक को पता है कि उसने जो भुगतान किया है वह प्राप्त करने के लिए हो सकता है

कुछ भी नहीं। हालाँकि, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली हैं जो संयोग से है।

यह देखते हुए कि सूची II की प्रविष्टि 62 'सट्टेबाजी और जुए' पर करों को संदर्भित करती है, जिसमें स्वाभाविक रूप से जुआ शामिल है, इस सवाल पर विचार किया गया कि क्या राज्य लॉटरी (जुआ) अभी भी संविधान के अध्याय XIII के अर्थ के भीतर 'व्यापार और वाणिज्य' होने के योग्य हो सकती हैं। यह देखते हुए कि इसके तहत एक अंतर किया गया था

भारत सरकार अधिनियम, 1935 राज्य लॉटरियों और अन्य प्रकार की लॉटरियों के बीच, जिन्हें अलग-अलग सूचियों में रखा गया है और संविधान के तहत एक ही पैटर्न का पालन किया गया है, इस न्यायालय ने 'जुआ' और 'व्यापार' के बीच अंतर किया और कहा कि जुआ में स्वाभाविक रूप से अवसर का एक तत्व शामिल है, जिसमें कोई कौशल नहीं है, जबकि व्यापार

शामिल कौशल, बिना किसी अवसर के। वह भले ही कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर.।

ईटीसी. वी. स्टेट ऑफ इलाया एंड ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

लॉटरी का संचालन कर सकते हैं, अवसर का तत्व बना रहता है, जिसमें कोई कौशल शामिल नहीं होता है और यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा लॉटरी का संगठन और संचालन भी इसके अंतर्गत आता है।

जुआ की सीमाएँ। होने का एकमात्र उद्देश्य

राज्य द्वारा आयोजित की जा रही लॉटरियों के संबंध में सख्त उपाय इस तरह की लॉटरी के प्रतिभागियों में विश्वास पैदा करना था जो धोखाधड़ी या गबन और धोखाधड़ी की कोई संभावना के बिना निष्पक्ष रूप से आयोजित की जा रही थी और उम्मीद करने वालों को आश्वस्त करना था।

उच्च पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता जो सभी निष्पक्ष और सुरक्षित हैं। कि

प्रतिभागियों को आश्वस्त करना था कि लॉटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय राज्य के सार्वजनिक खातों में जमा की जाती है और यह किसी भी व्यक्तिगत समूह या संघ के हाथों में नहीं होगी और इस प्रकार राज्य द्वारा लॉटरी के आयोजन में पारदर्शिता लाना, विनियमन के अधीन। फिर भी, लॉटरी के संचालन की गतिविधि जुए के दायरे में बनी रहेगी। के संबंध में

किसी भी व्यक्तिगत समूह या संघ द्वारा संचालित लॉटरियों की तुलना में किसी राज्य द्वारा संचालित लॉटरियों की प्रकृति, इस न्यायालय ने आगे इस प्रकार टिप्पणी कीः

" इस संबंध में, प्रविष्टि 34 सूची II के तहत लॉटरी और आयोजित लॉटरी के बीच कोई अंतर नहीं है

प्रविष्टि 40 सूची I के तहत राज्य द्वारा जब दोनों राज्यों के चरित्र ने लॉटरियों और अन्य व्यवस्थाओं का आयोजन किया लॉटरी वही रहती है, केवल रखने से

कानून के अधिकार के साथ राज्य के परिधान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा; यह जुआ ही बना रहता है क्योंकि अवसर का तत्व कौशल के बिना बना रहता है। यहां तक कि प्रविष्टि 34 सूची II के तहत अन्य लॉटरियों को केवल राज्य के अधिकार या राज्य के कानून के तहत चलाया जा सकता था। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मामले में अधिकार राज्य का है और दूसरे में संसद का।

वाणिज्य. आर. एम. डी. की प्रयोज्यता के संबंध में। राज्य लॉटरियों के लिए चमरबागवाला (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

..... कोई जुआ वाणिज्य नहीं हो सकता है, इसलिए

हमारी मानी गई राय आर. एम. डी. सी. मामले का सिद्धांत है।

राज्य पर भी समान रूप से लागू होगा

संगठित लॉटरी। अनिश्चित शब्दों में कहा गया है कि

निर्णय में दर्ज किया गया कि संविधान निर्माता कभी भी जुए को सुरक्षा देने की कल्पना नहीं कर सकते थे

या तो अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत या इसके तहत एक व्यापार के रूप में

संविधान का अनुच्छेद 301 "।

अंततः, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 73 में, यह देखा गया कि राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी टिकटों की बिक्री

इसे 'व्यापार और वाणिज्य' के रूप में नहीं समझा जा सकता था और भले ही इसका इतना भी अर्थ लगाया जा सकता हो, इसे 'व्यापार और वाणिज्य' के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है या 'व्यापार और वाणिज्य' जैसा कि अनुच्छेद 301 में उपयोग किया गया है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी भी आर. एम. डी. सी. बनाम मैसूर राज्य (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार जुआ की प्रकृति में हैं। इसलिए, उक्त सिद्धांत राज्य लॉटरियों पर समान रूप से लागू होंगे। सनराइज एसोसिएट्स बनाम दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार-[(2000) 10 एस. सी. सी. 420] में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय को, अनराज द्वितीय में निर्धारित अनुपात के बाद, इस न्यायालय के समक्ष मुख्य आधार पर चुनौती दी गई थी कि अनराज द्वितीय के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने नोट किया कि अनराज द्वितीय इस दृष्टिकोण पर आगे बढ़े कि

लॉटरी टिकट की खरीद के साथ ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार होता है। हालाँकि, इसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा था कि लॉटरी टिकटों की बिक्री के लेनदेन में दो शामिल थे

ऐसे तत्व जो एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए थे, अर्थात्, (i) ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार; और (ii) अवसर के आधार पर पुरस्कार जीतने का अधिकार। यह दो तत्वों में से दूसरे के प्रकाश में आयोजित किया गया था, कि लॉटरी टिकट की बिक्री, वास्तव में, कार्रवाई में चुने गए व्यक्ति का हस्तांतरण हो सकती है।

और किसी वस्तु का हस्तांतरण नहीं। लॉटरी टिकट बेचे जाने पर अधिकार हस्तांतरित किए जाने की प्रकृति के बारे में उक्त अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए, मामला पांच न्यायाधीशों की एक पीठ को भेजा गया था, जिन्होंने सनराइज एसोसिएट्स बनाम दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार-[(2006) 5 एस. सी. सी. 603] कर्नाटक और ए. एन. आर. के ई. में इस मुद्दे पर कानून को स्पष्ट किया।

ईटीसी. वी. हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

सनराइज एसोसिएट्स बनाम दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार में - [(2006) 5 एस. सी. सी. 603], जो कि रूमा पाल, जे. द्वारा लिखित इस न्यायालय की संविधान पीठ का एक निर्णय है, इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया कि क्या लॉटरी टिकटों की बिक्री पर किसी राज्य द्वारा बिक्री कर लगाया जा सकता है जैसा कि एच. अनराज द्वितीय (उपरोक्त) में विचार किया गया है। यह न्यायालय निम्नलिखित तरीके से लॉटरी टिकटों के हस्तांतरण के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचाः

" 14. एच. अनराज [(1986) 1 एस. सी. सी. 414 में न्यायालयः 1986 एस. सी. सी. (कर) 190] इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खरीदार द्वारा भुगतान किए गए विचार पर लॉटरी टिकट का हस्तांतरण केवल एक अनुबंध नहीं था जो दोनों के बीच व्यक्तिगत रूप से एक दायित्व या अधिकार पैदा करता था।

पक्षकार, लेकिन अनुदान की प्रकृति में था। अदालत ने शब्दकोशों और आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों और अदालतों के फैसलों में "लॉटरी" शब्द की विभिन्न परिभाषाओं को नोट किया और कहा कि लॉटरी की रचना की गई थी।

तीन आवश्यक तत्वों में से, अर्थात् (1) संयोग, (2)

खरीदार का ड्रॉ में सफल होना। दोनों को चल संपत्ति में लाभकारी हित माना गया था। पूर्व में प्रेसेन्टी में, बाद वाला भविष्य में

आकस्मिकता पर निर्भर करता है "।

अंततः अनुच्छेद 41 और 44 में संविधान

पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 41. लॉटरी टिकट का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है। यह केवल कागज का एक टुकड़ा है। इसका मूल्य इस तथ्य में निहित है कि यह एक अवसर या सशर्त लाभ के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है।

से अधिक मूल्य का पुरस्कार जीतने का

उस अवसर के हस्तांतरण के लिए भुगतान किया गया विचार। यह इस अधिकार के प्रमाण या प्रमाण के अलावा और कुछ नहीं है। एच. अनराज [(1986) 1 एस. सी. सी. 414 में न्यायालयः 1986 एस. सी. सी. (कर) 190], जैसा कि हमने देखा है, यह माना कि लॉटरी टिकट कागज या ज्ञापन की एक पर्ची है जो इस बात का प्रमाण देती है कि

कुछ अधिकारों का हस्तांतरण। हम सहमत हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

42. .....

43 .....

44. सवाल यह है कि यह अधिकार क्या है जिसका टिकट प्रतिनिधित्व करता है? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि लॉटरी टिकट खरीदने पर, खरीदार को पुरस्कार राशि में सशर्त ब्याज का दावा करना होगा जो नहीं है

खरीदार के कब्जे में। अधिकार गिर जाएगा एक कार्रवाई योग्य दावे की परिभाषा के भीतर

और इसलिए परिभाषा से बाहर रखा जाएगा माल की बिक्री अधिनियम और बिक्री के तहत "माल" की

कर कानून। यह एच में भी स्वीकार किया गया था।

अनराज [(1986) 1 एस. सी. सी. 414: 1986 एस. सी. सी. (कर) 190] जब न्यायालय ने कहा कि इस हद तक कि लॉटरी टिकट की बिक्री में अधिकार का हस्तांतरण शामिल है

मौका के आधार पर एक पुरस्कार का दावा करें, यह एक था

कार्रवाई योग्य दावे का समनुदेशन। उल्लेखनीय है।

बी. आर. एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1999) 9 एस. सी. सी. 700] का अर्थ एच. अनराज [(1986) 1 एस. सी. सी. 414: 1986 एस. सी. सी. (कर) 190] न्यायालय ने कहाः (एस. सी. सी पी. 746 , पैरा 52)

लॉटरी का टिकट, वह एक पुरस्कार के लिए खरीदता है, जो है संयोग से और विचार टिकट की कीमत है। "

इस प्रकार, संविधान पीठ ने कहा कि लॉटरी का टिकट

यह एक कार्रवाई योग्य दावे का प्रतिनिधित्व करेगा और इसलिए इसे माल की बिक्री अधिनियम और बिक्री कर कानूनों के तहत 'माल' की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

यह आगे देखा गया कि एच में अंतर किया गया है।

अनराज द्वितीय (ऊपर) जीतने के अवसर और ड्रॉ में भाग लेने के अधिकार के बीच अनुचित था क्योंकि ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार जीतने के अवसर के समग्र अधिकार का एक हिस्सा है और यह 'लॉटरी' शब्द की परिभाषा में अलग से नहीं है। यह जीतने के अवसर का एक अविभाज्य हिस्सा है न कि एक अलग अधिकार, और कर्नाटक और ए. एन. आर. का टी. ई.।

ईटीसी. वी. स्टेट ऑफ इलाया एंड ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इसलिए, दोनों के बीच अलगाव सही नहीं था। दूसरे शब्दों में, जीतने के अवसर के बिना एक ड्रॉ अर्थहीन है और कोई भी ड्रॉ में भाग लिए बिना पुरस्कार का दावा नहीं कर सकता है। वास्तव में, जीतने के अवसर का हस्तांतरण माना जाता है

ड्रॉ में भागीदारी। विचार का भुगतान ड्रॉ में भाग लेने के बाद जीतने के अवसर के लिए किया जाता है न कि केवल भाग लेने के अधिकार के लिए। जीतने के अवसर का एक अविभाज्य हिस्सा होने के नाते भाग लेने का अधिकार, इसलिए एक कार्रवाई योग्य दावे का हिस्सा है। यह भी देखा गया कि भाग लेने का अधिकार और जीतने का मौका दोनों भविष्य में अधिकार हैं। इस प्रकार इस बात पर जोर दिया गया कि जब ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार लॉटरी टिकट की बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया जाता है तो बिक्री कर कानूनों के अर्थ के भीतर वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं होती है और भाग लेने के अधिकार का उद्देश्य पुरस्कार जीतना होगा। इसलिए, लॉटरी में भाग लेने का अधिकार एक कार्रवाई योग्य दावा है या जिसे कार्रवाई में चुना गया कहा जाता है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि एच. अनराज द्वितीय (ऊपर) थे

गलत निर्णय यह मानते हुए लिया गया कि लॉटरी टिकट की बिक्री में माल की बिक्री शामिल है। इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों के अर्थ के भीतर वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं थी, बल्कि सबसे अधिक कार्रवाई योग्य दावे का हस्तांतरण था। नतीजतन, सभी निर्णय जो अन्यथा आयोजित किए गए थे, को खारिज कर दिया गया था, हालांकि संभावित रूप से, सनराइज एसोसिएट्स बनाम दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार-[(2006) 5 एस. सी. सी. 603] में निर्णय की तारीख।

स्किल लोटो सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड (ऊपर) एक हालिया निर्णय है।

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें पंजाब राज्य द्वारा आयोजित लॉटरियों की बिक्री और वितरण के लिए एक अधिकृत एजेंट द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, 'सी. जी. एस. टी. अधिनियम') की धारा 2 (52) के तहत 'माल' की परिभाषा पर इस हद तक आपत्ति जताई गई थी कि कार्रवाई योग्य दावों को इसके तहत शामिल किया गया था।

' सामान '। नतीजतन, लॉटरी पर कर लगाने से संबंधित अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने

इसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि लॉटरी पर कर लगाना विवेकाधीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी), 301 और 304 का उल्लंघन है। निम्नलिखित प्रश्न उक्त रिट याचिका में विचार के लिए कानून पर विचार किया गया थाः

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" 12 .....

(I) क्या रिट याचिका रिट के बाद से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है

याचिका लॉटरी से संबंधित है, जो अतिरिक्त है वाणिज्य मंडल और याचिकाकर्ता अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं?

((2) क्या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (52) में दी गई वस्तुओं की परिभाषा में कार्रवाई योग्य दावे को शामिल करना इसके विपरीत है।

वस्तुओं का कानूनी अर्थ और असंवैधानिक?

(III) क्या सनराइज एसोसिएट्स (ऊपर) में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय पैराग्राफ 33 में है,

40 , 43 और निर्णय के 48 ने कानून के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित किया है कि लॉटरी एक कार्रवाई योग्य दावा है या निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल थीं

एक आज्ञाकारी आदेश और कानून की घोषणा नहीं?

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की मद संख्या 6 अनुसूची III से शत्रुतापूर्ण भेदभाव और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?
(V) क्या जी. एस. टी. लगाने के लिए लॉटरी टिकटों का अंकित मूल्य निर्धारित करते समय, पुरस्कार राशि होनी चाहिए

जी. एस. टी. लगाने के उद्देश्यों के लिए बाहर रखा गया?

यह ध्यान में रखने के बाद कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017, संविधान के अनुच्छेद 246 ए के तहत प्रदान की गई संसद की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद का एक अधिनियम है, इस न्यायालय ने लॉटरी के आयोजन और संचालन की गतिविधि को लेकर इस न्यायालय के कई फैसलों पर विचार किया।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 2 (52) में दी गई 'वस्तुओं' की परिभाषा में कार्रवाई योग्य दावे को शामिल करना 'वस्तुओं' के कानूनी अर्थ के विपरीत नहीं है और न तो अवैध है और न ही असंवैधानिक है। यह भी माना गया कि सनराइज एसोसिएट्स, संविधान पीठ ने कर्नाटक और ए. एन. आर. को निर्धारित किया था।

लॉटरी पर एक कार्रवाई योग्य दावा है और यह एक छोटा सा आदेश नहीं था। प्रश्न IV के संबंध में कि क्यायदि सी. जी. एस. टी. सी. टी., 2017 की मद संख्या 6 अनुसूची 3 से लॉटरी, नक़्क़ाशी और जुए के बहिष्कार में कोई प्रतिकूल भेदभाव था, तो यह माना गया कि गुणवत्ता खंड का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां हैं -

निम्नानुसार चित्रित किया गयाः

" 69. एक बाद के निर्णय में, भारत संघ बनाम। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड, (2009) 12 एस. सी. सी. 209, इस न्यायालय के पास लॉटरी टिकटों पर सेवा कर लगाने पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय ने उस कानून को माना था जो आज भी है, लॉटरी को जुआ के रूप में मान्यता देता है, जो कि अतिरिक्त व्यापार है। पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः " 17. हम उपरोक्त निवेदन से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में विफल रहते हैं। कानून, जैसा कि आज है (हालाँकि यह संभव है कि यह न्यायालय भविष्य में एक अलग दृष्टिकोण ले सकता है), लॉटरी को जुआ माना जाता है। जुआ अतिरिक्त व्यापार है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बॉम्बे राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। आरएमडी।

चमरबागवाला [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 699] और बी. आर. उद्यम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1999) 9 एस. सी. सी. 700] "

70. लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ सुविख्यात अवधारणाएँ हैं और स्वतंत्रता से पहले से ही इस देश में प्रचलित हैं और विभिन्न कानूनों द्वारा विनियमित और कर लगाया जाता था। जब अधिनियम, 2017 माल को कार्रवाई योग्य दावों को शामिल करने के लिए परिभाषित करता है और इसमें केवल तीन श्रेणियां शामिल होती हैं -

जी. एस. टी. लगाने के उद्देश्यों के लिए कार्रवाई योग्य दावे, यानी लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ, यह नहीं कहा जा सकता है कि

इन तीनों को शामिल करने का कोई तर्क नहीं था कर उद्देश्यों के लिए दावे। लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ जैसी गतिविधियों पर एक या दूसरे रूप में कराधान सहित विनियमन पिछले कई वर्षों से अस्तित्व में है।

दशकों से। जब संसद ने उपरोक्त तीन को शामिल किया हो।

जी. एस. टी. लागू करने के उद्देश्य से और अन्य पर कर नहीं कार्रवाई योग्य दावे, यह नहीं कहा जा सकता है कि तीन से ऊपर कर लगाने और छोड़ने का कोई तर्क या कारण नहीं है

अन्य।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

71. यह राज्य का कर्तव्य है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा, को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे। बॉम्बे राज्य में संविधान पीठ बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला (उपर्युक्त) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले संविधान निर्माताओं का कभी भी देश के व्यापार या व्यवसाय या वाणिज्य के स्तर पर सट्टेबाजी और जुए को बढ़ाने का इरादा नहीं रहा है। इस देश में,

उपरोक्त को कभी भी व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य की मान्यता नहीं दी गई थी और हमेशा विनियमित किया जाता था और लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी पर कर लगाना उसी उद्देश्य के साथ था जैसा कि बॉम्बे राज्य के मामले में संविधान पीठ ने उल्लेख किया था। आर. एम. डी. चमरबागवाला

(ऊपर), हम, इस प्रकार, प्रस्तुत करने को स्वीकार नहीं करते हैं

याचिकाकर्ता ने कहा कि लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर लगाने और अन्य कार्रवाई योग्य दावों पर कर नहीं लगाने में कोई शत्रुतापूर्ण भेदभाव है। उपरोक्त पर कर लगाने का तर्क आसानी से समझ में आता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए हम करते हैं।

अधिनियम, 2017 की अनुसूची III की मद संख्या 6 में अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

ऊपर निकाले गए पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कराधान लगाने के उद्देश्य से लॉटरी में भागीदारी से उत्पन्न होने वाले कार्रवाई योग्य दावे

या दांव लगाने पर या किसी अन्य रूप में जुए के माध्यम से, बाकी कार्रवाई योग्य से अलग वर्ग में रखा जा सकता है।

दावा करें और तदनुसार कराधान के अधीन हों। इस न्यायालय द्वारा इस तरह की स्वीकृति एक मूल सिद्धांत स्थापित करती है। 'लॉटरी' और 'सट्टेबाजी और जुआ' के बीच और उन्हें एक ही श्रेणी/वर्ग में रखता है।

प्रश्न 5 के उत्तर में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 के वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कर योग्य आपूर्ति का मूल्य वैधानिक विनियमन का विषय है और जब मूल्य लेन-देन मूल्य होना है जिसे धारा 15 के अनुसार निर्धारित किया जाना है, तो पुरस्कार राशि को छोड़कर कर योग्य आपूर्ति के मूल्य की गणना करने की अनुमति नहीं है।

जिसका वैधानिक योजना में विचार किया गया है।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

जब वितरक/अभिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए पुरस्कार को कर योग्य आपूर्ति के मूल्य से बाहर नहीं रखा जाना है, तो पुरस्कार राशि होनी चाहिए आपूर्ति के कर योग्य मूल्य की गणना के लिए शामिल। इस प्रकार, आपूर्ति के कर योग्य मूल्य का निर्धारण करते समय, वस्तु और सेवा कर लगाने के उद्देश्य से पुरस्कार राशि को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। उपरोक्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, रिट

याचिका खारिज कर दी गई। रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन में। वी. विलियम्स-[(1976)

(1)

1 डब्ल्यू. एल. आर. 1109] ने कहा थाः

" एक लॉटरी संयोग से पुरस्कारों का वितरण है जहां ऑपरेशन में भाग लेने वाला व्यक्ति, या एक बड़ा पुरस्कार। उनमें से कई, पुरस्कार का मौका प्राप्त करने के बदले में भुगतान या विचार करते हैं। लॉटरी स्थापित की गई है या नहीं, यह तय करने में वास्तव में तीन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिएः सबसे पहले, पुरस्कारों का वितरण, दूसरा, यह तथ्य कि यह एक अवसर के माध्यम से किया जाना था और तीसरा, कि प्रतिभागियों द्वारा लॉटरी में भाग लेने का मौका प्राप्त करने के बदले में कुछ वास्तविक योगदान किया जाना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांत से पता चलता है कि तीन होने चाहिए

लॉटरी स्थापित करने के लिए तत्व जैसे; पुरस्कार, मौका

और विचार करें। "

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त मामले में भी

नीचे पुनरुत्पादित अंश शामिल किया गया है।

" एक लॉटरी संयोग से पुरस्कारों का वितरण है जहां ऑपरेशन में भाग लेने वाला व्यक्ति, या एक बड़ा पुरस्कार।

उनमें से कई, पुरस्कार का मौका प्राप्त करने के बदले में भुगतान या प्रतिफल करते हैं।

109. इसके निर्णयों की चर्चा से क्या निकलता है?

ऊपर उल्लेख किया गया है कि 'लॉटरी' जीनस के भीतर एक प्रजाति है

इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।या किसी निजी संस्था द्वारा '। जुआ गतिविधियों में एक पूरा सरगम शामिल है।

"लॉटरी" सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं।

110. यह भी तय किया गया है कि लॉटरी टिकट की बिक्री में दो शामिल हैं।

अर्थात्, (i) ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार; और (ii) अधिकार [2022] 18 एस. सी. आर.

एन पुरस्कार, अवसर पर निर्भर करता है। इसलिए, लॉटरी की बिक्री एक कार्रवाई योग्य दावे के हस्तांतरण या एक चयनित दावे के हस्तांतरण की प्रकृति में होती है।

1 .

चर्चाः

111. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अब हम जवाब देते हैं

विचार के लिए। ऐसा करते समय, निम्नलिखित दृष्टिकोण हैः

सूचियों की प्रविष्टियों की व्याख्या के संबंध में अपनाया गया

संविधान की सातवीं अनुसूचीः

विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1 .

उनमें से किसी को भी संकीर्ण अर्थ दिए बिना। संघ और राज्य विधानमंडलों की शक्तियों को व्यक्त किया जाता है -

सटीक और निश्चित शब्द। इसलिए, कोई व्यापक नहीं हो सकता है

एक प्रविष्टि की तुलना में दूसरी प्रविष्टि को दी गई व्याख्या।

पहली बार में उन्हें सुलझाएँ। दो प्रविष्टियों के बीच एक स्पष्ट अतिव्यापी के मामले में,

2 .

पीठ और सार के सिद्धांत को किसी विधान की वास्तविक प्रकृति और उस प्रविष्टि का पता लगाने के लिए लागू किया जाना चाहिए जिसके भीतर यह आएगा।

3 .

इसका मतलब यह है कि पूर्व प्रविष्टि के दायरे से बाहर, बाद की प्रविष्टि द्वारा कवर किए गए कानून का एक क्षेत्र है उपयुक्त विधानमंडल द्वारा विशेष रूप से निपटाने के लिए आरक्षित।

4 .

जब एक वस्तु सामान्य होती है और दूसरी विशिष्ट होती है, तो दूसरी वस्तु

कानून के किसी विषय पर पूर्व को बाहर कर देगा। यदि, हालांकि, उनका उचित रूप से सामंजस्य नहीं किया जा सकता है, तो शक्ति

सूची II में सूचीबद्ध सूची I को रास्ता देना चाहिए। तीन सूचियों में प्रविष्टियों के बारीकी से अवलोकन पर

5 .

संविधान की सातवीं अनुसूची में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान ने विधान के विषयों को निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया हैः (i) कानून बनाने के लिए प्रविष्टियाँ; (ii) करों को लागू करने के लिए प्रविष्टियाँ; और कर्नाटक और ए. एन. आर. का राज्य।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

((iii) शुल्क और स्टाम्प शुल्क एकत्र करने के लिए प्रविष्टियाँ। इस प्रकार, करों के उद्ग्रहण पर प्रविष्टियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए, अपने आप में, संघ और राज्य की कराधान शक्ति का टकराव नहीं हो सकता है। इस प्रकार, सार में कराधान

शक्ति केवल सातवीं अनुसूची में एक उपयुक्त सूची में एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह की शक्ति का निर्धारण कर की प्रकृति से किया जाना चाहिए न कि

कानून द्वारा स्थापित उपाय या मशीनरी।

112. साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।

ध्यान में रखने के लिए। तत्काल मामलों में, कानून का अधिकार विवादित कानूनों को लागू करने में कर्नाटक और केरल के राज्य विधानमंडलों की क्षमता को दर्शाता है।

सूची I और II में कानून के विभिन्न विषयों से संबंधित और कराधान से संबंधित प्रविष्टियों को अलग और विशिष्ट होने के कारण विवादित अधिनियमों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यही संवैधानिक योजना है। इस संबंध में, हम होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में जो देखा गया है उसे दोहराते हैं, इस प्रभाव के लिए कि कराधान को विधायी क्षमता के उद्देश्यों के लिए एक अलग मामला माना जाता है और कर की शक्ति को एक सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, विधान के सामान्य विषयों को प्रविष्टियों के एक समूह में और कर लगाने की शक्ति को

अलग समूह। इसके अलावा, मुख्य मामले के बारे में कानून बनाने की शक्ति

प्रविष्टि में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए किसी भी राज्य की संसद या विधानमंडल। यह दोहराया जाता है कि कराधान का उद्देश्य सूचियों में प्रविष्टि के मुख्य विषय में शामिल होना नहीं है, लेकिन विधायी क्षमता के उद्देश्य से एक अलग मामला होने के कारण कराधान से संबंधित विशिष्ट प्रविष्टि से संबंधित होना चाहिए। 114. एक अनुक्रम के रूप में, यह देखा गया है कि सूची I में प्रविष्टि 97, जो संविधान के अनुच्छेद 248 से संबंधित अवशिष्ट प्रविष्टि है, नहीं हो सकती है।

जब एक विशिष्ट प्रविष्टि [2022] 18 एस. सी. आर. को सशक्त बनाती है तो सेवा में बुलाया या दबाया जाता है।

किसी भी विषय पर कराधान के संबंध में कानून पारित करने के लिए संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को विशेष रूप से सूची I या सूची II में सूचीबद्ध किया गया है। 115. यह उल्लेख करना भी उपयोगी होगा कि चूंकि कराधान से संबंधित कानून पारित करने की विधायी क्षमता विशिष्ट और विशिष्ट है

सूची I या सूची II में ऐसी प्रविष्टि सूची III में नहीं मिलती है। दूसरे शब्दों में, संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों के पास किसी विशेष विषय पर कर लगाने की क्षमता नहीं हो सकती है और इसलिए, सूची III या समवर्ती सूची में कराधान के संबंध में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है। वास्तव में, सूची III की प्रविष्टि 47 केवल 'शुल्क' लगाने की शक्ति को संदर्भित करती है। सूची के किसी भी मामले में लेकिन किसी भी न्यायालय में ली गई फीस को शामिल नहीं किया गया है। शुल्क लगाने की शक्ति और कर लगाने की शक्ति के बीच का अंतर सर्वविदित है और वर्तमान मामलों में इस बात पर प्रकाश डालने के अलावा मामले के उस पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं होगी कि समवर्ती सूची में कराधान के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है। इसलिए, सूची I या सूची II में एक कराधान प्रविष्टि की व्याख्या करते समय, इसकी व्याख्या इस तरह से करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि वह उस संवैधानिक योजना के संबंध में सामग्री और अर्थ दे, जिसके तहत सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के वितरण की परिकल्पना की गई है और इसके पीछे के उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए।

116. इसलिए, सूची I की प्रविष्टि 97, जो संघ सूची (सूची I) में एक अवशिष्ट प्रविष्टि है, से संपर्क करने से पहले, व्याख्या करना आवश्यक होगा।

राज्य सूची में सुसंगत कराधान प्रविष्टि और राज्य सूची में सुसंगत कराधान प्रविष्टि में विधायी क्षमता के अभाव में ही ऐसी शक्ति का पता अवशिष्ट सूची में सूची I की प्रविष्टि 97 से लगाया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी शक्ति का पता संघ सूची में किसी भी प्रविष्टि से नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूची I में ही कराधान से संबंधित प्रविष्टियाँ अलग और विशिष्ट हैं। इस तरह की प्रविष्टियाँ प्रविष्टियाँ 82 से 92 बी तक हैं और सूची I की प्रविष्टि 96 किसी भी संबंध में शुल्क से संबंधित है। सूची में मामले हैं लेकिन किसी भी न्यायालय में ली गई फीस को शामिल नहीं करते हैं। इसलिए, सूची I में किसी भी प्रविष्टि में किसी भी विषय के संबंध में, कर की शक्ति को उक्त सूची की प्रविष्टि 97 के तहत निहित या पढ़ा नहीं जा सकता है, जो केवल एक अवशिष्ट प्रविष्टि है, यदि वह सूची II में गणना की गई है, तो उस स्थिति में यह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर आएगी।

117. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अब हम यह आकलन करने के लिए सूची I की प्रविष्टि 40 और सूची II की प्रविष्टि 34 और 62 पर विचार करेंगे कि क्या कोई है। एक ही के बीच स्पष्ट संघर्ष/अतिव्यापी। हम पहले ही 'सट्टेबाजी और जुआ' के साथ-साथ 'लॉटरी' की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यह विवाद में नहीं है कि लॉटरी की योजना जुआ का एक रूप है।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

जैसा कि श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने सही कहा है, विद्वान वरिष्ठ

नागालैंड राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि 'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति एक वंश है जबकि 'लॉटरी' अभिव्यक्ति सट्टेबाजी और जुए की एक प्रजाति है। हमने ऊपर भी विस्तार से इसका उल्लेख किया है और हमने उक्त संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया है। इस प्रकार, 'लॉटरी' शब्द 'सट्टेबाजी और जुआ' की गतिविधि की एक प्रजाति होने के नाते, सूची II की प्रविष्टि 34 से तराशा गया है और सूची I की प्रविष्टि 40 में केवल भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी की सीमा तक रखा गया है। इसका मतलब है कि किसी राज्य में निजी दलों या संस्थाओं द्वारा आयोजित लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी 'सट्टेबाजी और जुआ' से संबंधित सूची II की प्रविष्टि 34 के दायरे और दायरे में बनी हुई हैं। निष्कर्ष यह है कि जहां तक भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों का संबंध है, ऐसी लॉटरियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की देश भर में एकरूपता रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर उक्त गतिविधि को सूची I की प्रविष्टि 40 में शामिल किया है। नतीजतन, संसद को लॉटरियों पर कानून पारित करने की विधायी क्षमता है। भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित। इसका मतलब है कि संसद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पूरे देश में समान रूप से लॉटरियों के संगठन को विनियमित करने के लिए कानून पारित कर सकती है, क्योंकि निर्विवाद रूप से संप्रभु राज्य द्वारा ऐसी लॉटरियों का संचालन भारत सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत है। इसलिए, भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा भारत के सभी क्षेत्रों में इस तरह की लॉटरियों के संगठन और संचालन में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कहा गया है कि संसद द्वारा विनियमन विषय को सूची I की प्रविष्टि 40 में रखकर सक्षम किया जाता है। परिणामस्वरूप, 1998 का अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है जो विनियामक प्रकृति का है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। यदि, सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी के विनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए

भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार को कोई भी शुल्क लेना है जो सूची I की प्रविष्टि 96 के अनुसार है।

118. लेकिन सवाल यह है कि क्या सूची I की प्रविष्टि 40 की व्याख्या करते समय, सूची II की प्रविष्टि 34 और 62 के साथ, लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सूची II की प्रविष्टि 62 से भी हटा दिया गया है और इसे सूची I की प्रविष्टि 40 के दायरे में पढ़ा जाना है और इसलिए, तत्काल मामलों में कर्नाटक और केरल राज्यों के पास इसे लागू करने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं थी।

विवादित अधिनियम। हम पहले ही कह चुके हैं कि केवल भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों को [2022] 18 एस. सी. आर. से अलग किया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

' सट्टेबाजी और जुआ 'सूची II की प्रविष्टि 34 में और इसमें रखा गया है

सूची I और सूची II की प्रविष्टि 62, अन्य बातों के साथ-साथ, जुआ पर कर की बात करती है। इससे हमें नहीं लगता कि भारत सरकार या सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों पर प्रवेश के तहत कर लगाने की उनकी शक्ति से राज्यों को वंचित किया गया है

हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं:

मनोरंजन के साथ सामान्य शब्दों को पढ़ने के लिए और मनोरंजन। इस प्रकार कर सट्टेबाजी की गतिविधि पर है और

जुआ 'जैसा कि यह एक गतिविधि पर है।

'सट्टेबाजी और जुआ' अभिव्यक्ति सूची II की प्रविष्टि 34 में भी पाई जाती है। हमने उक्त अभिव्यक्ति की सामग्री के ऊपर और इसमें क्या शामिल है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। सट्टेबाजी और जुए की गतिविधि में अन्य बातों के साथ-साथ लॉटरी भी शामिल हैं। लॉटरी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा सकती है या किसी राज्य द्वारा अधिकृत या किसी राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा सकती है। इस प्रकार एक लॉटरी

उपर्युक्त संस्थाओं में से किसी द्वारा संचालित, सरकार या

' सट्टेबाजी और जुआ 'जो प्रविष्टि 34 सूची II में विषय है। लेकिन सूची II की प्रविष्टि 34 में से जो बनाया गया है, वह केवल भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी है। इसलिए, अन्य सभी प्रकार की लॉटरी सूची II की प्रविष्टि 34 में एक गतिविधि के रूप में 'सट्टेबाजी और जुआ' के दायरे और दायरे में बनी हुई हैं। इसलिए सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत, किसी गतिविधि पर कर लगाने की विशिष्ट शक्ति जो 'सट्टेबाजी और जुआ' है, राज्य विधानमंडल के पास आरक्षित है और इसे सूची I की प्रविष्टि 40 के दायरे और दायरे में नहीं पढ़ा जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से इसके दायरे में प्रतिबंधित है। हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं:

सबसे पहले, जब कराधान के संबंध में एक विशिष्ट प्रविष्टि है

((i)

सूची II में राज्य विधानमंडल को अन्य समान गतिविधियों के बीच 'सट्टेबाजी और जुआ' नामक विषय पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसे सूची I की प्रविष्टि अर्थात् सूची I की प्रविष्टि 40 में निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक कराधान कर्नाटक और ए. एन. आर है।

ईटीसी. वी. स्टेट ऑफ या एंड ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

प्रविष्टि किसी विशेष विषय से संबंधित प्रविष्टि से अलग और अलग होती है। इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा एम. पी. वी. सुंदररामियर और जैसे कई निर्णयों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स में केसोरम के बाद, ऊपर चर्चा की गई।

दूसरा, कर लगाने की प्रविष्टि या विधायी शक्ति तत्काल मामले में 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कर, संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता है जब उक्त शक्ति स्पष्ट रूप से है

सूची II की प्रविष्टि 62 में गणना की गई। यह तीन सूचियों के तहत संवैधानिक योजना है। यह संवैधानिक योजना के अनुसार है। यह भी स्पष्ट है

सूची III की प्रविष्टियों के अवलोकन पर (समवर्ती)

सूची) जो संघ और राज्य विधानमंडल दोनों को उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है।

उसमें और कर लगाने की शक्तियां इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं।

तीसरा, सूची II की प्रविष्टि 62 का उद्देश्य और उद्देश्य 'सट्टेबाजी और जुआ' की गतिविधि पर कर लगाना है, चाहे वह किसी निजी संस्था या राज्य द्वारा अधिकृत संस्था या किसी उपकरण या एजेंसी द्वारा संचालित हो या उसके लिए हो। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा मामला। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे कोई भी लॉटरी योजना का आयोजन करे, यह अंततः जुए की एक प्रजाति है। यह किसी का मामला नहीं है कि लॉटरी योजना में भाग लेना जुआ नहीं है। उक्त गतिविधि अर्थात लॉटरी योजना भारत के पूरे क्षेत्र में संचालित की जा सकती है बशर्ते कि एक विशेष राज्य उस राज्य में उक्त गतिविधि को आयोजित करने और संचालित करने की अनुमति देता हो। इस प्रकार, लॉटरी का आयोजन और संचालन पूरे भारत में जुआ खेलने की गतिविधि हो सकती है और जब कोई विशेष राज्य भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित लॉटरी योजना की अनुमति देता है।

उस राज्य में किसी भी राज्य की सरकार पर कर लगाया जाता है, जो जुआ पर कर है। इस प्रकार सूची II की प्रविष्टि 62 राज्य विधानमंडलों को अधिकार देती है - 'जुआ' पर कर लागू करें चाहे कोई भी हो या कौन [2022] 18 एस. सी. आर.

मेरी अदालत की रिपोर्ट

सरकार सहित इकाई इसका संचालन कर रही है

भारत या किसी भी राज्य की सरकार।

चौथा, 'सट्टेबाजी और जुआ' सूची II की प्रविष्टि 34 में सूचीबद्ध एक विषय है और यह एक राज्य का विषय है। इसलिए, किसी राज्य के भीतर किसी भी सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों के संचालन की अनुमति,

उक्त प्रविष्टि के तहत लॉटरी योजना के संचालन सहित, राज्य विधानमंडलों को उक्त गतिविधि पर कर लगाने की क्षमता प्रदान करता है, चाहे उसका संचालन कोई भी करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस पर कर लगाया जा रहा है वह जुआ है। ऐसी गतिविधि जो सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत पूरी तरह से शामिल है और इसके द्वारा आयोजित लॉटरी पर नहीं

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार। इसलिए, राज्य विधानमंडल के पास लॉटरी योजना पर कर लगाने की क्षमता है जो न केवल भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी विशेष राज्य की किसी अन्य एजेंसी या साधन द्वारा संचालित की जा रही है, बल्कि

जुआ के रूप में राज्य के भीतर एक निजी संस्था द्वारा भी।

पाँचवाँ, उत्तरदाताओं का तर्क-यह बताता है कि 'भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी' विषय को सूची I की प्रविष्टि 40 में रखा जाना भी केवल इन लोगों को ही सशक्त बनाएगा।

छठा, सूची I की प्रविष्टि 97 को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब कोई भी मामला सूची II या सूची III में सूचीबद्ध नहीं है, जिसमें कोई भी कर शामिल है जिसका उल्लेख उक्त सूचियों में नहीं है। वहाँ सट्टेबाजी और जुआ पर कर लगाने के लिए सूची I में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है। यह केवल सूची II की प्रविष्टि 62 में है। इस प्रकार, सूची II की प्रविष्टि 62 विधायी क्षमता प्रदान करती है।

'सट्टेबाजी और जुआ' पर कर लगाने के लिए राज्य विधानमंडल को। इसमें कर भी शामिल होगा। लॉटरी का संगठन और संचालन, चाहे केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा या किसी राज्य द्वारा अधिकृत या राज्य के भीतर किसी निजी संस्था द्वारा, जब किसी राज्य कर्नाटक और ए. एन. आर. द्वारा अनुमति दी गई हो।

ईटीसी. वी. स्टेट ऑफ या एंड ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

सरकार जुआ की ऐसी गतिविधि का संचालन करेगी।

इस प्रकार, सूची II की प्रविष्टियाँ 34 और 62 जो 'सट्टेबाजी और जुआ' से संबंधित हैं, उनकी व्याख्या समान रूप से की गई है और उक्त अभिव्यक्ति को एक समान दिया गया है।

अर्थ। इस प्रकार, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों को केवल सूची II की प्रविष्टि 34 से बाहर रखा गया है, जो केवल संसद द्वारा विनियमन के उद्देश्य से 'सट्टेबाजी और जुआ' से संबंधित है, न कि कर लगाने के लिए।

सातवाँ, जब राज्य सरकार के पास 'सट्टेबाजी और जुआ' पर कर लगाने की विधायी क्षमता है, क्योंकि सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत उक्त गतिविधि पर कर लगाने के लिए एक विशिष्ट कराधान प्रविष्टि प्रदान की गई है, तो उक्त प्रविष्टि की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, न कि प्रतिबंधित या संकीर्ण तरीके से।

द्वारा संचालित लॉटरी पर जुआ पर कर

भारत सरकार या किसी राज्य की कोई भी सरकार उक्त प्रविष्टि के दायरे से और निहितार्थ द्वारा सूची I की प्रविष्टि 40 में पढ़ें।

आठवाँ, कर लगाने की ऐसी शक्ति को सूची I की प्रविष्टि 40 में निहितार्थ से या सूची I की प्रविष्टि 97 में अवशिष्ट शक्ति के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि इस तरह की व्याख्या का समर्थन किया जाता है, तो यह सूचियों में प्रविष्टियों की व्याख्या के तरीके के साथ हिंसा करेगा और संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत साबित होगा और

ऊपर उद्धृत इस न्यायालय के निर्णय।

नौवां, यदि राज्य सरकार राज्य में सट्टेबाजी और जुआ गतिविधि की एक विशेष प्रजाति की अनुमति नहीं देती है, जिसमें भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा लॉटरी का संगठन और संचालन शामिल है।

किसी भी राज्य की सरकार तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं कर सकती

ऐसी गतिविधि पर कर लगाएँ। लेकिन अगर यह राज्य के भीतर सट्टेबाजी और जुआ गतिविधि की किसी भी प्रजाति की अनुमति देता है।

सूची 2 की प्रविष्टि 34 के अनुसार राज्य को सट्टेबाजी की ऐसी गतिविधि पर कर लगाने की विधायी क्षमता है और लॉटरी सहित जुआ, चाहे सूची II की प्रविष्टि 64 के अनुसार इसका संचालन कौन करे।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

सूची I की दसवीं प्रविष्टि 40 केवल सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों के विनियमन के लिए है।

भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार। उक्त प्रविष्टि का विस्तार संसद द्वारा लॉटरियों पर कर लगाने की शक्ति को शामिल करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जब ऐसी शक्ति की परिकल्पना सूची II की प्रविष्टि 62 में की गई है। इसलिए, संसद जुआ गतिविधि पर कर नहीं लगा सकती है, अर्थात् भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी के संगठन पर कर नहीं लगा सकती है।

सूची I की प्रविष्टि 40. हालाँकि यह उक्त गतिविधि को विनियमित कर सकता है। लॉटरी के विनियमन के उद्देश्य से सख्ती से कोई भी ढोंग तब तक स्वीकार्य है जब तक कि यह जुआ पर कर नहीं है जो केवल सूची II की केवल प्रविष्टि 62 के दायरे में है।

दूसरे शब्दों में, द्वारा आयोजित लॉटरी के विनियमन में एकरूपता रखने के लिए

ग्यारहवाँ, किसी राज्य में किसी निजी संस्था द्वारा संचालित कोई भी सट्टेबाजी और जुआ गतिविधि या किसी राज्य द्वारा अधिकृत है। राज्य सरकार को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जा सकता है। ऐसा सूची II की प्रविष्टि 34 के कारण है जो सट्टेबाजी और जुए से संबंधित है जिसमें लॉटरी भी शामिल है और यह सूची I की प्रविष्टि 40 के भीतर नहीं आती है।

बारहवाँ, जब किसी राज्य की सरकार द्वारा लॉटरी के संगठन या संचालन की अनुमति दी जाती है

भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार इस तरह उन व्यक्तियों द्वारा लॉटरी की योजना में भागीदारी को सक्षम करती है जिन्होंने राज्य में लॉटरी टिकट खरीदे हैं, क्षेत्रीय सांठगांठ लॉटरी के रूप में स्थापित की जाती है, जो सट्टेबाजी और जुए की प्रजाति है, जिसे राज्य के भीतर आयोजित करने की अनुमति है जिसने लॉटरी के संचालन पर कर लगाने की मांग की है। इस तरह की सांठगांठ तब भी बनी रहती है जब कर लगाने वाले राज्य के भीतर प्रचारित लॉटरियों का संचालन कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य द्वारा किया जाता है।

ईटीसी. वी. मेघालय राज्य और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार। इसलिए, हम अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन के कारण विवादित कानूनों के अमान्य होने के विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

119. अंत में हमारा मानना है कि यह कर कर्नाटक और केरल के राज्य विधानमंडलों द्वारा आरोपित लोगों के माध्यम से लगाया जाना चाहिए।

सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत सट्टेबाजी और जुए से संबंधित नियामक क्षेत्र से बाहर रखा गया है और सूची I की प्रविष्टि 40 में शामिल किया गया है। सामान्य प्रविष्टि में दिखाई देने वाले कार्यकाल से विधायी क्षेत्र को बाहर रखने का मतलब यह नहीं है कि ऐसे क्षेत्र को कराधान प्रविष्टि से बाहर रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सूची II की प्रविष्टि 62 में 'सट्टेबाजी और जुआ' शब्द का अर्थ उसी तरह से लगाया जा रहा है जैसे सूची II की प्रविष्टि 34 में किया गया है। अभिव्यक्ति को दोनों में समान अर्थ और व्याख्या दी गई है प्रविष्टियाँ, यानी कि जुआ में लॉटरी शामिल हैं। हालाँकि, 'भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों' को सूची II की प्रविष्टि 34 से अलग करके संघ के पास रखा गया है। सूची II की प्रविष्टि 34 को इस सीमित सीमा तक अस्वीकार कर दिया गया है। सत्ता का ऐसा हस्तांतरण

इसका मतलब यह नहीं है कि उपरोक्त प्रविष्टियों में से प्रत्येक में 'सट्टेबाजी और जुआ' शब्द का अलग-अलग अर्थ है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि विनियामक के लिए

उद्देश्यों के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान कानून की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संसद को भारत के पूरे क्षेत्र में लॉटरी के संचालन को विनियमित करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है।

120. तत्काल मामले में, लगाया गया कर लॉटरियों की 'जुआ' प्रकृति पर है, जो क्षेत्र सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत पूरी तरह से शामिल है और इस प्रविष्टि के तहत कर लगाने की शक्ति [2022] 18 एस. सी. आर. के संबंध में विस्तारित है।

हर प्रकार की लॉटरी के लिए, जिसका आयोजन करने वाली संस्था के रूप में कोई भेद नहीं है

एक ही। 121. इस प्रकार, लॉटरी के संदर्भ में, लॉटरी योजना का संगठन और संचालन एक अखिल भारतीय गतिविधि है, जब कोई भी राज्य

एक ही। 122. इसलिए, हमारे विचार में, कर्नाटक और केरल राज्य के विधानमंडल विवादित अधिनियमों और शुल्कों को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे

उक्त संबंधित राज्यों में आयोजित और संचालित की जा रही 'सट्टेबाजी और जुआ' की गतिविधि पर कर, जिसमें भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी भी शामिल है।

123. उच्च न्यायालयों की खंड पीठ सही नहीं थी

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि राज्य विधानमंडलों को भारत सरकार या कर्नाटक राज्य में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित लॉटरियों पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्ति को सूची I की प्रविष्टि 40 या प्रविष्टि 97 में पढ़ा जा सकता है और केवल संसद ही ऐसा कर लगा सकती है। चूंकि हमने माना है कि कर्नाटक और केरल राज्यों के पास विवादित अधिनियमों को लागू करने के लिए विधायी क्षमता है, इसलिए इसके तहत एकत्र किए गए कर की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

निष्कर्षों का सारांशः

124. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर आते हैंः -

((i)

कि सूची की प्रविष्टि 34 में 'सट्टेबाजी और जुआ' विषय है

II एक राज्य का विषय है।

((ख)

इस न्यायालय के निर्णयों से अब यह स्पष्ट है कि

' लॉटरी जुआ गतिविधि की एक प्रजाति है और इसलिए लॉटरी 'सट्टेबाजी और जुआ' के दायरे में आती है।

प्रविष्टि 34 सूची II।

(iii)

अभिव्यक्ति 'सट्टेबाजी और जुआ' एक से संबंधित है

ऐसी गतिविधि जो 'सट्टेबाजी और जुआ' की प्रकृति में हो। इस प्रकार, सभी प्रकार और प्रकार के 'सट्टेबाजी और जुआ' सूची II की प्रविष्टि 34 के विषय में आते हैं। इस प्रकार 'सट्टेबाजी और

जुआ' अभिव्यक्ति एक जीनस है जिसमें कई प्रकार या गतिविधियों की प्रजातियां शामिल हैं जैसे कि घुड़दौड़, चक्कर लगाना और कर्नाटक और ए. एन. आर. के अन्य टी. ई.

ईटीसी. वी. स्टेट ऑफ इलाया एंड ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपकरण या अभिकरण, यह सूची II की प्रविष्टि 34 के दायरे और दायरे में आएंगे। इस प्रकार, राज्य विधानसभाओं को उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता है

दूसरे शब्दों में, सूची I की प्रविष्टि 40 के संदर्भ में जो कुछ भी बाहर रखा गया है, उसे छोड़कर, अन्य सभी गतिविधियाँ जो 'सट्टेबाजी और जुआ' की प्रकृति की हैं, सूची II की प्रविष्टि 34 के दायरे और दायरे में आएंगी। इस प्रकार, 'सट्टेबाजी और जुआ' एक राज्य का विषय है, सिवाय इसके कि इसे सूची I की प्रविष्टि 40 के संबंध में अपनी शक्तियों से वंचित किया जा रहा है। सूची II की प्रविष्टि 62 'मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुआ पर करों सहित विलासिता' पर एक विशिष्ट कराधान प्रविष्टि है। कर लगाने की शक्ति उन सभी गतिविधियों पर है जिनमें

लॉटरी सहित 'सट्टेबाजी और जुआ' की प्रकृति। चूंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लॉटरी, चाहे वह भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है या राज्य द्वारा अधिकृत है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी निजी खिलाड़ी की एजेंसी या साधन द्वारा संचालित की जाती है, 'सट्टेबाजी और जुआ' है, इसलिए राज्य विधानसभाओं को सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति है। यह है। क्योंकि उक्त प्रविष्टि के तहत विचार किया गया कराधान 'सट्टेबाजी और जुआ' गतिविधियों पर है जिसमें लॉटरी भी शामिल है, चाहे वह ऐसा करने वाली संस्था कुछ भी हो। इसलिए, विवादित कानून वैध हैं क्योंकि कर्नाटक और केरल राज्य विधानसभाओं के पास विधायी अधिकार थे।

ऐसे अधिनियमों को अधिनियमित करने की क्षमता।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस प्रकार, द्वारा आयोजित लॉटरियों का दायरा और दायरा

भारत सरकार या राज्य सरकार सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत केवल ऐसी लॉटरियों के विनियमन के दायरे में है। उक्त प्रविष्टि अपनी आकृति के भीतर शक्ति नहीं लेती है।

हमारा यह भी मानना है कि अन्य राज्यों की सरकार द्वारा लॉटरी योजनाओं का आयोजन/संचालन राज्य में किया जाता है। कर्नाटक या केरल और इसके तहत स्पष्ट प्रावधान हैं

अभिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए विवादित अधिनियम या

संबंधित राज्यों की सरकारों के प्रवर्तक

कर्नाटक राज्य में लॉटरी योजनाओं का संचालन करना

और केरल राज्य। यह स्वयं उत्तरदाताओं-लॉटरी का आयोजन करने वाले राज्यों और कर्नाटक राज्यों के बीच पर्याप्त क्षेत्रीय सांठगांठ का संकेत देता है।

केरल।

उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि केरल और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों की खंड पीठों का यह मानना सही नहीं था कि संबंधित राज्य विधानसभाओं को अपने राज्य (क्रमशः कर्नाटक और केरल राज्य में) अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरियों पर कर लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी।

नतीजतन, कर्नाटक राज्य और राला और अन्य द्वारा दायर अपीलों को विवादित को दरकिनार करके अनुमति दी जाती है।

के उच्च न्यायालयों की खंड पीठों द्वारा पारित

और केरल। वे अपनी-अपनी लागतों को वहन करेंगे।

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी. अमरेंद्र कुमार

अजय, एलसीआरए)